



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 80] प्रयागराज, शनिवार, 16 मई, 2026 ई० (वैशाख 26, 1948 शक संवत्) [संख्या 20

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	247—250	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	313—320	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	83—88	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	887-957	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975	स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

राज्य सम्पत्ति विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति

26 जून, 2024 ई0

सं0 ई 2536/बत्तीस-1-2024-192/93—उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2022 के आधार पर राज्य सम्पत्ति विभाग में व्यवस्थाधिकारी (राजपत्रित) के पद हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री शिव कुमार पुत्र श्री राम (अनुक्रमांक 182691) को राज्य सम्पत्ति विभाग में व्यवस्थाधिकारी वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500 के पद पर निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल औपबन्धिक रूप से सहर्ष नियुक्त करती हैं—

(1)— अभ्यर्थी की सेवायें उत्तर प्रदेश राज्य सम्पत्ति विभाग व्यवस्थापक एवं व्यवस्थाधिकारी सेवा नियमावली, 2020 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसी अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(2)— अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परीक्षा नियमावली, 2013 (यथासंशोधित) के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत व्यवस्थाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3)— अभ्यर्थी के समस्त प्रमाण-पत्रों यथा वांछित शैक्षिक/प्रशिक्षण/अनुभव योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड विश्वविद्यालय से कराया जायेगा। यदि अभ्यर्थी आवश्यक तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अथवा फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर चयनित होने में सफल हो गये हैं, तो अभ्यर्थी का अभ्यर्थन विधि शून्य माना जायेगा तथा नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जायेगी। अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं भविष्य में उक्त पद के लिए उसका कोई दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।

(4)— अभ्यर्थी के सम्बन्ध में ई0डब्ल्यू0एस0/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति व अन्य सेवा सम्बन्धी शर्तों/संगत अभिलेखों को असत्य पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए नियुक्ति विधि शून्य मानी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय/आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही भी की जा सकती है।

(5)— यदि अभ्यर्थी पूर्व से किसी सेवा में है, तो, उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2— उपर्युक्त शर्तों के अधीन रहते हुए श्री शिव कुमार को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि यदि वे राज्य सम्पत्ति विभाग में व्यवस्थाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो इस आदेश की प्राप्ति के अधिकतम एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु राज्य सम्पत्ति अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन, सचिवालय स्थित नवीन भवन, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों—

(क)— केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के सम्बन्ध में घोषणा।

(ख)— उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत किसी व्यक्ति से सम्बन्धित होने की दशा में घोषणा।

(ग)— अपने कर्जदार होने, न होने की घोषणा।

(घ)— निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा।

(ङ)— एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

(च)— इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से सम्बन्धित घोषणा।

(छ)— वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

3— यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि श्री शिव कुमार निर्धारित अवधि में वांछित सूचनाओं/अभिलेखों के साथ कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो यह मानते हुए कि वे नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं, नियमानुसार उनके इस नियुक्ति आदेश को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

सं0 ई 2537/बत्तीस-1-2024-192/93टी0सी0—उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2022 के आधार पर राज्य सम्पत्ति विभाग में व्यवस्थापक के पद हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री अजय कुमार पुत्र श्री निवास (अनुक्रमांक 469855) को राज्य सम्पत्ति विभाग में व्यवस्थापक वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 रु0 44,900-1,42,400 के पद पर निम्न शर्तों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किया जाता है।

(1) अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तर प्रदेश, राज्य सम्पत्ति विभाग व्यवस्थापक एवं व्यवस्थाधिकारी सेवा नियमावली, 2020 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य सेवा-शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(2) अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परीक्षा नियमावली, 2013 (यथासंशोधित) के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत व्यवस्थापक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) अभ्यर्थी के समस्त प्रमाण-पत्रों यथा वांछित शैक्षिक/प्रशिक्षण/अनुभव योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड विश्वविद्यालय से कराया जाएगा। यदि अभ्यर्थी आवश्यक तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अथवा फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर चयनित होने में सफल हो गये हैं, तो अभ्यर्थी का अभ्यर्थन विधि शून्य माना जाएगा तथा नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जाएगी। अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं भविष्य में उक्त पद के लिए उसका कोई दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।

(4) अभ्यर्थी के सम्बन्ध में ई0डब्ल्यू0एस0/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति व अन्य सेवा सम्बन्धी शर्तों/संगत अभिलेखों को असत्य पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए नियुक्ति विधि शून्य मानी जाएगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिए जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय/आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही भी की जा सकती है।

(5) यदि अभ्यर्थी पूर्व से किसी सेवा में है, तो, उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2— उपर्युक्त शर्तों के अधीन रहते हुए श्री अजय कुमार को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि यदि वे राज्य सम्पत्ति विभाग में व्यवस्थापक के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो इस आदेश की प्राप्ति के अधिकतम एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु राज्य सम्पत्ति अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय स्थित नवीन भवन, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों—

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के सम्बन्ध में घोषणा।

(ख) उत्तर प्रदेश, सचिवालय में कार्यरत किसी व्यक्ति से सम्बन्धित होने की दशा में घोषणा।

(ग) अपने कर्जदार होने, न होने की घोषणा।

(घ) निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा।

(ङ) एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

(च) इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से सम्बन्धित घोषणा।

(छ) वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

3— यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि श्री अजय कुमार निर्धारित अवधि में वांछित सूचनाओं/अभिलेखों के साथ कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो यह मानते हुए कि वे नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं, नियमानुसार उनके इस नियुक्ति आदेश को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

04 जुलाई, 2024 ई0

सं0 ई 2656/बत्तीस-1-2024-192/93-उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2022 के आधार पर राज्य सम्पत्ति विभाग में व्यवस्थाधिकारी (राजपत्रित) के पद हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री अशोक कुमार सिंह पुत्र श्री विजय बहादुर सिंह (अनुक्रमांक 357918) को राज्य सम्पत्ति विभाग में व्यवस्थाधिकारी वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500 के पद पर निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल औपबन्धिक रूप से सहर्ष नियुक्त करती हैं—

(1) अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तर प्रदेश, राज्य सम्पत्ति विभाग व्यवस्थापक एवं व्यवस्थाधिकारी सेवा नियमावली, 2020 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य सेवा-शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(2) अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश, सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 (यथासंशोधित) के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत व्यवस्थाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) अभ्यर्थी के समस्त प्रमाण-पत्रों यथा वांछित शैक्षिक/प्रशिक्षण/अनुभव योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड विश्वविद्यालय से कराया जायेगा। यदि अभ्यर्थी आवश्यक तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अथवा फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर चयनित होने में सफल हो गये हैं, तो अभ्यर्थी का अभ्यर्थन विधि शून्य माना जायेगा तथा नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जायेगी। अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा एवं भविष्य में उक्त पद के लिए उनका कोई दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।

(4) अभ्यर्थी के सम्बन्ध में ई0डब्ल्यू0एस0/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति व अन्य सेवा सम्बन्धी शर्तों/संगत अभिलेखों को असत्य पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताये नियुक्ति विधि शून्य मानी जाएगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिए जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय/आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही भी की जा सकती है।

(5) ऐसे अभ्यर्थी पूर्व से किसी सेवा में हैं, तो, उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2— उपर्युक्त शर्तों के अधीन रहते हुए श्री अशोक कुमार सिंह को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि यदि वे राज्य सम्पत्ति विभाग में व्यवस्थाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो इस आदेश की प्राप्ति के अधिकतम एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु राज्य सम्पत्ति अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश, शासन, सचिवालय स्थित नवीन भवन, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों—

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के सम्बन्ध में घोषणा।

(ख) उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत किसी व्यक्ति से सम्बन्धित होने की दशा में घोषणा।

(ग) अपने कर्जदार होने, न होने की घोषणा।

(घ) निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा।

(ङ) एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

(च) इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से सम्बन्धित घोषणा।

(छ) वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

3— यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार सिंह निर्धारित अवधि में वांछित सूचनाओं/अभिलेखों के साथ कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो यह मानते हुए कि वे नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं, नियमानुसार उनके इस नियुक्ति आदेश को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

आज्ञा से,
एस0पी0 गोयल,
अपर मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0पी0—7 हिन्दी गजट—भाग 1—2026 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 16 मई, 2026 ई० (वैशाख 26, 1948 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्ति

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-11 की अधिसूचना

15 अप्रैल, 2026 ई०

सं० 9384/आठ-वि०भू०अ०अ० (सि०) मीरजापुर-भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन कलेक्टर सोनभद्र की राय है कि जनपद सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना अन्तर्गत दाहिंणी कनहर निर्माण परियोजना हेतु ग्राम-हरनाकछार, तहसील-दुद्धी में रकबा-0.2526 हे० भूमि की आवश्यकता है।

2- राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 07 अप्रैल, 2026 को अनुमोदित किया गया है।

3- सामाजिक समाघात निर्धारण का सारांश इस प्रकार है-

जनपद सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना अन्तर्गत दाहिंणी कनहर निर्माण परियोजना के निर्माण कार्य से नकारात्मक प्रभाव नग्न्य है, सकारात्मक प्रभाव काफी अधिक है। प्रभावित परिवारों को इस सामाजिक समाघात आकलन प्रतिवेदन में सुझाई गयी समन प्रक्रिया को अपनाते हुये वांछित भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए। सामाजिक समाघात आकलन प्रतिवेदन में सुझाई गयी समन प्रक्रिया के अनुसार भूमि अर्जन से प्रभावित परिवारों को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 के अन्तर्गत समस्त लाभ दिये जाय।

4— भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5— अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर—
सोनभद्र	दुद्धी	दुद्धी	हरनाकछार	1905	0.0263
				1947	0.1027
				1949	0.0627
				2177	0.0257
				2179	0.0352
				योग.	0.2526

6— भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिये समतलीकरण खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7— अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो, अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर सोनभद्र/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सिंचाई) मीरजापुर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8— अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार तथा विक्रय/क्रय उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी— उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर सोनभद्र/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सिंचाई) मीरजापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

जिलाधिकारी
सोनभद्र।

Office of the District Magistrate, Sonbhadra

April 15, 2026

Notification under Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

No. 9384/VIII-S.L.A.O.(IRRI.) Mirzapur—Under Sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the Collector Sonbhadra is of the opinion that land measuring 0.2526 hectares is required in Village Harnakachhar, Tehsil-Duddhi, within the District of Sonbhadra, for the Right Kanhar Construction Project under the Kanhar Irrigation Project.

2. The State Social Impact Assessment Agency has conducted the Social Impact Assessment Study and submitted its recommendation to the appropriate Government which has been approved by the appropriate Government on 07.04.2026

3. The summary of the Social Impact Assessment is as follows:-

The negative Impact of the construction of the Right Kanhar Construction Project under the Kanhar Irrigation Project in Sonbhadra District is negligible, while the positive Impact is significant. The desired land should be acquired for the affected families by following the compensation process suggested in this Social Impact Assessment report. Families affected by land acquisition should be provided with all the benefits under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, as per the compensation process suggested in the Social Impact Assessment report.

4. No family is being displaced due to land acquisition.

5. The Governor is pleased to notify for general information the land mentioned in the following schedule for public purpose-

Schedule					
District	Tehsil	Pargana	Village	Gata no.	Acquired area
1	2	3	4	5	6
					<i>Hectares</i>
Sonbhadra	Duddhi	Duddhi	Harnakachhar	1905	0.0263
				1947	0.1027
				1949	0.0627
				2177	0.0257
				2179	0.0352
				Total. .	0.2526

6. The Governor hereby directs the Collector to take necessary steps for the purpose of land acquisition as specified and provided under Section 12 of the Land Acquisition Act and to survey the land, level the land, excavate the land and take all necessary actions for the proper execution of the work.

7. Under Section 15 of the Act, any person having interest in the land may, within 60 days of the publication of the notification, submit his objection in writing to the Collector Sonbhadra/Special Land Acquisition Officer (Irrigation), Mirzapur against the acquisition of land in his area.

8. Under Section 11(4) of the Act, no person can deal with, sell or purchase any land specified in the preliminary notification from the date of publication of the notification till the completion of the land acquisition proceedings without the prior approval of the Collector and create any encumbrance on that land.

NOTE- The land map of the said land can be seen in the Office of Collector Sonbhadra/Special Land Acquisition Officer (Irrigation), Mirzapur.

District Magistrate,
Sonbhadra.

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विज्ञप्ति

18 फरवरी, 2026 ई0

सं0 711/जी0-78/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मेहदावल परगना बांसी पूरब जनपद संतकबीर नगर के ग्राम गजहड़ा तप्पा-बेलहर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 712/जी0-240/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से पूर्व तहसील बेलथरा रोड परगना सिकंदरपुर गर्वी जनपद बलिया के ग्राम भुआरी में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 713/जी0-161/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी

गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील रुधौली परगना मगहर पश्चिम जनपद बस्ती के ग्राम बेलवा, तप्पा-रुधौली में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 714/जी0-151/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील रामनगर परगना भिटौली जनपद बाराबंकी के ग्राम कुडीन में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 715/जी0-153/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना फरीदपुर जनपद बरेली के ग्राम खजुरिया ई0 शिवपुरी में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 717/जी0-161/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बस्ती परगना महुली पश्चिम जनपद बस्ती के ग्राम सोनखर, तप्पा-कोरऊ में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं० 724/जी०-266/2023-24/धारा-52(1)-उत्तर प्रदेश
जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ०प्र०, अधिनियम सं०-5-
1954 ई०) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति
सं०-1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958
तथा शासनादेश सं० 23/1/1-(5)1991-टी०सी०आर०-1,
दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार

सं० 730/जी०-153/2024-25/धारा-52(1)-उत्तर प्रदेश
जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ०प्र०, अधिनियम सं०-5-
1954 ई०) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति
सं०-1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958
तथा शासनादेश सं० 23/1/1-(5)1991-टी०सी०आर०-1,
दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार
उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित
अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा० हृषिकेश भास्कर
याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा
विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में
प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना फरीदपुर

जनपद बरेली के ग्राम डगरौली में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 731/जी0-166/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लखीमपुर परगना पैला जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम आलियापुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 732/जी0-181/2021-22/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील खजनी परगना उनवल जनपद गोरखपुर के ग्राम चतुर बन्दुआरी, तप्पा-महसिन में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 733/जी0-188/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील खजनी परगना हसनपुर मगहर जनपद गोरखपुर के ग्राम लटकना, तप्पा-पचौरी में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 734/जी0-212/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना सफीपुर जनपद उन्नाव के ग्राम खानपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 735/जी0-48/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर परगना करियातमित्तू जनपद आजमगढ़ के ग्राम खुदवल में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

23 फरवरी, 2026 ई0

सं0 783/जी0-171ए/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना महमूदाबाद जनपद सीतापुर के ग्राम बेलहरी में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

27 फरवरी, 2026 ई0

सं0 886/जी0-362ए/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील नौतनवा परगना हवेली जनपद महाराजगंज के ग्राम कटाईकोट उर्फ मदरहना, तप्पा-लेहड़ा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 887/जी0-166ए/65—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मिताली परगना कस्ता जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम बरौला में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 888/जी0-164/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना चायल जनपद कौशाम्बी के ग्राम पन्नोई में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

27 फरवरी, 2026 ई0

सं0 889/जी0-175/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना मड़ियाहूँ जनपद जौनपुर के ग्राम कैलावर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 890/जी0-166/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लखीमपुर परगना खीरी जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम ऐठापुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 891/जी0-168/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लालगंज परगना सदर जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम बादशाहपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 16 मई, 2026 ई० (वैशाख 26, 1948 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ-जिला पंचायत।

खण्ड-घ

जिला पंचायत, हमीरपुर

12 मई, 2026 ई०

खनिज परिवहन शुल्क वसूली मानक उपविधि के अनुरूप संशोधित उपविधि

सं० 411/एल०बी०ए०-उपविधि/2026-27-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 239 (2) (ज) (ट) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जिला पंचायत हमीरपुर अपने ग्रामीण क्षेत्रों (नगर निगम, नगर पालिका टाउन एरिया की सीमा को छोड़कर) में पूर्व से स्थापित एवं इस उपविधि के लागू होने के बाद खनिज परिवहन शुल्क वसूली मानक उपविधि बनायी है। यह प्रकाशन की तिथि से प्राभावी होगी।

उपविधि

1-यह उपविधि, जिला पंचायत, हमीरपुर अथवा अन्य जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिजों यथा-पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद), गिट्टी, कोयला, बजरी, भस्सी, सिलिका सैण्ड, कोर्ससैण्ड, खारों से निकलने वाली मिट्टी को लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले के बाहर व्यावसायिक उद्देश्य से सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशु चालित वाहन यथा ट्रैक्टर ट्राली, ट्रक/डम्पर, पशु गाड़ी या मानव चालित नौका या यांत्रिक नौका को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधि कही जायेगी।

2-परिभाषाएँ- इन उपविधियों में-

2.1 अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवम् जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) से है।

2.2 जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा-17 (1) के अनुसार संगठित जिला पंचायत, हमीरपुर (उ०प्र०) से है।

2.3 ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य अधिनियम की धारा-2 (10) में परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र से है।

2.4 अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत, हमीरपुर (उ0प्र0) से है।

2.5 अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य जिला पंचायत, हमीरपुर (उ0प्र0) के अपर मुख्य अधिकारी से है।

2.6 सार्वजनिक मार्ग का तात्पर्य उस सड़क, पुल, सामान्य मार्ग, रास्ते या स्थान से है, जिस पर होकर आने-जाने का जनसाधारण को विधि द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त हो, और जो सरकार या स्थानीय प्राधिकारी, जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत भी है, में निहित हो या उनके द्वारा अनुरक्षित हो, से है।

2.7 नदी मार्ग का तात्पर्य प्राकृतिक नदी का आवागमन के लिए प्रयोग से है।

2.8 पशु गाड़ी का तात्पर्य बैल या भैंसा या ऊँट या घोड़ा या खच्चर द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ियों से है।

2.9 स्थान का तात्पर्य उस स्थल से है, जो कि किसी खनिज उद्गम स्रोत, खदान (क्वेरीज), सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग पर शुल्क वसूली हेतु सुविधानुसार अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, हमीरपुर (उ0प्र0) द्वारा नियत किया जाये।

2.10 शुल्क का तात्पर्य इस उपविधि के लिए निम्न प्रकार से है—

(i) यदि जिला पंचायत, हमीरपुर(उ0प्र0) इन उपविधियों की उपविधि संख्या-5 के अनुसार दिये गये शुल्क वसूली के विकल्प में शुल्क वसूली विभागीय प्रकार यानि जिला पंचायत, हमीरपुर (उ0प्र0) में नियुक्त कर्मचारियों/कार्मिकों द्वारा किये जाने का निर्णय लेती है तो शुल्क का तात्पर्य उपविधि संख्या-6 के खण्डों में समय-समय पर वर्णित एवम् निर्धारित शुल्क से है।

(ii) यदि जिला पंचायत, हमीरपुर (उ0प्र0) इन उपविधियों की उपविधि संख्या-5 के अनुसार दिये गये विकल्प में शुल्क वसूली अपने ठेकेदार द्वारा कराने का निर्णय लेती है तो शुल्क का तात्पर्य उपविधि संख्या- 6 के खण्डों में समय-समय पर वर्णित एवम् निर्धारित शुल्क से है।

2.11 खनिज उद्गम स्थल से तात्पर्य बालू, मौरंग, सिलिका सैण्ड, कोर्ससैण्ड—समस्त खनिज पट्टे, जनपद—हमीरपुर (उ0प्र0) एवम् पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद), गिट्टी, भस्सी, एवं अन्य खनिज उत्खनन स्थल तथा जनपद में स्वीकृत समस्त स्टोन क्रेशर जनपद—हमीरपुर (उ0प्र0) से है।

2.12 मण्डलायुक्त का तात्पर्य राजस्व संहिता के अध्याय—तीन (परिषद और राजस्व अधिकारी) की धारा—11 के अधीन उस मण्डल (डिवीजन) के लिए नियुक्त आयुक्त (कमिश्नर) से है। जिसके भीतर जिला पंचायत, हमीरपुर (उ0प्र0) अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हो।

3—यह उपविधियाँ ग्रामीण क्षेत्र के पर्वतीय स्थलों, खदानों तथा नदियों या उसके तट, नालों, पोखरों, क्वेरीज (खदान) आदि से निकलने वाले खनिजों को लेने, एकत्रित करने या व्यवसायिक दृष्टि से सार्वजनिक मार्ग/नदी मार्ग से खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों के चालकों या मालिकों पर लागू होगी।

4—कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या संस्था आदि जनपद—हमीरपुर (उ0प्र0) के ग्रामीण क्षेत्र या अन्य जनपद के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों, या उनके तट से बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिजों यथा—पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद) गिट्टी, कोयला, बजरी, भस्सी, सिलिका सैण्ड, कोर्ससैण्ड, खारों से निकलने वाली मिट्टी इत्यादि को एकत्रित करने या श्रमिकों द्वारा एकत्रित कराकर व्यावसायिक उद्देश्य से सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशु चालित वाहन या ट्रैक्टर—ट्रॉली, ट्रक, डम्पर, बैलगाड़ी, ऊँटगाड़ी, घोडागाड़ी या मानव या यन्त्र चालित नौका से परिवहन करेगा तो उसको यथा स्थिति उपविधि संख्या—2.10 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित शुल्क अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, हमीरपुर (उ0प्र0) द्वारा निर्धारित स्थल पर जिला पंचायत, हमीरपुर(उ0प्र0) द्वारा नियुक्त कार्मिक अथवा ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा नियुक्त कार्मिक को अदा करना होगा।

5—जिला पंचायत, हमीरपुर (उ0प्र0) खनिज परिवहन शुल्क वसूली अपने कर्मचारियों द्वारा या अपने ठेकेदार द्वारा करा सकती है। शुल्क वसूली ठेका अनिवार्यतः 01 वर्षीय होगा। ठेके की अवधि सामान्यतः वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर अनुवर्ती वर्ष के 31 मार्च तक होगी।

6—जिला पंचायत, हमीरपुर(उ0प्र0) द्वारा लिये जाने वाले खनिज परिवहन शुल्क की दरें निम्नवत् होंगी—

क्र0सं0	परिवहन का माध्यम	वर्तमान में वसूली हेतु प्रभावी दरें	संशोधित एवं प्रभावी दर
		रुपये	रुपये
1.	पशुओ से खींची जाने वाली गाड़ी	25 प्रति फेरी	40 प्रति फेरी
2.	मानव चालित नाव	50 प्रति फेरी	50 प्रति फेरी
3.	ट्रैक्टर—ट्राली	120 प्रति फेरी	150 प्रति फेरी
	ट्रक		
	(1) मिनी ट्रक (लाइट गुड्स वेहिकिल्स)	230 प्रति फेरी	250 प्रति फेरी
	(2) ट्रक (लाइट गुड्स वेहिकिल्स 6 चक्का से अधिक परन्तु 10 चक्का से कम)	350 प्रति फेरी	450 प्रति फेरी
4.	(3) भारी ट्रक (हैवी वेहिकिल्स 10 चक्का से अधिक परन्तु 14 चक्का से कम)	460 प्रति फेरी	600 प्रति फेरी
	(4) भारी ट्रक (हैवी वेहिकिल्स 14 चक्का या उससे अधिक परन्तु 18 चक्का से कम)	460 प्रति फेरी	700 प्रति फेरी
	(5) भारी ट्रक (हैवी वेहिकिल्स 18 चक्का या उससे अधिक)	600 प्रति फेरी	800 प्रति फेरी

7—उपविधि द्वारा निर्धारित शुल्क में 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी प्रत्येक तीन वर्ष के अन्तराल पर की जायेगी। बढ़ोत्तरी की गणना करने पर जो धनराशि आयेगी उसे दहाई के पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जायेगा। यह बढी दरें अगले वित्तीय वर्ष/उस नीलामी अवधि हेतु उपयोग होंगी जिसके नीलामी में बढी दरों के आधार पर नीलामी के रिजर्व मूल्य में आवश्यक वित्तीय प्रभाव जोडा जायेगा। 03 वर्षों के कार्यकाल की गणना इन उपविधियों के गजट प्रकाशन की जगह उनके प्रभावी होने की तिथि के प्रारम्भ से 03 वर्ष तक की जायेगी।

8(क)—यदि खनिज परिवहन शुल्क वसूली का ठेका दिया जाना है तो ई—ऑक्शन पोर्टल के माध्यम से नीलामी पद्धति से दिया जायेगा। जिसका प्रचार राष्ट्रीय स्तर के दो प्रचलित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों के प्रादेशिक संस्करण में विज्ञप्ति प्रकाशित करके किया जायेगा तथा यह सूचना जनपद या राज्य सरकार या जिला पंचायत, हमीरपुर (उ0प्र0) की वेबसाइट पर भी अपलोड की जायेगी।

(ख) जिला पंचायत, हमीरपुर (उ0प्र0) द्वारा खनिज परिवहन की नीलामी प्रक्रिया से पूर्व बकायेदारों की सूची जिला पंचायत, हमीरपुर (उ0प्र0) के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी, साथ ही ई—ऑक्शन के नोटिस के साथ सम्बन्धित ई—ऑक्शन पोर्टल तथा जनपद के एन0आई0सी0 पोर्टल पर भी अनिवार्यतः अपलोड की जायेगी। बकायेदार को यह अधिकार होगा कि वह नीलामी की तिथि के पूर्व तक बकाया की सम्पूर्ण धनराशि जमा कर दें, जिससे कि वह नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सके।

9—ई—नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले ई—नीलामीदाता(व्यक्ति/फर्म/जे0वी0) द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र (टी—4) एवं निम्नानुसार रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य हैसियत से सम्बन्धित निम्नवत् अभिलेख दिया जा सकेगा—

(क) नीलामी की पूर्ण अवधि के लिए रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य जिलाधिकारी द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र(टी—5)

अथवा

(ख) नीलामी की पूर्ण अवधि के लिए रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य शेड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी जिला पंचायत, हमीरपुर (उ0प्र0) के पक्ष में बैंक गारन्टी पत्र।

अथवा

(ग) नीलामी की पूर्ण अवधि के लिए रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य पोस्ट आफिस द्वारा जारी एन0एस0सी0/के0वी0पी0 जो जिला पंचायत, हमीरपुर (उ0प्र0) के पक्ष में बन्धक हो।

अथवा

(घ) नीलामी की पूर्ण अवधि के लिए रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य किसी शेड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी एफ0डी0आर0 जो जिला पंचायत, हमीरपुर (उ0प्र0) के पक्ष में बन्धक हो।

10—सर्वोच्च नीलामी दाता द्वारा निम्नानुसार धनराशि अनुबन्ध करने हेतु प्रथम किस्त के रूप में जमा करनी होगी—

(क) स्वीकृत बोली की धनराशि रु0 01 करोड़ तक होने पर अनुबन्ध हेतु बोली की सम्पूर्ण धनराशि ई0एम0डी0 (जो प्रस्तावित बोली का 10 प्रतिशत होगी) को समायोजित करते हुए।

(ख) स्वीकृत बोली की धनराशि रु0 01 करोड़ से ऊपर होने पर अनुबन्ध हेतु 01 करोड़ + 01 करोड़ से ऊपर की धनराशि का 25 प्रतिशत।

(ग) स्वीकृत बोली की धनराशि का 05 प्रतिशत जमानत धनराशि के रूप में जिला पंचायत, हमीरपुर (उ0प्र0) में ठेकेदार को अनुबन्ध के समय जमा करना होगा, जो ठेकेदार द्वारा पूरे वर्ष संतोषजनक कार्य करने के उपरान्त 15 दिवस के अन्दर ठेकेदार को वापस कर दी जायेगी।

शेष बोली धनराशि दो बराबर किस्तों में प्रथम किस्त 30 जून तक एवं द्वितीय किस्त 30 सितम्बर तक जमा करना अनिवार्य होगा। ई0एम0डी0 (जो सरकारी बोली का 10% होगी) समायोजित करते हुए अन्तिम किस्त के रूप में अन्तिम निर्धारित तिथियों तक किस्त जमा न करने पर ठेका निरस्त कर पूर्व में जमा धनराशियाँ जब्त हो जायेंगी एवं पुनः ठेका छोड़ने में यदि जिला पंचायत, हमीरपुर (उ0प्र0) को कोई क्षति होती है तो उसकी वसूली ठेकेदार (ठेका छोड़ने वाले व्यक्ति) से की जायेगी। यदि ठेकेदार द्वारा नियत समय प्रदान करने के उपरान्त बकाया धनराशि जमा नहीं कराया जाती है तो जिला पंचायत, हमीरपुर (उ0प्र0) उस धनराशि को भू राजस्व की भाँति वसूल कर सकती है।

11—ठेकेदार को ठेका स्वीकृत होने पर निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा।

12—जिला पंचायत, हमीरपुर (उ0प्र0) के अपर मुख्य अधिकारी के द्वारा अधिकृत कार्मिक/ठेकेदार द्वारा शुल्क प्राप्त करने के उपरान्त शुल्कदाता को जिला पंचायत, हमीरपुर (उ0प्र0) द्वारा उपलब्ध कराया गयीं मुद्रित एवं क्रमांक युक्त सह हस्ताक्षरित रसीद देना अनिवार्य होगा। रसीद के प्रतिपण को जिला पंचायत, हमीरपुर (उ0प्र0) में वापस करना अनिवार्य होगा।

13—ठेकेदार द्वारा वसूली स्थल पर (सहज दृश्य स्थान पर) एक 8x4 का रेट बोर्ड कार्य प्रारम्भ करने से पहले लगाना अनिवार्य होगा।

14—इस रेट बोर्ड में वसूली स्थल का नाम, ठेकेदार का नाम व पता, ठेके की अवधि एवं ठेकेदार का मोबाइल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।

15—ठेकेदार द्वारा वसूली में लगाये गये कार्मिकों का अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, हमीरपुर (उ0प्र0) द्वारा एक फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी कराया जायेगा, जो कि उन कार्मिकों को प्रदर्शित करना होगा। शुल्क वसूली में लगाये गये कार्मिकों की सूची अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, हमीरपुर (उ0प्र0) द्वारा सम्बन्धित पुलिस थाने को उपलब्ध करानी होगी।

16—शुल्क वसूली का कार्य ठेके पर दिये जाने की दशा में ठेकेदार को रसीद वहीं रखनी होगी, जिसको जिला पंचायत, हमीरपुर (उ0प्र0) के अपर मुख्य अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के मांगे जाने पर दिखाया जाना अनिवार्य होगा।

17—ठेके की नीलामी 03 सदस्यीय नीलामी समिति द्वारा की जायेगी, जिसमें जिला पंचायत, हमीरपुर (उ0प्र0) के अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी या अभियन्ता, वित्तीय परामर्शदाता या जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य होंगे, नीलाम समिति के सदस्य होंगे।

18—ठेका स्वीकार करने का अधिकार नीलाम समिति की संस्तुति पर अध्यक्ष, जिला पंचायत, हमीरपुर (उ0प्र0) को होगा। यदि किसी प्रकरण में नीलाम समिति की संस्तुति एवं अध्यक्ष, जिला पंचायत, हमीरपुर (उ0प्र0) में मत-भिन्नता है या नीलाम समिति की संस्तुति के प्राप्त होने के एक सप्ताह में निस्तारण नहीं होता है तो प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी द्वारा मण्डलायुक्त को सन्दर्भित कर दिया जायेगा, जिनका निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

19—ठेके की अवधि में ठेके की शर्तों एवं उपविधि के अनुपालन की जांच जिला पंचायत, हमीरपुर (उ0प्र0) के अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, अभियन्ता, कर अधिकारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा की जा सकेगी। जांच में प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर ठेकेदार से स्पष्टीकरण मांगा जायेगा तथा संतोषजनक स्पष्टीकरण न होने पर नीलाम समिति की संस्तुति पर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा ठेका निरस्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी तथा अन्तिम निर्णय अध्यक्ष, जिला पंचायत, हमीरपुर (उ0प्र0) का होगा, जो कि उभय पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

20—(क) गम्भीर अनियमितताओं की स्थिति में ठेका निरस्त किये जाने पर जमा धनराशि जब्त की जायेगी एवं पुनः ठेका किये जाने पर यदि जिला पंचायत, हमीरपुर (उ0प्र0) को कोई आर्थिक क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जायेगी।

(ख) जिला पंचायत, हमीरपुर (उ0प्र0) के किसी आदेश/खनन/परिवहन उपविधि/शासनादेशों/शर्त नामे/नीलामी की धनराशि जमा करने में किसी धारा का उल्लंघन करने की दशा में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, हमीरपुर (उ0प्र0) घटना/समय की तिथि पर अविलम्ब लिखित नोटिस रजिस्टर्ड डाक/ई-मेल/फोन/व्हाट्सएप के माध्यम से देगा, जिस पर ई-मेल जारी/प्राप्त किये जाने से 07 दिवस में उत्तर देना अनिवार्य होगा। जिस पर जिला पंचायत को 03 कार्यदिवसों में निर्णय लेना होगा। संतोषजनक उत्तर न होने पर लिखित आदेश द्वारा ठेका अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी जो दोनों पक्षों को मान्य होगी।

21—वसूलीकर्ता द्वारा उद्गम स्थलों से ही बिना बैरियर लगाये शुल्क की वसूली की जायेगी। वसूली स्थल उद्गम स्थल/नदी मार्ग पर ऐसे स्थान पर नियत किये जायेंगे, जहाँ पर कि यातायात अवरुद्ध न हो। खनिज उद्गम स्थल का अर्थ बालू/मौरंग/सिलिका सैण्ड, कोर्ससैण्ड—समस्त स्वीकृत पट्टे जनपद—हमीरपुर (उ0प्र0) एवं पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद), गिट्टी/भस्सी एवं अन्य खनिज उत्खनन स्थल तथा जनपद—हमीरपुर (उ0प्र0) में स्वीकृत समस्त स्टोन क्रेशर से है। इस हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, मुख्य जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग अथवा किसी भी प्रकार के मार्ग पर बैरियर, रस्सी लगाकर अथवा किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न कर इन मार्गों पर वसूली नहीं की जायेगी।

22—वसूली स्थल पर ठेकेदार को पर्याप्त सफाई, पेयजल, रोशनी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

23—इन उपविधियों के अनुसार बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिजों तथा यथा पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद), गिट्टी, कोयला, बजरी, भस्सी, सिलिकासैण्ड, कोर्ससैण्ड, खारों से निकलने वाली मिट्टी के अभिवहन/परिवहन के समय वाहन मालिक/वाहन चालक/पशु गाड़ी/नाव चालक के द्वारा शुल्क न देने या जाँच के समय प्रमाण स्वरूप शुल्क की रसीद न दिखाने पर ऐसा समझा जायेगा कि नियत खनिज परिवहन शुल्क की अदायगी नहीं की गयी है और ऐसे व्यक्ति से वसूली हेतु नियत अधिकारी जिला पंचायत, हमीरपुर (उ0प्र0) के द्वारा कार्मिक/ठेकेदार की आख्या पर चालान की कार्यवाही की जायेगी।

24—जिला पंचायत हमीरपुर (उ0प्र0) को इन उपविधियों के प्रभावी होने पर शुल्क की वसूली में से किसी विशेष वित्तीय वर्ष में कुल हुयी आय का 15 प्रतिशत अंश अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग को एवं 05 प्रतिशत पर्यावरण सम्बन्धी कार्यों हेतु वन विभाग से प्राप्त योजनाओं पर खर्च करना होगा। एतदर्थ सम्बन्धित विभाग अपनी कार्ययोजना जिला पंचायत, हमीरपुर (उ0प्र0) को प्रस्तुत करेंगे तथा जिला पंचायत, हमीरपुर (उ0प्र0) द्वारा आवंटित की गयी धनराशि से उसी वित्तीय वर्ष में कार्य कराना होगा।

दण्ड

जिला पंचायत, हमीरपुर उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा-240 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है, कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप, फर्म/जे0वी0 या संस्था इन उपविधियों को या उपविधि के किसी अंश का उल्लंघन करेगा/करेगी वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो रु0 1000/- (रु0 एक हजार) तक हो सकेगा, और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रथम दोष, सिद्ध के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, रु0 50 (रु0 पचास) तक हो सकेगा, अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डनीय होगा, जो 03 मास तक का हो सकेगा। इस उपविधि के प्रभावी होने के दिनांक से इस विषय से सम्बन्धित पूर्व में प्रचलित उपविधियां स्वतः निरस्त हो जायेंगी।

अजीत कुमार,
आयुक्त,
चित्रकूटधाम मण्डल बांदा।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 16 मई, 2026 ई० (वैशाख 26, 1948 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय जलकल विभाग, नगर निगम, भेलूपुर, वाराणसी

18 सितम्बर, 2025 ई०

सं० 714/II/ज०क०न०नि०-नगर निगम मा० सदन की बैठक 17 अगस्त, 2025 में पारित संकल्प संख्या-320 द्वारा जलकल विभाग द्वारा प्रस्तुत फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन के लिये राज्य मॉडल उपविधि को सर्वसम्मति से पास किये जाने के अनुपालन में नगर निगम वाराणसी के अन्तर्गत फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन (FSSM) के सम्बन्ध में उ०प्र० नगर महापालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 एवं उसके सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के आलोक में ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था के अन्तर्गत घर/भवन/प्रतिष्ठान में ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (सेप्टिक टैंक/पिट/सोख्ता) के संग्रहण, ढुलाई और उससे जुड़े मामलों के सम्बन्ध में बनायी गयी उपविधियों की अधिसूचना के सम्बन्ध में नगर क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों/समाजिक संस्थानों से आपत्ति/सुझाव 15 दिवस के अन्दर प्राप्त करने हेतु अधिसूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण एवं अमर उजाला, में दिनांक 28 मई, 2025 को कराया गया था। निर्धारित अवधि 15 दिवस व्यतीत हो जाने के उपरान्त कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः निम्नलिखित “नगर निगम वाराणसी फीकल स्लज सेप्टेज प्रबन्धन एफ०एस०एस०एम० उपविधि, 2025” की अधिसूचना गजट प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगी।

क्षेत्र (स्कोप)

ये उपविधि नगर निगम वाराणसी की प्रशासनिक सीमा के भीतर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन में संलग्न सभी हितधारकों पर लागू होते हैं, जिसमें सेप्टिक टैंक वाले घरों के मालिक एवं उपयोगकर्ता, सेप्टिक टैंक सफाई

ऑपरेटर तथा निकाय के उपचार और निस्तारण में संलग्न जवाब देह एजेंसियां शामिल हैं। यह उपविधि सभी सार्वजनिक, निजी, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, प्रस्तावित, नियोजित या निकाय नगर निगम वाराणसी भवनों पर लागू होगा।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर निगम वाराणसी द्वारा घर/भवन/प्रतिष्ठान में ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (सेप्टिक टैंक/पिट/सोख्ता) के संग्रहण, ढुलाई और उससे जुड़े मामलों के लिये निम्नलिखित उपविधियां बनाई गयी हैं।

प्राधिकार— ये उपविधि निम्नलिखित प्रावधानों को लागू करने वाला सक्षम ढांचा है—

- (क) उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टेज प्रबन्धन नीति, 2019
- (ख) फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन की राष्ट्रीय नीति, 2017
- (ग) सीपीएचईईओ मैनुअल ऑन सीवरेज और फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन 2013
- (घ) मॉडल निर्माण उपविधि, 2016 तथा अन्य लागू भवन उपविधि
- (ङ) प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन ऐक्ट-2013
- (च) आईएस कोड 2470 भाग-I और II, 1985 (1996 रीअफर्ड)-सेप्टिक टैंक संस्थापित करने के लिए कार्य व्यवहार संहिता
- (छ) केंद्रीय कानून, नियम और विनियमन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- (ज) जल (प्रदूषण पर रोक और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- (झ) उत्तर प्रदेश के राजकीय कानून जैसे जल और स्वच्छता सम्बन्धी, जैसे कि यू0पी0 जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1975, उत्तर प्रदेश जल संस्थान जलापूर्ति एवं सीवरेज उपविधि, 2008 तथा अन्य कोई प्रासंगिक राजकीय कानून।

अध्याय—I

प्रारम्भिक

1— संक्षेप— शीर्षक, विस्तार और आरंभ—

- (i) इन उपविधियों को नगर निगम वाराणसी फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन (FSSM) उपविधि, 2025' कहा जा सकता है।
- (ii) ये उपविधि उत्तर प्रदेश राज-पत्र (गजट) में प्रकाशित होने की तारीख से नगर निगम वाराणसी में क्रियान्वित होंगे और निकाय की प्रशासकीय परीसीमा के अंदर लागू होंगी।

2— परिभाषा—

- (i) **"फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP)"** का तात्पर्य है सुरक्षित निस्तारण और दुबारा इस्तेमाल के निर्धारित मानदण्ड के अनुसार ठोस और तरल घटकों को हटाने वाला स्वतंत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार संयंत्र।
- (ii) **"को-ट्रीटमेंट फैसिलिटी"** का तात्पर्य है ऐसा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें फीकल स्लज के उपचार के लिये पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हो।
- (iii) **"ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (ओएसएस)"** ऐसी स्वच्छता प्रणाली है जो पूरी तरह से निजी/व्यावसायिक/सरकारी आवास और उसके आस-पास के भू-खण्ड पर स्थित होता है। आमतौर पर, भू-खण्ड पर स्वच्छता 'घरेलू शौचालय' के समान है, लेकिन इसमें एक ही भू-खण्ड पर एक साथ रहने वाले कई परिवारों द्वारा साझा की जाने वाली सुविधाये हो सकती हैं।
- (iv) **"ऑपरेटर"** का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने और उसके परिवहन के व्यवसाय में संलग्न है।
- (v) **"शेड्यूल्ड डीस्लजिंग"** का अर्थ है केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) की अनुशंसाओं के आधार पर 2-3 वर्षों के अंतराल पर ओएसएस को नियमित रूप से खाली कराने की प्रक्रिया।

(vi) "सेप्टेज" का अर्थ है अच्छी तरह डिजाइन किये हुये सेप्टिक टैंक से निकलने वाला फीकल स्लज।

(vii) "सीवेज उपचार संयंत्र" का अर्थ उस स्थान से है जहां सुरक्षित निस्तारण और दुबारा उपयोग के लिये निर्धारित मानकों के अनुसार मल जल का उपचार किया जाता है।

अध्याय-II

अपशिष्ट जल का प्रबन्धन और निस्तारण

3- परिसर में अपशिष्ट जल का प्रबन्धन और निस्तारण— निकाय में प्रत्येक संपत्ति के मालिक/अधिग्राही (जिसमें मौजूदा या प्रस्तावित, आवासीय और व्यावसायिक और अन्य शामिल हैं तथा इसी तक सीमित नहीं हैं) यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होंगे कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल को निम्नलिखित तरीके से किसी भी या किसी के संयोजन के माध्यम से उपचार या निस्तारण किया जाता है, अर्थात्:

i- यदि घर की सीमा से 30 मीटर की दूरी या उतनी दूरी जितनी दूर से सीवर कनेक्शन घर तक आ सकता हो, या घर का मालिक सीवर कनेक्शन लेने हेतु प्रक्रिया पूर्ण कराकर सीवर संयोजन जलकल विभाग से कराये।

ii- अपशिष्ट जल को एक निकाय अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र उपचार सुविधा तक पहुंचाया जाता है।

iii- यदि संपत्ति के 30 मीटर में कोई सीवर नहीं है, तो मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपशिष्ट जल को साइट की उपचार प्रणाली में ले जाया जाये, जिसमें सेप्टिक टैंक या टिवन-पिट या सोक-पिट या साइट पर स्थित आईएस कोड 2470 भाग 1 और 2 के अनुसार निर्मित अन्य प्रणाली शामिल हो सकती हैं। (देखें परिशिष्ट-1)।

iv- वे परिसम्पत्तियाँ जिनके परिसर के भीतर 200 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक खुला क्षेत्र है, तो उसमें एक विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली स्थापित की जाये ताकि संपत्ति में एकत्र अपशिष्ट जल का उपचार किया जा सके। संपत्ति के मालिक द्वारा बागवानी/फलशिंग के लिये उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाये ताकि ताजे पानी पर निर्भरता कम हो।

अध्याय-III

ऑनसाइट स्वच्छता प्रणालियाँ

4- मालिक या अभिग्राही के कर्तव्य और अनुपालन— निकाय के दायरे में स्थित किसी भवन या उसके हिस्से का मालिक या अभिग्राही, जैसा भी मामला हो, इन उपविधियों के लागू होने की तारीख से निम्नलिखित दायित्वों को पूरा करने के लिये जिम्मेदार होंगे,

उपविधियों के अनुसार प्राधिकार द्वारा जारी सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर वह ऐसे भवन में इंसेनिटरी लेट्रिन्स उपयोग को बन्द कर देंगे और निकटवर्ती सामान्य नालियों या खुले भू-खण्ड या जल निकायों के सभी निर्गम को भी बंद कर देंगे तथा अपने स्वामित्व वाले या अपने उपयोग किये जाने वाले भवनों में केवल सेनिटरी लेट्रिन्स का निर्माण, संचालन और उनका रख-रखाव करेंगे।

5- ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और रख-रखाव—

i- ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और उनकी स्थापना 'आईएस कोड 2470 भाग 1 और 2' के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा, या इसके समय-समय पर किये गये संशोधित प्रावधान अथवा नगर निगम वाराणसी या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य स्वीकृत उपयुक्त अभियांत्रिकी कार्य संहिता द्वारा संशोधित किया गया हो।

ii- ओएसएस से जुड़ी संपत्ति के मालिक/निवासी ऐसे ओएसएस से निकलने वाले फीकल स्लज के अनुरक्षण, रख-रखाव और सुरक्षित निस्तारण के लिये जिम्मेदार होंगे।

iii- परिसर का मालिक नगर निगम वाराणसी द्वारा निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2-3 वर्ष में) फीकल स्लज साफ करने का काम करेगा। (अथवा जैसा कि परिशिष्ट 2 में सुझाया गया है)।

iv— परिसर का मालिक सुनिश्चित करेगा कि कंटेनमेंट संयंत्र के खराब या दोषपूर्ण निर्माण के कारण फीकल स्लज के खुली जगहों में या नाली में गिरने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो।

v— परिसर के मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेप्टिक टैंक को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर निगम वाराणसी के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ यांत्रिक रूप से साफ किया जाता है और हाथ से सफाई ना हो।

अध्याय-IV

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण और ढुलाई के लिये लाइसेंस और पंजीकरण

6— निकाय द्वारा जारी किया जाने वाला लाइसेंस—

i—नगर निगम वाराणसी वर्तमान में अपनी प्रशासनिक सीमाओं में फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की सेवाएँ प्रदान करने वाले निजी ऑपरेटरों के स्वामित्व वाले या किराये पर लिये गये वैक्यूम टैंकरों को पंजीकृत करेगा।

ii—नगर निगम वाराणसी अपने कर्मियों सहित आपरेटरों के लिये आईईसी और क्षमता निर्माण गतिविधियाँ करेगा, जहाँ उन्हें फीकल स्लज एवं सेप्टेज को सुरक्षित तरीके से खाली करने और ढुलाई के लिये उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल करने के लिये जागरूक और प्रशिक्षित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की तिथि के 1 महीने के भीतर किया जायेगा।

iii— जब ऑपरेटर को लगे कि वह लाइसेंसिंग के मानदण्डों के अनुपालन में सफल है, तो वह इन उपविधियों के फॉर्म 1 (परिशिष्ट-4) की मदद से इसके लिये आवेदन कर सकता है। इसे प्रशिक्षण के पूरा होने के 2 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जायेगा।

iv— नगर निगम वाराणसी ऑपरेटर द्वारा अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज निकालने और फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के लिये लाइसेंस जारी करेगा।

v— इन विनियमों के फॉर्म 2 (परिशिष्ट-5) में निर्धारित प्रारूप के अनुसार लाइसेंस जारी किया जायेगा, और यदि इसे पहले रद्द नहीं किया जाता है तो जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिये वैध होगा, और अवधि समाप्त होने पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा नियमों और शर्तों की पूर्ति के अधीन नवीकरणीय होगा।

7— लाइसेंस जारी करने की शर्तें—

i— लाइसेंस हासिल करने के पात्र आवेदक का अर्थ इन उपविधियों के खण्ड 2(xxix) में परिभाषित "व्यक्ति" से होगा।

ii— आवेदक को उचित सक्शन/वैक्यूम और डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव-मुक्त, गंध और छिलकाव रहित परिवहन वाहन का मालिक होना चाहिए या ऐसा वाहन उसे किराये पर लेना चाहिये।

iii— वाराणसी में परिचालन के लिये वाहन का परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाण-पत्र होगा।

iv— आवेदक अपने वैक्यूम टैंकर को नगर निगम वाराणसी के साथ पंजीकृत करेगा।

v— आवेदक का यह उत्तरदायित्व होगा कि उसके स्वामित्व वाले/किराए पर लिये गये वैक्यूम टैंकर इन विनियमों के खंड 16 में दिये गये मानदण्डों को पूरा करते हैं।

vi— आवेदक का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि नगर निगम वाराणसी या उसके द्वारा किराये पर ली गई एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर्मी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं।

vii— आवेदक द्वारा कर्मियों को सुरक्षा उपस्कर और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों से लैस रखा जायेगा, जो कि सुरक्षित रूप से फीकल स्लज निकालने, उसकी ढुलाई करने और अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं

सेप्टेज का निस्तारण करने के लिये आवश्यक हैं। जरूरी पीपीई इस उपविधि के परिशिष्ट-3 में दी गई सूची के अनुसार होगा।

8— लाइसेंस के लिए आवेदन— फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिये आवेदन एफएसएस का निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा, जो इन उपविधियों के फॉर्म 1 के रूप में संलग्न है, जिसमें नियमों और शर्तों सहित ऐसे दस्तावेजों के साथ जैसा कि निकाय के नामित अधिकारी (परिशिष्ट-4 देखें) द्वारा निर्धारित किया गया हो। नगर निगम वाराणसी द्वारा सत्यापन एवं प्रशिक्षण के बाद ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का संग्रहण, परिवहन एवं निपटान का लाइसेंस ऑपरेटर को दिया जायेगा (फॉर्म-2, परिशिष्ट-5)।

9— लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रण— लाइसेंस के लिये आवेदन करने हेतु नगर निगम वाराणसी द्वारा संभावित आवेदकों को आमंत्रित करते हुये समय-समय पर अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख समाचार-पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक विज्ञापन दिया जायेगा।

10— लाइसेंस के लिए पंजीकरण शुल्क— नये निजी ऑपरेटरों (फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाला) के लिये लाइसेंस प्रदान करने हेतु पंजीकरण पूरा करने के लिये समय-समय पर नगर निगम वाराणसी द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क (10.1 देखें) लिया जा सकता है। यह शुल्क लौटाया नहीं जायेगा और इसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक या नगद स्वरूप में किया जा सकता है।

11— पंजीकरण के शुल्क और वैधता—

i— ऑपरेटर के रूप में नये निजी ऑपरेटरों को पंजीकृत कराने हेतु पंजीकरण शुल्क ₹0 2,000.00

ii— पंजीकरण की वैधता— पंजीकृत निजी ऑपरेटर, लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क जमा करके अधिकतम 01 वर्ष तक शहर को अपनी सेवा दे सकता है। यदि निजी ऑपरेटर लाइसेंस नवीनीकरण करने में विफल रहता है तो उसका पंजीकरण स्वतः रद्द हो जायेगा और यदि वह शहर की सीमाओं में फीकल स्लज हटाने वाली सेवाओं को फिर से शुरू करना चाहता है तो उसे पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

iii— लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क ₹0 1,000.00

12— लाइसेंसधारी ऑपरेटर का विज्ञापन— नगर निगम वाराणसी द्वारा समय-समय पर अपनी वेबसाइट के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लाइसेंसशुदा ऑपरेटर का व्यापक विज्ञापन दिया जायेगा।

13— जागरूकता अभियान— इन उपविधियों के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई, ढुलाई और निस्तारण हेतु नगर निगम वाराणसी द्वारा लोगों को केवल लाइसेंसधारी ऑपरेटर को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक बनाने का अभियान चलाये जायेगा।

अध्याय-V

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निष्कासन/संग्रहण (डीस्लजिंग) और परिवहन (ढुलाई)

14— संपत्ति के मालिक या अभिग्राही द्वारा केवल लाइसेंसधारी ऑपरेटर को काम पर रखा जाएगा।

i— भवन के प्रत्येक मालिक/अभिग्राही का यह दायित्व होगा कि वह फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई के लिए नगर निगम वाराणसी के लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा प्रशिक्षित सफाई कर्मियों की ही सेवाएं लें।

ii— मालिक/अधिभोगी डीस्लजिंग सेवा से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी ऑपरेटर को प्रदान करेगा (परिशिष्ट-6 देखें)।

15— फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी/ढुलाई का शुल्क—

i— समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई का शुल्क निकाय के नामित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा (परिशिष्ट 2 देखें)।

ii— शहर में जब कभी नगर निगम वाराणसी द्वारा "शेड्यूल्ड डीस्लजिंग" पालन करने का फैसला किया जाता है, तो फीकल स्लज निकासी शुल्क को 'सफाई शुल्क' से बदल दिया जाएगा या इसे संपत्ति/जल कर में शामिल किया जा सकता है, जिसे नगर निगम वाराणसी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जायेगा।

iii— लाइसेंस धारी ऑपरेटर सम्पत्ति के मालिक/अभिग्राही से निकाय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि नहीं वसूलेगा।

iv— फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी और ढुलाई कार्य के लिए अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि मांगने पर लाइसेंस धारी ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा और इन उपविधियों के उल्लंघन के लिये निर्धारित जुर्माना लगाया जायेगा।

16— फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के वाहन—

(i) फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई कार्य केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर निगम वाराणसी के प्रशिक्षित सफाई कर्मियों द्वारा ही किया जायेगा।

(ii) आवश्यक शर्तों के पूरा नहीं होने पर भी वैक्यूम टैंकर को 1 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, सम्बन्धित ऑपरेटर को निश्चित समय सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को समुन्नत अपग्रेड करना चाहिये।

(iii) डीस्लजिंग वाहनों का परिचालन फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित और कुशल ढुलाई के लिये समय-समय पर नगर निगम वाराणसी द्वारा चिह्नित निर्दिष्ट मार्गों पर ही किया जायेगा।

(iv) ऑपरेटर को जारी लाइसेंस की एक प्रति और नगर निगम वाराणसी वाहन का पंजीकरण नम्बर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई हेतु प्रयुक्त वाहन पर स्पष्टता से प्रदर्शित किया जायेगा।

(v) वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जायेगा जिस पर लाल रंग में (सावधानी के लिए) "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और "मलकुंड अपशिष्ट" (हिंदी में) लिखा होगा।

(vi) फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई में प्रयुक्त प्रत्येक वाहन में जीपीएस उपकरण (निकाय द्वारा प्रदत्त) लगाया जायेगा और इसका एक्सेस अधिकार [नगर आयुक्त महाप्रबन्धक जलकल का होगा] ऐसे वाहनों की ट्रैकिंग के लिए निकाय द्वारा अधिसूचित एजेंसी के पास होगा।

17— ढुलाई के दौरान सावधानी— लाइसेंस धारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि निस्तारण के लिये डीस्लजिंग स्थल से अधिसूचित स्थान तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज से कोई रिसाव या छलकाव न हो।

18— दुर्घटना की स्थिति में बचावकारी उपाय— फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिये किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

19— दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर की जिम्मेदारी— किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति या पर्यावरण को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए पूर्ण जिम्मेदार होगा और ऐसे में यदि किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा पीड़ितों/उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार के क्षति शुल्क या मुआवजा प्रदान किए जाने का निर्णय दिया जाता है तो उसका भुगतान उसे ही करना होगा।

20— नियुक्त कर्मियों के लिये सुरक्षा-उपाय— हाथ में रखकर इस्तेमाल होने वाले गैस-डिटेक्टर, गैस-मास्क, सुरक्षा उपकरण, ऑक्सीजन-सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन-मास्क और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि के प्रावधान सहित सभी सुरक्षा उपाय तथा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन ऐक्ट, 2013 में निर्दिष्ट ऐसे अन्य उपाय उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंसधारी ऑपरेटर जिम्मेदार होगा।

21— फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण—

(i) लाइसेंसधारी ऑपरेटर नगर निगम वाराणसी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करेगा।

(ii) लाइसेंस धारी ऑपरेटर इन उपविधि के फॉर्म 3 में निर्धारित विधिवत हस्ताक्षरित फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और निस्तारण फॉर्म, जो विधिवत रूप से भरा गया और हस्ताक्षरित हो, अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए नामित निकाय के अधिकारी के पास जमा करेगा (परिशिष्ट-6 देखें)।

(iii) होस्ट यूएलबी ये सुनिश्चित करेगा की उपचार सुविधा पर यूएलबी क्लस्टर या ग्राम पंचायत का पंजीकृत ऑपरेटर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करे।

22— निकाय (उपचार सुविधा वाले) के अधिकार—

(i) निकाय किसी पास के निकाय या ग्राम पंचायतों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) (परिशिष्ट 7, फॉर्म-4) पर हस्ताक्षर करेगा और इसके तहत केंद्र पर उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देने के लिए होस्ट यूएलबी बन जाएगा।

(ii) नगर निगम वाराणसी होस्ट यूएलबी से जुड़े यूएलबी क्लस्टर की सीमा के अंदर काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटर को उपचार सुविधा के परिचालन अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क और निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रतिबन्धित किए गये वितरण मार्गों के बारे में सूचित करेगा।

(iii) नगर निगम वाराणसी वैक्यूम टैंकर की गुणवत्ता और रखरखाव का निरीक्षण करेगा और उनपर नियंत्रण रखेगा।

(iv) संग्रहीत किये जाने वाले और उपचार सुविधा पर ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण नगर निगम वाराणसी द्वारा किया जायेगा।

(v) होस्ट यूएलबी अन्य क्लस्टर यूएलबी या ग्राम पंचायत को फीकल स्लज एवं सेप्टेज की उस स्वीकार्य मात्रा के बारे में जानकारी देगा जिसे "उपचार सुविधा" में निस्तारित किया जा सकता है।

(vi) एमओयू अवधि के किसी भी समय, यदि "होस्ट यूएलबी" को लगे कि क्लस्टर यूएलबी/ग्राम पंचायत से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निस्तारित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति आने से पहले होस्ट यूएलबी कम से कम 15 दिन पहले इसकी सूचना देगा।

23— निकाय (बिना उपचार सुविधा वाला) के कर्तव्य—

(i) निकाय या ग्राम पंचायत (जिनके पास उपचार सुविधा नहीं है उस नगर निगम वाराणसी) होस्ट यूएलबी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगा और होस्ट यूएलबी के पास उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण के लिए क्लस्टर यूएलबी का सदस्य बनेगा।

(ii) निकाय या ग्राम पंचायत (जिनके पास उपचार संयंत्र नहीं है) अपने प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटरों को उपचार सुविधा की कार्य अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क (यदि कोई हो) निकाय द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट घंटों के दौरान विशिष्ट आपूर्ति मार्ग के जानकारी देंगे।

(iii) यदि निकाय होस्ट यूएलबी के क्लस्टर यूएलबी की स्पष्ट सीमा में नहीं है, तो निकाय उपचार के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्य के पास पहुंच सकता है और फीकल स्लज एवं सेप्टेज के लिए एक अंतरिम निस्तारण स्थल विकसित कर सकता है।

(iv) नगर निगम वाराणसी विनिर्दिष्ट वाहनों की गुणवत्ता और रखरखाव का निरीक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा।

(v) होस्ट यूएलबी संग्रहीत किए जाने और निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगा।

(vi) यदि "होस्ट यूएलबी" की क्षमता क्लस्टर यूएलबी के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निबटाने के लिए कम पड़ जाता है, तो नगर निगम वाराणसी को एक नए "होस्ट यूएलबी" की खोज करनी चाहिए या नए "उपचार सुविधा" के निर्माण के लिए केंद्र के पास अनुरोध भेजना चाहिये।

24— कर्मियों का प्रशिक्षण— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण में तैनात कर्मचारियों के सावधिक प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

25— कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच— यह सुनिश्चित करने का दायित्व लाइसेंसधारी ऑपरेटर का होगा कि प्रत्येक नियुक्त कर्मी का साल में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए और उसका रिकॉर्ड निकाय को दिया जाना चाहिये, जिसमें विफल रहने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर को समय-समय पर अधिसूचित दण्ड का भुगतान करना पड़ सकता है।

26— बीमा— लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा काम पर रखे गए कर्मियों का प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एण्ड देयर रिहैबिलिटेशन ऐक्ट, 2013 और 2003 की रिट याचिका संख्या 583 (सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य) में फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी, ढुलाई और निस्तारण की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27 मार्च, 2014 के आदेश के तहत पीड़ितों अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिये जाने वाले मुआवजे को कवर करने के लिये बीमा किया जायेगा।

27— लाइसेंस रद्द किया जाना— इन उपविधि सहित हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास ऐक्ट, 2013 के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस धारी ऑपरेटर समय-समय पर अधिसूचित दंड के भुगतान करने का भागी होगा, जिसमें लाइसेंस रद्द किया जाना और निष्पादन गारण्टी का अपहार शामिल है जो शहरी स्वच्छता समिति (CSC) अथवा विनिर्दिष्ट अधिकारी (अधिकारियों) की सिफारिश के मुताबिक होगा।

अध्याय-VI

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार और पुनः उपयोग/निस्तारण

28— फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए अवसंरचना का निर्माण— नगर निगम वाराणसी जरूरी आधारभूत ढांचा तैयार करेगा (यदि अनुप्रयोज्य हो तो आदर्श उपचार संयंत्र की व्यवस्था होने तक अंतरिम उपचार बुनियादी ढांचा भी) और पंजीकृत वाहनों द्वारा लाये गये फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपचार/निस्तारण की सुविधा के लिए अधिसूचित स्थल या स्थलों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा।

29— औद्योगिक अपशिष्ट जिनकी अनुमति नहीं है— अधिसूचित स्थल पर औद्योगिक अपशिष्ट वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

अध्याय-VII

प्रशासन और प्रवर्तन

30— प्रशासन और प्रवर्तन—

(i) इन नियमों की प्रशासनिक और प्रवर्तक शक्तियाँ (नगर आयुक्त/महाप्रबन्धक जलकल) अथवा नगर आयुक्त/महाप्रबन्धक जलकल द्वारा विधिवत अधिकृत निकाय के अभिहित अधिकारी के पास रहेंगी।

(ii) नगर निगम वाराणसी फीकल स्लज की निकासी, ढुलाई या उपचार की सेवायें प्रदान करने के लिये समय-समय पर निर्धारित और अधिसूचित उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) लगा सकता है। लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं के लिये भुगतान करना होगा।

(iii) नगर निगम वाराणसी शहरी स्वच्छता समिति (CSC) का गठन करेगा जो निकाय प्रशासनिक क्षेत्र में समग्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज का पर्यवेक्षण और निगरानी सुनिश्चित करेगा।

(iv) नगर निगम वाराणसी फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी ढुलाई के लिए सुरक्षित तरीके सुनिश्चित करने के लिये एक इमरजेन्सी रिसपॉस सैनिटेशन यूनिट (ईआरएसयू) नियुक्त करेगा।

31— जांच के लिए विशेष शक्ति— इन उपविधियों के प्रभावी तरीके से लागू करने और प्रवर्तन के उद्देश्य से, नगर निगम वाराणसी के पास किसी भी समय किसी भी परिसर में, परिवहन वाहनों और फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार सुविधा के निरीक्षण की शक्ति होगी।

32— नियम उल्लंघन और जुर्माना—

(i) इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को नियम अनुपालन के लिये नोटिस भेजा जायेगा।

(ii) किसी भी व्यक्ति पर इन नियमों के तहत दण्डात्मक प्रावधान लागू होंगे, यदि ऐसा व्यक्ति— (क) इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसका पालन करने में विफल रहता है, (ख) इन विनियमों के तहत किसी भी शक्ति के प्रयोग या किसी कर्तव्य निष्पादन में निकाय के एक अधिकृत अधिकारी या अन्य अधिकारी के काम में बाधा डालता है, या हस्तक्षेप करता है, (ग) किसी भी ओएसएस/सीवर की हाथ से फीकल स्लज निकासी की प्रक्रिया संचालित कराता है।

(iii) इन उपविधियों के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट-8 में उल्लेखित राशि की सीमा तक दण्डित किया जायेगा और उचित कानून के तहत मुकदमा चलाया जायेगा और जैसा भी मामला हो, दोषी पाए जाने की स्थिति में एफ एस एस निकासी/ढोने के वाहन भी जब्त हो सकता है।

(iv) जो कोई भी, किसी भी मामले में, जिसमें दंड परिशिष्ट-8 में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, दोषी पाया जाता है, समय-समय पर नगर निगम वाराणसी द्वारा तय किए जाने वाले जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा।

(v) संदेह दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इन उपविधियों की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को उस समय लागू किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम या इन उपविधियों के तहत दण्डनीय कोई कार्य के लिए या चूक के लिए उसके तहत मुकदमा चलाने, दण्डित करने से नहीं रोकेगा।

33— अपील— निकाय के अधिकृत अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति इन उपविधियों के तहत नगर आयुक्त/महाप्रबन्धक जलकल के पास इस तरह के निर्णय के विरुद्ध अपील (इन उपविधियों के फॉर्म 5 में संलग्न प्रारूप में) कर सकता है (परिशिष्ट-9 देखें)

34— विवाद समाधान उपविधि— इन उपविधियों के क्रियान्वयन के संदर्भ में उत्पन्न किसी भी विवाद का समाधान केवल (नगर निगम वाराणसी) के अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम न्यायालय द्वारा भारतीय कानूनों के तहत किया जायेगा।

35— फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन— मानक प्रक्रिया का पालन करते हुये आवश्यकता पड़ने पर निकाय के पास फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन करने का अधिकार होगा।

36— डीस्लजर के लिए सम्मान/पुरस्कार— अच्छे काम और व्यवहार के लिए निकाय समय-समय पर प्रेरित करने और समग्र प्रशंसा हेतु अच्छे प्रदर्शन के लिए फीकल स्लज निकासी (डीस्लजिंग) ऑपरेटरों के लिए सम्मान/पुरस्कार समारोह आयोजित कर सकता है।

37— उपविधियों के लिए पूरक राज्य सरकार के निर्देश— इन उपविधियों के प्रवर्तन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सन्बन्ध में निर्देश जारी किया जा सकता है।

परिशिष्ट-1

सेप्टिक टैंक का डिजाइन— सेप्टिक टैंक स्थापित करने के लिये बीआईएस कार्य संहिता प्रदान करता है (आईएस 2470 [भाग 1,] 1985)। सेप्टिक टैंक के निर्माण के लिये यह कुछ मान्यताओं के आधार पर डिजाइन मानदण्ड प्रदर्शित करता है। छोटे और बड़े क्षेत्रों के लिए यह आबादी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन इंस्टॉलेशन का विवरण प्रदान करता है। केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन, एमओएचयूए के अनुसंधान प्रभाग द्वारा प्रकाशित सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल के भाग ए में ओएसएस पर व्यापक डिजाइन मानक दिए गए हैं। प्रचलित और सुरक्षित साइट स्वच्छता के लिये इस खण्ड में तकनीकों के मानक डिजाइन बताये गये हैं। साथ ही, भारत में सेप्टिक टैंक को आमतौर पर काले पानी के लिये ही हाईलाइट किया जाता है।

सेप्टिक टैंक के विनिर्देशन—

- आयताकार— लंबाई और चौड़ाई का अनुपात— 2 से 4
- गहराई— 1.0 से 2.5 मी० के बीच
- दो कक्ष— पहला कक्ष कुल लम्बाई का 2/3
- तीन कक्ष— पहला कक्ष कुल लम्बाई का आधा
- मशीन-छेद (मैनहोल) प्रत्येक कक्ष के ऊपर
- निर्विवाद, टिकाऊ और स्थिर टैंक

सेप्टिक टैंक का अनुशंसित आकार—

उपयोग कर्ता की सं०	लम्बाई	चौड़ाई	द्रव की गहराई (सफाई अन्तराल)
1	2	3	4
	मीटर—	मीटर—	मीटर—
			दो वर्ष
5	1.5	0.75	1.05
10	2	0.90	1.40
15	2	0.90	2.00
20	2.3	1.10	1.80

नोट 1— सेप्टिक टैंक का आकार कुछ अनुमानों (तरल प्रवाह) पर आधारित होता है, सेप्टिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटीक गणना की जानी चाहिये। इस बारे में जानकारी के लिये, कृपया बीआईएस 2470 (भाग 1), 1985 देखें।

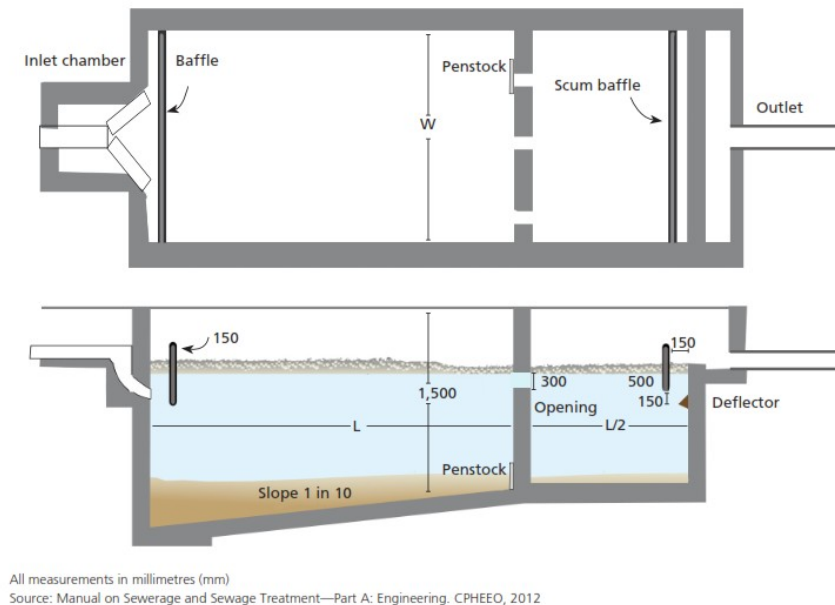
नोट 2— फ्री बोर्ड के लिए 300 मिमी का प्रावधान रखना चाहिये।

स्रोत— सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल भाग-ए, इंजीनियरिंग। सीपीएचईईओ, 2012

सेप्टिक टैंक की क्षमता— टैंक की क्षमता फीकल स्लज निकासी की अवधि को समझने में उपयोगी होती है, सेप्टिक टैंक की क्षमता मापने में निम्नलिखित प्रमुख बिंदु हैं—

- **अवसादन (सेडीमेंटेशन)**— निलम्बित ठोस पदार्थों के पर्याप्त अवसादन के लिये प्रत्येक 10 ली/मिनट की पीक दर से प्रवाह के लिए 0.92 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। आम तौर पर, अवसादन क्षेत्र की गहराई 0.3 मीटर होती है।
- **फीकल स्लज डाइजेशन**— डेएजेशन जोन की क्षमता प्रति कैपिटा 0.032 होनी चाहिये।
- **फीकल स्लज और मल भण्डारण**: फीकल स्लज सफाई के 1 साल के अंतराल के लिए, एक फीकल स्लज भण्डारण क्षमता $0.0002 \times 365 = 0.073 \text{ m}^3$ /कैपिटा की आवश्यकता होती है।
- **फ्री बोर्ड**— कम से कम 0.3 मी0

सेप्टिक टैंक का मानक डिजाइन—



परिशिष्ट-2

(नगर निगम वाराणसी) में फीकल स्लज निकासी और सेप्टेज की ढुलाई सेवा के लिए उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) की सूची (अनुमानित)

क्रम सं०	श्रेणी	शुल्क की सीमा (प्रतिट्रिप 3000 लीटर तक)
1	2	3
		रुपये—
1.	कच्चाघर/झोंपड़ी	350
2.	टिन शेड प्रकार का घर	750
3.	सभी अन्य घर (पक्काघर)	1,200
4.	दुकान	1,500

1	2	3
		रुपये—
5.	सभी सरकारी/निजी कार्यालय	1,800
6.	बैंक	2,000
7.	सामुदायिक शौचालय/सार्वजनिक शौचालय	800
8.	रेस्टोरेंट	2,000
9.	होटल/गेस्ट हाउस (01 से 10 कमरे)	2,000
10.	होटल/गेस्ट हाउस (11 से 20 कमरे)	2,500
11.	होटल/गेस्ट हाउस (20 से अधिक कमरे)	3,000
12.	धर्मशाला (1 से 25 कमरे)	1,200
13.	धर्मशाला (25 से अधिक कमरे)	1,800
14.	3-स्टार होटल	2,800
15.	5-स्टार होटल	3,500
16.	सरकारी स्कूल/कॉलेज (1000 छात्र तक)	1,000
17.	सरकारी स्कूल/कॉलेज (1000 से अधिक छात्र)	1,200
18.	निजी स्कूल/कॉलेज (1000 छात्र तक)	1,800
19.	निजी स्कूल/कॉलेज (1000 छात्र तक)	2,500
20.	2-व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेंटर)	1,800
21.	2-व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेंटर के साथ)	2,800
22.	4-व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेंटर)	2,500
23.	4-व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेंटर के साथ)	3,500
24.	मल्टीप्लेक्स	2,000
25.	छात्रावास (01 से 10 कमरे)	1,800
26.	छात्रावास (11 से 20 कमरे)	2,200
27.	छात्रावास (21 से 50 कमरे)	2,500
28.	छात्रावास (50 से अधिक कमरे)	3,000
29.	विवाह हॉल/बैंक्वेट हॉल	2,500
30.	बार	2,500
31.	सरकारी अस्पताल (20 बेड तक)	1,800
32.	सरकारी अस्पताल (20 से अधिक बेड)	2,800
33.	नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 बेड तक)	1,800
34.	नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 से अधिक बेड)	2,200
35.	पैथलॉजिकल लैब	1,500

1	2	3
		रुपये—
36.	निजी अस्पताल (20 बिस्तर तक)	2,500
37.	निजी अस्पताल (21-50 बिस्तर तक)	2,500
38.	निजी अस्पताल (50 बिस्तर तक)	3,500
39.	राइस मिल/अन्य मिल	2,000
40.	क्षेत्र में कोई भी उद्योग	3,000
41.	क्षेत्र से बाहर कोई भी उद्योग	2,000

स्रोत— सेप्टेज प्रबन्धन के लिए उत्तराखण्ड राज्य प्रोटोकॉल 2022 से एक संदर्भ लिया गया है।

नोट 1— उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) की इन सीमाओं में निकाय द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है।

2— उपरोक्त श्रेणियाँ प्रति 3000 लीटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज सेप्टेज की निकासी पर आधारित हैं। रेंज की ऊपरी सीमा पर विचार करना चाहिये जब अन्य कचरे (पॉलीबैग की उच्च संख्या, निस्तारण किये गये कपड़े, सैनिटरी पैड, डायपर, कण्डोम, प्लास्टिक की बोतलें, अन्य कचरे) को भी व्यापक तरीके से डाला गया हो।

परिशिष्ट-3

बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण— कार्य स्थल पर निम्नलिखित बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने चाहिए—

1— शरीर के सुरक्षा वस्त्र मुख्य रूप से पॉलिएस्टर से बने होते हैं, जो रिफ्लेक्टिव होते हैं और रासायन गिरने से शरीर की रक्षा करते हैं

2— शरीर की रक्षा सज्जा/सुरक्षा बेल्ट

3— सर्जिकल फेस मास्क/रेस्पिरैटर जो धूल, धुएँ, धुंध और जीवाणुओं आदि से बचाता है

4— सेपटी टॉर्च

5— भारी रासायन प्रतिरोधी दस्ताने जो यांत्रिक बचाव और खतरनाक सामग्री के छलक कर गिरने से अतिरिक्त सुरक्षा देते हैं और ब्यूटाइल के बने होते हैं

6— संक्रामक पदार्थों को आंखों में जाने से रोकने के लिये रासायनिक छींटे झेलने की क्षमता वाले सेपटी गॉगल्स

7— टॉर्च के साथ लगे सेपटी हेलमेट (कॉर्डेड) जो अंधेरे में काम करने के लिए मददगार होता है

8— दुबारा इस्तेमाल होने वाला इयरप्लग, जो एक लचीले बैंड से अच्छी तरह जुड़ा होता है जिसे जरूरत न होने पर गर्दन के चारों ओर पहना जा सकता है। ये सिलिकॉन के बने होने चाहिये और वैक्यूम टैंकरों के आसपास उपयोगी होते हैं जहां औसत ध्वनि स्तर 85d Ba से अधिक होता है।

9— आपातकालीन मेडिकल ऑक्सीजन पुनर्जीवन किट Q

10— गैस मॉनीटर

11— हेड लैंप

12— गाइड पाइप सेट

13— सेपटी ट्राइपॉड सेट

14— वेडर बूट

15— एयर कंप्रेसर और ब्लोअर

16— मॉड्यूलर एयरलाइंस सप्लाय ट्रॉली सिस्टम

17— रेनकोट

परिशिष्ट-4

नगर निगम वाराणसी

Registration form for Private Desludging Operator

फीकल स्लज एवं
सेप्टेज निकालने
वाले ऑपरेटर/
ठेकेदार का निकाय
मोहर के साथ एक
पासपोर्ट

फॉर्म 1—नगर निगम वाराणसी में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, परिवहन और निपटान के लिए लाइसेंस आवेदन पत्र

1— आवेदक का नाम (श्री/सुश्री):

2— पता:

3— पंजीकृत कार्यालय का पता

4— टेलीफोन नंबर: (कार्यालय)(मो0).....

ईमेल आईडी:.....

12

संख्या	वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर	वाहनों का प्रकार (ट्रैक्टर-माउंटेड या ट्रक माउंटेड)	प्रतिरूप (मॉडल) संख्या	वैक्यूम टैंकरों/टैंकर की छमता (लीटर में)	बीमा किस तारीख तक वैध है	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						

7— लाइसेंस की प्रॉसेसिंग फीस के भुगतान का विवरण—

नकद.....(रसीद संख्या)

8— संलग्न प्रलेखों की सूची (स्व-प्रमाणित प्रति) (हां/नहीं)

दस्तावेज के प्रकार	हाँ/नहीं	दस्तावेज के प्रकार	हाँ/नहीं	दस्तावेज के प्रकार	हाँ/नहीं
1	2	3	4	5	6
पहचान प्रमाण		पता प्रमाण		कर्मचारियों की सूची	
पंजीकरण		फिटनेस		बीमा और पॉलिसी	
प्रमाणपत्र		सर्टिफिकेट		अनुसूची के प्रमाण पत्र	
प्रदूषण		ड्राइविंग लाइसेंस		पासपोर्ट साइज फोटो	
प्रमाणपत्र					

अनुलग्नकों की कुल संख्या—

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा कॉलम 1 से 8 में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैंने संलग्न नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो लाइसेंस के लिए आवेदन किसी भी समय रद्द करने के लिए उत्तरदायी रहूँगा।

आवदेक के हस्ताक्षर

दिनांक—.....

नियम और शर्तें—

1— फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जायेगा और ढुलाई की जायेगी।

2— निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यूएलबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।

3— फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जायेगा।

4— लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।

5— फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिये किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

6— अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।

7— फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।

8— वाहन/टैंकर कर को पीले रंग से पेंट किया जायेगा जिस पर लालरंग में सावधानी के साथ "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और "मलकुंड अपशिष्ट" (हिंदी में) लिखा होगा।

9— निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में Xy दिनों पर x: am से y: pm तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डीस्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिये।

10— प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।

11— उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जायेगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिये निर्धारित दण्ड का भुगतान करने के लिये भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट-5**लाइसेंस प्रारूप****नगर निगम वाराणसी****License for Private Desludging Operator**

फीकल स्लज एवं
सेप्टेज निकालने
वाले ऑपरेटर/
ठेकेदार का निकाय
मोहर के साथ एक
पासपोर्ट साइज
फोटो चिपकाएं

फॉर्म 2— फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण हेतु लाइसेंस प्रदान करना नगर निगम वाराणसी में फीकल स्लज एवं सेप्टेज मल-कीचड़ और सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण के लिये लाइसेंस

इसके द्वारा अनुमति दी जाती है—

1— आवेदक का नाम: (श्री/सुश्री):.....

2— पत्राचार का पता:.....

3— निकाय (नगर निगम) का नाम) में फीकल स्लज/सेप्टेज प्रबंधन सेवायें प्रदान करने के लिए लाइसेंस संख्या:.....

4— मान्यता से तक

5— वाहन (वाहनों) का रजिस्ट्रेशन नंबर: (i) (ii)
(iii) (iv) लाइसेंस,
लाइसेंस धारक द्वारा पिछले पृष्ठ में बताई गई शर्तों के अनुपालन के अधीन होगा।

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नियम और शर्तें

1— फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जायेगा और ढुलाई की जायेगी।

2— निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यूएलबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।

3— फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जायेगा।

4— लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।

5— फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिये किसी भी खतरे से बचने के लिये पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिये।

6— अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।

7— फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।

8— वाहन/टैंकर कर को पीले रंग से पेंट किया जायेगा जिस पर लालरंग में सावधानी के साथ "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और "मलकुंड अपशिष्ट" (हिंदी में) लिखा होगा।

9— निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में Xy दिनों पर x: am से y: pm तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डीस्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिये।

10— प्रभावी सफाई सेवायें प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिये तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिये लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।

11— उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जायेगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड का भुगतान करने के लिये भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट-6

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

फॉर्म 3— फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड (नगर निगम वाराणसी) में मल कीचड़ और सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड बनाये रखने के लिए

दिनांक.....समय.....

1— ऑनसाइट सिस्टम के मालिक का विवरण—

1— नाम.....

2— पता.....

(क) वार्ड संख्या (ख) टेलीफोन नं०

2— रोकथाम—

1— निर्माण का वर्ष

2— पिछला कीचड़ निकालना (MM/YYYY).....

3— आउटलेट मौजूद (हां/नहीं).....

4— यदि हां तो किससे जुड़ा है.....

5— रोकथाम के प्रकार (चेकबॉक्स में उपयुक्त विकल्प चुने)

रोकथाम के प्रकार	सही करे	रोकथाम के प्रकार	सही करे
1	2	3	4
सेप्टिक टैंक टिवन		टिवन पिट (पंक्तिबद्ध)	
संग्रह टैंक		टिवन पिट (अनलाइन्ड)	
सोख्ता गडढे के साथ सेप्टिक टैंक		पूरी तरह से अटे टैंक	
सिंगल पिट (लाइनेड)		सिंगल पिट (आनलाइन)	

6— रोकथाम का आकार और आकार:नियंत्रण का प्रकार नियंत्रण का प्रकार टिक करे

7— संपत्ति के भीतर रोकथाम का स्थान (चेकबॉक्स में नीचे उपयुक्त विकल्प चुनें)

घर में स्थान	सही करे	घर में स्थान	सही करे
1	2	3	4
घर के पिछले हिस्से में		एक कमरे के फर्श के नीचे	
घर के सामने की तरफ		अन्य	

3— कीचड़ साफ करना—

- 1— फीकल स्लज एवं सेप्टेज की मात्रा (लीटर)
- 2— कीचड़ निकालने में लगने वाला समय
- 3— ट्रिप की लम्बाई (किमी)
- 4— आने-जाने में समय

4— कीचड़ साफ करने वाले सेवा प्रदाता का विवरण—

आपरेटर का नाम

ड्यूटी पर खाली स्टाफ FSSTP ऑपरेटर

ड्यूटी पर टैंक सफाई स्टाफ के हस्ताक्षर

उपचार सुविधा ऑपरेटर का हस्ताक्षर

परिशिष्ट-7

होस्ट यूएलबी तथा बिना उपचार संयंत्र वाले निकाय के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप—

फॉर्म 4— “होस्ट यूएलबी” पर उपलब्ध “उपचार संयंत्र” में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति के लिए समझौता ज्ञापन।

होस्ट निकाय के उपचार संयंत्र पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति हेतु निकाय(नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) और होस्ट निकाय (होस्ट निकाय का नाम) के बीच समझौता ज्ञापन के लिए फॉर्म

फीकल स्लज एवं सेप्टेज एवं सेप्टेज प्रबंधन के तहत, निकाय (संपर्क करने वाले निकाय) जो नगर निगम वाराणसी की प्रशासनिक सीमाओं के भीतर घरों, सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के नियंत्रण से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज और सेप्टेज (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के सुरक्षित निस्तारण हेतु जरूरी शर्तें पूरा करने के लिए, “होस्ट यूएलबी” (नगर निगम वाराणसी) के प्रशासन के तहत “उपचार संयंत्र” पर, समझौता।

प्रथम पक्ष “होस्ट यूएलबी” (नगर निगम वाराणसी)

द्वितीय पक्ष “..... यूएलबी” (संपर्क करने वाले निकाय का नाम)

उपबंध—

1— यह कि “प्रथम पक्ष” दिनांक दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) से दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) तक “द्वितीय पक्ष” की प्रशासनिक सीमाओं से उनके “उपचार संयंत्र” पर आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देगा।/वर्ष (अंतिम तिथि)

2— “प्रथम पक्ष” अपने प्रशासनिक क्षेत्र से आने वाले भार से समझौता करने से बचने के लिये अपने “उपचार संयंत्र” पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दैनिक अनुमत मात्रा की जानकारी देगा।

3— यह कि “द्वितीय पक्ष” समझ के अनुसार “प्रथम पक्ष” को फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण के प्रति खेप टिपिंग शुल्क के रूप में रु0 2,000.00 प्रति 15 किमी0 के परिधि के अन्दर (15 किमी0 से अधिक दूरी होने पर रु0 25 प्रति किमी0 अतिरिक्त देय होगा) देने के लिए सहमत है।

4— यह कि “प्रथम पक्ष” उपचार सुविधा के संचालन का समय, अनुमत पहुंच मार्ग, फीकल स्लज एवं सेप्टेज की अनुमत मात्रा, उपचार सुविधा का रखरखाव बंद आदि आवश्यक विवरण समय-समय पर साझा करेगा।

5— कि उपरोक्त कार्यों को करते समय बीच में आने वाली किसी भी कठिनाई को दोनों पक्ष मिलकर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझायें।

6— कि “द्वितीय पक्ष” केवल लाइसेंसधारी फीकल स्लज निकासी ऑपरेटर को प्रथम पक्ष की उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति देगा।

7— प्रथम पक्ष उपचार सुविधा में उनके लाइसेंस पर “द्वितीय पक्ष” की मुहर के साथ लाइसेंसधारी ऑपरेटर का प्रवेश सुनिश्चित करेगी।

प्रथम
नगर आयुक्त/महाप्रबन्धक जलकल का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्ष
अधिशायी अधिकारी का हस्ताक्षर

परिशिष्ट-8

जुर्माना और फाइन

क्रम सं0	विवरण	खंड संख्या	सांकेतिक फाइन सीमा	जुर्माना (रु0 या किसी अन्य पीनल एक्शन में)
1	2	3	4	5
			रुपये—	
1.1	नाला/सड़क/खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधा/असुरक्षित प्रवाह	3	100	
1.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	3	100	
1.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	3	10 प्रति दिन	संपत्ति की जब्ती
2.1	ओएसएस का अवैज्ञानिक डिजायन और निर्माण	5	100	
2.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	5	100	
2.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	5	10 प्रति दिन	संपत्ति की जब्ती
3.1	बिना निकाय पंजीकरण के वैक्यूम टैंकर परिचालित करना	6	100	
3.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6	100	
3.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6	150 प्रति दिन	वाहन की जब्ती
4.1	आकस्मिक बिखराव में भाग लेने के लिए गैर-अनुपालन	16,17	1,000	
4.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	16, 17	1,000	
4.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	16, 17	300 प्रति दिन	वाहन की जब्ती
5.1	एसटीपी से अनुपचारित FSS प्रवाहित करना	27, 28, 33	5,000	
5.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	27, 28, 33	5,000	

1	2	3	4	5
			रुपये—	
5.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	27, 28, 33	1,000 प्रति दिन	संपत्ति की जब्ती
6.1	निकाय द्वारा अधिसूचित स्थल के अलावा अन्य स्थल पर अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रवाहित करना	6, 7, 14, 27, 28, 29	5,000	
6.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6, 7, 14, 27, 28, 29	5,000	
6.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6, 7, 14, 27, 28, 29	1,500 प्रति दिन	वाहन की जब्ती

नोट— जुर्माने और जुर्माने की उपरोक्त तालिका पर नगर स्वच्छता समिति के सदस्यों के बीच पहले चर्चा की जानी चाहिये। शहर में यूएलबी जिस स्तर की सख्ती का पालन करना चाहता है, उसके आधार पर इसे समय-समय पर संशोधित भी किया जा सकता है।

परिशिष्ट-9

अपील हेतु ज्ञापन

फॉर्म 5— अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन, अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन का फॉर्म, "अपीली प्राधिकार के पास

.....(पदनाम)

1— आवेदक का पूरा नाम.....

2— आवेदक का पूरा पता.....

3— नगर पालिका अधिकारी का विवरण, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई—
नाम.....पद.....

4— उस आदेश के प्राप्त करने की तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गई—

5— अपील दायर करने की तारीख.....

6— सूचना विवरण

(क)— संक्षेप में अपील की विषय-वस्तु (जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, उसकी प्रति संलग्न करें)

(ख)— अपील का आधार (इनमें से किसी का विवरण अलग शीट में संलग्न किया जाना है)

सत्यापन

मैं, ...(अपीलकर्ता का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी.....
एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि अपील में दिये गये विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैंने किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं है।

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान.....तिथि.....

अनुसंलग्नक के रूप में जमा किये गये प्रलेख—

1.....

2.....

.....यहाँ फाड़े.....

पावती

संख्या तिथि

अनुसंलग्नक फॉर्म के साथ प्राप्त अपील ज्ञापन

स्थान तिथि

अधिकृत अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर

आदेश से (नगर निगम वाराणसी)

(नगर आयुक्त/महाप्रबन्धक जलकल की मुहर और हस्ताक्षर)

आदेश से (नगर निगम वाराणसी)

परिशिष्ट-10

संदर्भित दस्तावेज—

(इन आदर्श उपविधियों की रचना निम्नलिखित अधिनियमों व अन्य राज्य की उपविधियों का अध्ययन करके किया गया है)

निकाय द्वारा मार्ग दर्शन के लिए निम्नलिखित प्रलेखों के नवीनतम संस्करण का उपयोग किया जा सकता है—

- 1— उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916
- 2— उत्तर प्रदेश सेप्टेज प्रबंधन नीति, 2019 नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
- 3— बिजनौर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन उपविधि, 2022, कार्यालय राजपत्र प्रयागराज, उत्तर प्रदेश सरकार।
- 4— सलाहकार नोट: शहरी भारत में सेप्टेज प्रबंधन, 2013, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- 5— उत्तर प्रदेश में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश, 2018, शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
- 6— एकीकृत फीकल स्लज एवं सेप्टेज, सेप्टेज और अपशिष्ट जल प्रबंधन रणनीति सह दिशानिर्देश, 2019, चुनार नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश
- 7— आईएस: 2470-1985, सेप्टिक टैंक की स्थापना और सेप्टिक टैंक के प्रवाह के निस्तारण के लिए भारतीय मानक संहिता, भारतीय मानक ब्यूरो,
 - (क)— (भाग-I) डिजाइन शर्तें और निर्माण
 - (ख)— (भाग-II) द्वितीयक उपचार और सेप्टिक टैंक के तरल पदार्थ का निस्तारण।
- 8— सीवरेज और मलजल उपचार प्रणाली पर मैनुअल, 2013, केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और पर्यावरण संगठन, भारत सरकार।
- 9— बिना नेटवर्क तकनीकी पर मेन्यू, 2019, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली।
- 10— फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2017, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।
- 11— राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति, 2008, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- 12— फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के उपविधि, 2020, सेप्टेज प्रबंधन के लिए उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल।
- 13— फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर नीति, 2018, तेलंगाना सरकार।

14— तमिलनाडु सरकार का राजपत्र, 2022, फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर उपविधि।

15— सेप्टेज प्रबंधन प्रैक्टिशनर गाइड, 2017, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र।

16— सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, 2018, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

17— फीकल स्लज एवं सेप्टेज/सेप्टेज, 2019, के लिए उथली और गहरी खाइयों पर तकनीकी नोट जल, स्वच्छता एवं स्वच्छता संस्थान, नई दिल्ली

18— प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन ऐक्ट, 2013 कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार

नगर आयुक्त,
नगर निगम, वाराणसी।

कार्यालय, नगर पंचायत इगलास अलीगढ़

18 फरवरी, 2026 ई0

सं0 509/न0पं0इ0/2025-26—नगर पंचायत इगलास ने अपनी सीमान्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विभाग एतद्वारा ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था के अपशिष्ट (फीकल स्लज, सेप्टेज और अपशिष्ट जल) के डी-स्लजिंग परिवहन एवं ट्रीटमेंट तत्संबंधी और प्रासंगिक अथवा आनुषंगिक मामलों के लिए निम्नलिखित उपनियमावली (विनियम) बनाती है। उपविधियों का प्रारूप यथा अपेक्षा अनुसार सभी नगर निवासियों को आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। इसके सम्बन्धित कोई भी आपत्तियां एवं सुझाव हों तो वह 30 दिवस के अन्दर अधिशासी अधिकारी को सम्बोधित करते हुए इस कार्यालय को प्रेषित किये जा सकते हैं। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा जो नियत तिथि तक प्राप्त होगी, निर्धारित अवधि समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों एवं सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। यदि निर्धारित समय के भीतर कोई भी आपत्ति नगर पंचायत कार्यालय पर प्राप्त नहीं होती है तो इसी प्रकाशन को ही अन्तिम प्रकाशन माना जायेगा, के सम्बन्धित प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र प्रावदा दैनिक व भारत संवाद में दिनांक 13 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित कर आपत्तियों एवं सुझाव आमंत्रित किये गये थे, परन्तु निर्धारित अवधि के अन्दर कोई आपत्ति एवं सुझाव इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुये। जिसे निकाय द्वारा अपनी बोर्ड बैठक दिनांक 02 अगस्त, 2025 के प्रस्ताव संख्या 03 के द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है।

अतः नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298(1), 300(1) व 301 के प्राविधानुसार नगर पंचायत इगलास, अलीगढ़ की इगलास फीकल स्लज, सेप्टेज एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन (F.S.S.W.M.) विनियम, 2025 अन्तिम रूप से सरकारी गजट में प्रकाशित करायी जा रही है, जो सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से नगर पंचायत इगलास, अलीगढ़ सीमान्तर्गत लागू होगी।

अध्याय-1

प्रारम्भिक—

1— लघु-शीर्षक और प्रारम्भ—

i— इन विनियमों को “इगलास फीकल स्लज, सेप्टेज एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन (F.S.S.W.M.) विनियम, 2025” कहा जायेगा।

ii— ये विनियम उत्तर प्रदेश के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से इगलास नगर पंचायत की प्रशासनिक सीमा के भीतर लागू होंगे।

2— परिभाषाएँ—

i- “**एक्सेस कवर**” से तात्पर्य है— निरीक्षण सफाई और अन्य रख-रखाव कार्यों के लिए ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था (O.S.S.) तक पहुंच के लिए प्रयुक्त खुले हिस्से पर उपयुक्त ढक्कन।

ii- **न0पं0इगलास में “पंजीकृत वैक्यूम टैंकर”** से तात्पर्य है— राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए विधिवत पंजीकृत वैक्यूम टैंकर, जिसका न0पं0इगलास द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज (एफ0एस0एस0) के डी-स्लजिंग, परिवहन और निपटान के लिए निरीक्षण और पंजीकरण किया गया हो।

iii- “**विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली (ADWWT)**” एक ऐसी एप्रोच है जिसमें व्यक्तिगत घरों, आवासीय सोसायटियों, अलग-अलग पड़े समुदायों, उद्योगों, संस्थानों या सृजन स्थल के समीप से अपशिष्ट जल के संग्रहण, ट्रीटमेंट और निपटान/पुनः उपयोग शामिल है। डी.डब्ल्यू.डब्ल्यू.टी से अपशिष्ट जल के तरल, ठोस, दोनों भागों का उपचार किया जाता है।

iv- “**निर्दिष्ट अधिकारी**” से तात्पर्य है— “**न0पं0इगलास**” का ऐसा अधिकारी, जिसे अधिशासी अधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी करने या उसे निर्दिष्ट किये गये किसी अन्य कार्य के निष्पादन के लिए अधिकृत किया गया है।

v- “**डी-स्लजिंग**” से लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर अथवा न0पं0इगलास के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता व्यवस्था (O.S.S.) से एफ0एन0एस0 को खाली करने का काम अभिप्रेत है

vi- “**निपटान**” से एफ0एस0एन0 का किसी अधिसूचित स्थान पर परिवहन और प्रवाहित करना/ले जाने का काम अभिप्रेत है।

vii- “**उत्प्रवाही**” किसी ओएसएस से स्रावित द्रव्य है। सेप्टेज से निकलने वाले द्रव्य को भी उत्प्रवाही कहा जाता है।

viii- “**फीकल स्लज**” से ओएसएस की नीचे बैठी सामग्री अभिप्रेत है। फीकल स्लज के लक्षणों को मोटे तौर पर घर-दर-घर, शहर-दर-शहर और देश-दर-देश भिन्न किया जा सकता है। फीकल स्लज की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताएं भंडारण की अवधि, तापमान, मिट्टी की दशा, स्वच्छता व्यवस्था (O.S.S.) में भूजल या सतही जल का प्रवेश, डी-स्लजिंग तकनीक और पैटर्न से प्रभावित होती है।

ix- “**फीकल स्लज व सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट (A.F.S.S.T.P.)**” सुरक्षित निपटान और पुनः उपयोग के लिए ठोस एवं तरल भागों का विनिर्धारित मानकों तक ट्रीटमेंट करने के लिए एक स्वतंत्र एफ0एस0एस0 ट्रीटमेंट सुविधा है। इससे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस0टी0पी0) भी अभिप्रेत किया जा सकता है अगर वहां फीकल स्लज/सेप्टेज को सीवेज के साथ को-ट्रीट किया जाता है।

x- “**लाइसेंस**” से तात्पर्य है— **न0पं0 इगलास** किसी व्यक्ति को दी गई लिखित अनुमति, जिसका उद्देश्य फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (**F.S.S.M.**) की सेवाओं का निर्वहन करना है जिसमें न0पं0 इगलास के निर्दिष्ट अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत उद्देश्य, सत्र, नाम और पता, मार्ग आदि का उल्लेख किया गया हो।

xi- “**लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर**” से तात्पर्य है— डी-स्लजिंग करने और अधिसूचित स्थान पर एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति।

xii- “**अधिसूचित स्थान**” से तात्पर्य है— एफ0एस0एस0 पहुंचाने और निपटान का स्थान जिसे न0पं0इगलास द्वारा परिभाषित और निर्धारित किया गया है।

xiii- “**ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था (O.S.S.)**” ऐसी स्वच्छता तकनीक/व्यवस्था, जिसमें मलमूत्र एकत्रित/ट्रीट किया जाता है जहां पर वह उत्पन्न होता है।

xiv- “**प्रचालक**” से तात्पर्य है— एफ0एस0एस0 के डी-स्लजिंग, परिवहन अथवा ट्रीटमेंट का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति।

xv— “व्यक्ति” प्रासंगिक कानूनों के तहत शामिल एक व्यक्ति, एक एजेंसी, एक ट्रस्ट, एक समाज, एक फर्म अथवा एक कंपनी, व्यक्तियों का एक संगठन अथवा व्यक्तियों का एक निकाय शामिल है, चाहे वह निगमित हो या नहीं।

xvi— “शेड्यूल्ड डी-स्लजिंग” सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग आर्गेनाइजेशन (सीपीएचईओ) की सिफारिशों के आधार पर 2-3 वर्ष के अंतराल पर ओ0एस0एस0 को नियमित रूप से खाली करने की प्रक्रिया।

xvii— “सेप्टेज” सेप्टिक टैंक से डी-स्लज किया गया फीकल स्लज है।

xviii— “सीवेज” अपशिष्ट जल है जिसे सीवरों के जरिये एक से दूसरे स्थान ले जाया जाता है।

xix— “सीवर” से तात्पर्य है— समुदाय के अपशिष्ट जल, जिसे अन्यथा सीवेज कहा जाता है, को प्रवाहित करने के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराई गई भूमिगत पाईप लाईन।

xx— “सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीटमेंट प्लांट” से तात्पर्य है— वह स्थान जहां सीवेज को सुरक्षित निपटान और पुनःउपयोग के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार ट्रीट किया जाता है।

xxi— “कार्यबल” से तात्पर्य है— शहर में अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित शहरी स्वच्छता कार्यबल समिति के सदस्यों का उनके सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, समाज के अन्य प्रतिष्ठित लोगों शिक्षकों द्वारा सह-चयन किया जा सकता है।

xxii— न0पं0 इगलास के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मी से तात्पर्य है— राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए विधिवत पंजीकृत वैक्यूम टैंकर, जिसका न0पं0 इगलास द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज (एफ0एस0एस0) के डी-स्लजिंग, परिवहन और निपटान के लिए निरीक्षण और पंजीकरण किया गया हो।

xxiii— “परिवहन” से तात्पर्य है— (N.P.H.) पंजीकृत वैक्यूम टैंकर से एफ0एस0एस0 को डी-स्लजिंग के स्थान से किसी अधिसूचित स्थान तक सुरक्षित तरीके से ले जाना।

xxiv— “ट्रीटमेंट” से तात्पर्य है— प्रदूषण को कम करने या उसकी रोकथाम के लिए एफ0एस0एस0/सीवेज/अपशिष्ट जल के भौतिक, रासायनिक, जैविक और रेडियोधर्मी लक्षणों में परिवर्तन करने के लिए बनाई गई कोई वैज्ञानिक विधि या प्रक्रिया,

xxv— “वैक्यूम टैंकर” एक ऐसा वाहन है जिसमें एफ0एस0एस0 को ओएसएस से वायु द्वारा खींचने के लिए बनाया गया पंच व टैंक होता है। इन वाहनों का उपयोग डी-स्लज किये गये एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए भी किया जाता है।

xxvi— “अपशिष्ट जल” से तात्पर्य है— घरेलू/व्यवसायिक मानव गतिविधि से आने वाला तरल अपशिष्ट जिसमें शौचालय, रसोईघर और साफ-सफाई की गतिविधि शामिल है, किंतु विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधि से आने वाला अपशिष्ट शामिल नहीं है। आमतौर पर, यह मलजल बरसाती जल (स्टॉर्म वॉटर) के लिए बनी नालियों से प्रवाहित किया जाता है, इस प्रकार इसमें बरसाती जल भी शामिल होता है। इन विनियमों में प्रयुक्त और इन विनियमों में अपरिभाषित और यहां इसमें ऊपर अपरिभाषित किंतु समय-समय पर लागू अधिनियम अथवा किसी अन्य कानून में परिभाषित अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों से क्रमशः अधिनियम या कानून में निर्दिष्ट अर्थ अभिप्रेत होगा और ऐसा न होने पर उनसे जल आपूर्ति और सीवेज ट्रीटमेंट/निपटान उद्योग में सामान्यतः समझा जाने वाला अर्थ अभिप्रेत होगा।

अध्याय-2

अपशिष्ट जल प्रबंधन—

3— परिसर के अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निपटान— प्रत्येक संपत्ति मालिक/धारक (आवासीय और वाणिज्यिक, प्रस्तावित या मौजूदा सहित किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा

(होगी) कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल का निम्नलिखित में से किसी एक या एकाधिक तरीकों से ट्रीटमेंट अथवा निपटान किया जाता है, अर्थात्

i— यदि परिसर की सीमा से सीवर 30 (तीस) मीटर के भीतर या यथा व्यवहार्य किसी अन्य दूरी पर उपलब्ध है, संपत्ति को शुल्क (यदि कोई हो) के भुगतान पर और यथा: अपेक्षित अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने पर सीवरेज प्रणाली से जोड़े।

ii— अपशिष्ट जल को बी0एन0पी0पी0 द्वारा अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र ट्रीटमेंट सुविधा में प्रवाहित किया जाये।

iii— जिस संपत्ति से प्रतिदिन 10 हजार लीटर से अधिक अपशिष्ट जल उत्पन्न होता है और जिसके परिसर के भीतर 500 वर्ग मीटर से अधिक हरित क्षेत्र है, वहां एक डी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0टी0 संस्थापित करेगा ताकि संपत्ति में उत्पन्न अपशिष्ट का ट्रीटमेंट किया जा सकें। संपत्ति मालिक/मालकिन, ट्रीटेड अपशिष्ट जल का बागवानी/फलशिंग के लिए पुनः उपयोग कर, इस प्रकार ताजे जल पर निर्भरता को कम करना सुनिश्चित करेगा।

iv— परिसर का अपशिष्ट जल ओ0एस0एस0 में डिस्चार्ज हो रहा हो जिसका कोई आउट-लेट न हो।

अध्याय-3

ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्थाएं—

4— ओ0एस0एस0 का डिजाइन, निर्माण और रख-रखाव—

i— ओ0एस0एस0 का डिजाइन, निर्माण और इसकी संस्थापना समय-समय पर यथा: अशोधित “मैनुअल ऑन सीवरेज एण्ड सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम, 2013, सी0पी0एच0ई0ई0ओ0” के प्रावधानों के अनुसार अथवा न0पं0 इगलास या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गये किसी अन्य स्वीकृत मजबूत इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अनुसार होंगे।

ii— ओ0एस0एस0 से जुड़ी संपत्ति का मालिक/धारक, उससे निकलने वाले एफ0एस0एस0 की देखरेख, रख-रखाव और सुरक्षित निपटान के लिए उत्तरदायी होगा।

iii— परिसर का मालिक/धारक न0पं0 इगलास द्वारा यथा निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2-3 वर्ष) में डी-स्लजिंग कराएगा।

iv— परिसर का मालिक/धारक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके ओ0एस0एस0 में खराबी अथवा गलत निर्माण के कारण एफ0एस0एस0 के खुले क्षेत्र में सीधे प्रवाह या नाली में प्रवाहित होने के कारण पर्यावरण में कोई प्रदूषण न हो।

v— परिसर का मालिक/धारक यह सुनिश्चित करेगा कि लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या न0पं0 इगलास के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मी के द्वारा पर्याप्त सुरक्षित उपायों को अपनाते हुए ओ0एस0एस0 को यांत्रिक रूप से साफ किया जाए और इस प्रयोजन के लिए कोई मैनुअल सफाई न की जाए।

vi— न0पं0 इगलास या इसके निर्दिष्ट अधिकारी को गैर-अनुपालन के लिए परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। न0पं0 इगलास परिसर के मालिक/धारक को एक समय सीमा के भीतर अपनी लागत पर फीकल स्लज, सेप्टेज एवं अपशिष्ट जल (F.S.S.W.) के प्रबंधन और निपटान से संबंधित रेट्रोफिटिंग/गैर-अनुपालन में सुधार करने के लिए नोटिस जारी कर सकती है।

vii— न0पं0 इगलास अपने विवेक से, सम्पत्ति मालिक/धारक को रेट्रोफिटिंग/गैर-अनुरूपी प्रणालियों में सुधार करने और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहन दे सकती है।

अध्याय-4

एफ0एस0एस0 के डी.स्लजिंग और परिवहन के लिए पंजीकरण तथा लाइसेंसिंग—

5— न0पं0 इगलास द्वारा लाइसेंस जारी किया जाना—

i— न0पं0 इगलास निजी ऑपरेटर/ऑपरेटरों द्वारा स्वामित्व अथवा किराए पर लिए वैक्यूम टैंकर/टैंकरों का पंजीयन करेगा, जो वर्तमान में इगलास शहर में डी-स्लजिंग की सेवा प्रदान कर रहे हैं।

ii— न0पं0 इगलास अपने कर्मचारियों सहित ऑपरेटरों के लिए इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एण्ड कम्यूनिकेशन (आई0ई0सी0) गतिविधियां करेगी, जहां उन्हें एफ0एस0एस0 को सुरक्षित रूप से डी-स्लज और परिवहन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को नियोजित करने के लिए संवेदनशील और प्रशिक्षित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की अंतिम तिथि के बाद 01 महीने के भीतर किया जायेगा।

iii— एक बार जब ऑपरेटर को लगता है कि वह लाइसेंस के मापदंडों का सफलतापूर्वक अनुपालन करता है, तो वह इन विनियमों के प्रपत्र-1 का उपयोग करते हुए इसके लिए आवेदन करेगा/करेगी। यह प्रशिक्षण पूरा होने के अधिकतम 02 महीने के भीतर किया जायेगा।

iv— न0पं0इगलास एफ0एस0एस0 को डी-स्लज करने और इसके परिवहन के लिए ऑपरेटर को लाइसेंस जारी करेगी।

v— लाइसेंस इन विनियमों के प्रपत्र-2 में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाएगा, और जारी होने की तारीख से एक वर्ष तक वैध होगा, अन्यथा इसे पहले रद्द नहीं किया गया हो, और इसकी समाप्ति पर इसे नवीनीकृत किया जा सकेगा, जो कि लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा नियम और शर्तों की पूर्ति और निर्धारित शुल्क के भुगतान के आधार पर होगा।

vi— न0पं0इगलास आवेदक के स्वामित्व या किराए पर लिए गये वैक्यूम टैंकर/टैंकरों को पंजीकृत करेगी। न0पं0इगलास अपनी संतुष्टि के लिए वाहन का निरीक्षण करेगी। न0पं0इगलास को उन वाहनों के पंजीकरण को अस्वीकार करने या रद्द करने का अधिकार है जिनके विषय में न0पं0इगलास मानती है कि इन विनियमों के अनुच्छेद-15 में उल्लिखित मापदंडों को पूरा नहीं किया गया हो अथवा जो शहर की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है।

6— लाइसेंस जारी करने हेतु मापदंड—

i— लाइसेंस प्राप्त करने के लिए योग्य आवेदक से तात्पर्य इन नियमों के अनुच्छेद-2(xv) में परिभाषित “व्यक्ति” है।

ii— आवेदक के पास उचित वैक्यूम/सेक्शन और डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव-रहित (लीक-प्रूफ), गंध और छलकल-रोधी (स्पिल-प्रूफ) वैक्यूम टैंकर स्वामित्व में अथवा किराए पर होना/होने चाहिए।

iii— इगलास में परिचालन किए जाने के लिए वाहन के पास परिवहन विभाग का वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।

iv— आवेदक न0पं0इगलास के साथ अपने वैक्यूम टैंकर/टैंकरों को पंजीकृत करेगा।

v— परिसर का मालिक/धारक यह सुनिश्चित करेगा कि लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या न0पं0इगलास के प्रशिक्षित स्वच्छता कमी के द्वारा पर्याप्त सुरक्षित उपायों को अपनाते हुए ओ०एस०एस० को यांत्रिक रूप से साफ किया जाए और इस प्रयोजन के लिए कोई मैनुअल सफाई न की जाए।

vi— न0पं0इगलास या इसके निर्दिष्ट अधिकारी को गैर-अनुपालन के लिए परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। न0पं0इगलास परिसर के मालिक/धारक को एक समय सीमा के भीतर अपनी लागत पर फीकल स्लज, सेप्टेज एवं अपशिष्ट जल (F.S.S.W.) के प्रबंधन और निपटान से संबंधित रेड्रोफिटिंग/गैर-अनुपालन में सुधार करने के लिए नोटिस जारी कर सकती है।

vii— न0पं0इगलास अपने विवेक से. सम्पत्ति मालिक/धारक को रेट्रोफिटिंग/गैर-अनुरूपी प्रणालियों में सुधार करने और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहन दे सकती है।

अध्याय-4

एफ0एस0एस0 के ही स्लजिंग और परिवहन के लिए पंजीकरण तथा लाइसेंसिंग—

5— न0पं0इगलास द्वारा लाइसेंस जारी किया जाना—

i. न0पं0इगलास निजी ऑपरेटर/ ऑपरेटरों द्वारा स्वामित्व अथवा किराए पर लिए वैक्यूम टैंकर/ टैंकरों का पंजीयन करेगा, जो वर्तमान में इगलास शहर में डी-स्लजिंग की सेवा प्रदान कर रहे हैं।

ii. न0पं0इगलास अपने कर्मचारियों सहित ऑपरेटरों के लिए इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एण्ड कम्यूनिकेशन (आई0ई0सी0) गतिविधियां करेगी, जहां उन्हें एफ0एस0एस0 को सुरक्षित रूप से डी-स्लज और परिवहन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को नियोजित करने के लिए संवेदनशील और प्रशिक्षित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की अंतिम तिथि के बाद 01 महीने के भीतर किया जायेगा।

iii. एक बार जब ऑपरेटर को लगता है कि यह लाइसेंस के मापदंडों का सफलतापूर्वक अनुपालन करता है, तो वह इन विनियमों के प्रपत्र-1 का उपयोग करते हुए इसके लिए आवेदन करेगा/ करेगी। यह प्रशिक्षण पूरा होने के अधिकतम 02 महीने के भीतर किया जायेगा।

iv. न0पं0इगलास एफ0एस0एस0 को डी-स्लज करने और इसके परिवहन के लिए ऑपरेटर को लाइसेंस जारी करेगी।

v. लाइसेंस इन विनियमों के प्रपत्र-2 में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाएगा, और जारी होने की तारीख से एक वर्ष तक वैध होगा, अन्यथा इसे पहले रद्द नहीं किया गया हो, और इसकी समाप्ति पर इसे नवीनीकृत किया जा सकेगा, जो कि लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा नियम और शर्तों की पूर्ति और निर्धारित शुल्क के भुगतान के आधार पर होगा।

vi. न0पं0इगलास आवेदक के स्वामित्व या किराए पर लिए गये वैक्यूम टैंकर/टैंकरों को पंजीकृत करेगी। न0पं0इगलास अपनी संतुष्टि के लिए वाहन का निरीक्षण करेगी। न0पं0 इगलास को उन वाहनों के पंजीकरण को अस्वीकार करने या रद्द करने का अधिकार है जिनके विषय में न0पं0इगलास मानती है कि इन विनियमों के अनुच्छेद-15 में उल्लिखित मापदंडों को पूरा नहीं किया गया हो अथवा जो शहर की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है।

6— लाइसेंस जारी करने हेतु मापदंड—

i. लाइसेंस प्राप्त करने के लिए योग्य आवेदक से तात्पर्य इन नियमों के अनुच्छेद-2 (xv) में परिभाषित "व्यक्ति" है।

ii. आवेदक के पास उचित वैक्यूम/सेक्शन और डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव रहित (लीक-प्रूफ), गंध और छलकल-रोधी (स्थिल-प्रूफ) वैक्यूम टैंकर स्वामित्व में अथवा किराए पर होना/होने चाहिए।

iii. इगलास में परिचालन किए जाने के लिए वाहन के पास परिवहन विभाग का वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।

iv. आवेदक न0पं0इगलास के साथ अपने वैक्यूम टैंकर/टैंकरों को पंजीकृत करेगा।

v— आवेदक यह शपथ करेगा कि उसके द्वारा स्वामित्व में अथवा किराए पर लिए गये वैक्यूम टैंकर, इन नियमों के अनुच्छेद-15 में उल्लिखित मापदंडों को पूरा करते हैं।

vi— आवेदक न0पं0इगलास अथवा न0पं0इगलास द्वारा नियुक्त एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए श्रमिकों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करने का कार्य करेगा।

vii— आवेदक सुरक्षा गियरों और अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (पी0पी0ई0) के साथ श्रमिकों को लैस करने का कार्य करेगा, जो कि अधिसूचित स्थानों से एफ0एस0एस0 के सुरक्षित रूप से डी-स्लज, परिवहन और निपटान करने के लिए जरूरी होगा। ये आवश्यक पी0पी0ई0 इस विनियम के परिशिष्ट में उल्लिखित सूची के अनुसार होगा।

7— लाइसेंस के लिए आवेदन— एफ0एस0एस0 के डी-स्लज, परिवहन और निपटान के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन, इसके नियम और शर्तों सहित इन विनियमों के प्रपत्र-1 के रूप में संलग्न निर्धारित प्रारूप में और न0पं0इगलास के निर्दिष्ट अधिकारी/अधिकारियों द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

8— लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए आवेदकों को आमंत्रण— बी0एन0पी0पी0 अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख समाचार-पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समय-समय पर, सम्भावित आवेदकों को लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए आमंत्रित करने के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार करेगी।

9— लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क— न0पं0इगलास लाइसेंस प्रदान करने के लिए, आवेदन को प्रक्रियागत करने हेतु समय-समय पर निर्धारित आवेदन-शुल्क प्रभावित कर सकती है। यह शुल्क गैर-वापसी योग्य होगा और इसे इलैक्ट्रॉनिक रूप से अथवा न0पं0इगलास के पक्ष में डिमांड-ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जा सकता है।

10— परफॉरमेंस गारंटी— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर, बैंक गारंटी के तौर पर परफॉरमेंस गारंटी की निर्धारित राशि जमा करेगा जैसा कि न0पं0इगलास द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो, जिसे विनियमों के तहत किसी भी उल्लंघन के मामले में जब्त कर लिया जायेगा।

11— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर का प्रचार— न0पं0 इगलास समय-समय पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर/ऑपरेटरों को अपनी वेब-साइट पर और प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार प्रदान करेगी।

12— जागरूकता अभियान— न0पं0इगलास इन नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी, साथ ही साथ एफ0एस0एस0 को डी-स्लज, परिवहन और निपटान हेतु केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को संलग्न करने की आवश्यकता के बारे में भी जागरूक करेगी।

अध्याय-5

एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग एवं परिवहन—

13— संपत्ति का मालिक/धारक केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को ही संलग्न करेगा—

i— एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग और परिवहन के लिए न0पं0इगलास के लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों या न0पं0इगलास के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों की सेवाओं को संलग्न करना संपत्ति के प्रत्येक मालिक/धारक का कर्तव्य होगा।

ii— मालिक/धारक इस बात की पुष्टि करेगा/करेगी कि डी-स्लजिंग/स्लजों को जारी किया गया लाइसेंस, कार्य के निष्पादन की तारीख तक वैध है। वह इन विनियमों के प्रपत्र-3 में निर्धारित एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग परिवहन एवं निपटान के रिकार्ड फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर भी करेगा/करेगी।

14— एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग एवं परिवहन के लिए शुल्क—

i— एफ0एस0एस0 की डी-स्लज करने और इसके अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए शुल्क को न0पं0इगलास के निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जायेगा।

ii— जब न0पं0इगलास शहर में शेड्यूल्ड डी-स्लजिंग के कार्य को कार्यान्वित करने का निर्णय लेगी, तब डी-स्लजिंग शुल्क को सैनिटेशन चार्ज द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अथवा इसे संपत्ति/जलकर में शामिल किया जा सकता है, जिसे समय-समय पर न0पं0इगलास द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

iii— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर समय-समय पर न0पं0इगलास द्वारा अधिसूचित राशि से अधिक, संपत्ति के मालिक/धारक से कोई राशि बसूल नहीं करेगा/करेगी।

iv— एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए अधिसूचित शुल्क के अधिक किसी भी शुल्क की मांग, लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को उनके लाइसेंस रद्द किये जाने के लिए जिम्मेदार बनाएगा और इन विनियमों के उल्लंघन के लिए उन पर निर्धारित जुर्माना लगाया जायेगा।

15— एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए वाहन—

i— एफ0एस0एस0 को केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर/ऑपरेटरों या न0पं0इगलास के प्रशिक्षित स्वच्छता कार्मियों द्वारा ही डी-स्लज एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन किया जायेगा।

ii— वैक्यूम टैंकर/टैंकरों को 6 महीने की अवधि के लिए पंजीकृत किया जा सकता है, भले ही सभी आवश्यक शर्तें पूरी न की गई हो। ऐसे मामलों में, सम्बन्धित ऑपरेटर को इस निश्चित समय-सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को अपग्रेड करना होगा।

iii— एफ0एस0एस0 के सुरक्षित और कुशल परिवहन के लिए वाहनों को केवल निर्दिष्ट मार्गों (जैसा कि समय-समय पर न0पं0इगलास द्वारा चिन्हित किया जायेगा) पर ही चलना होगा।

iv— एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले वाहन पर न0पं0इगलास द्वारा जारी किये गये ऑपरेटर लाइसेंस एवं पंजीकरण की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।

v— वैक्यूम टैंकर को पीले रंग से रंगा जायेगा तथा लाल रंग में “सेप्टिक टैंक वेस्ट” (SEPTIC TANK WASTE) (अंग्रेजी में) व “मलकुंड अपशिष्ट” (हिन्दी में) लिखकर (सावधानियों को) चिन्हित किया जायेगा।

vi— एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक वाहन में एक जी0पी0एस0 उपकरण लगाया जायेगा, और निर्दिष्ट अधिकारी और न0पं0इगलास द्वारा अधिसूचित एजेंसी को ऐसे वाहनों के ट्रैकिंग के लिए इसके एक्सेस/पहुंच अधिकार दिये जायेंगे।

16— परिवहन के दौरान सावधानियां— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि डी-स्लजिंग के स्थान से निपटान के अधिसूचित स्थान के बीच परिवहन के दौरान एफ0एस0एस0 का कोई रिसाव/छलकाव नहीं हो।

17— दुर्घटना के मामले में सुरक्षात्मक उपाय— एफ0एस0एस0 को डी-स्लजिंग के स्थान से निपटान के अधिसूचित स्थान के बीच परिवहन के दौरान प्रदूषण से बचने के लिए आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित किया जायेगा।

18— दुर्घटना के होने पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर की जिम्मेदारी/देयता— किसी भी दुर्घटना या आपदा के होने की स्थिति में किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति या पर्यावरण को हुये किसी भी नुकसान के लिए लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर पूरी तरह से और पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगा/होगी और पीड़ितों/उनके कानूनी वारिसों को अपने स्वयं के खर्चे पर किसी भी क्षतिपूर्ति/मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी यदि इसे किसी प्राधिकरण/न्यायालय द्वारा प्रभारित किया गया है।

19— तैनात कर्मी/कर्मियों के लिए सुरक्षा-उपाय— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर सभी सुरक्षा उपायों को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें हाथ चालित गैस-डिटेक्टर, गैस-मास्क, सुरक्षात्मक गियर, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन-मास्क और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि शामिल हैं, और ऐसे अन्य उपायों को प्रदान करने के लिए भी जिन्हें इन विनियमों के साथ-साथ “हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013” में तथा इसके अधीन बनाए गये नियमों में निर्दिष्ट किया गया है।

20— एफ0एस0एस0 का निपटान—

i— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर समय-समय न0पं0इगलास द्वारा अधिसूचित स्थानों पर ही एफ0एस0एस0 का निपटान करेगा/करेगी।

ii— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर विधिवत् तौर पर भरा और हस्ताक्षरित किया एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग परिवहन एवं निपटान का रिकॉर्ड फॉर्म न0पं0इगलास के निर्दिष्ट अधिकारी को जमा करेगी/करेगी।

21— कर्मी/कर्मियों का प्रशिक्षण— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर एफ0एस0एस0 के डी-स्लजिंग, परिवहन और निपटान में तैनात कर्मी/कर्मियों के आवधिक प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार होगा/होगी।

22— कर्मी/कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा/होगी कि प्रत्येक कर्मी/कर्मियों की, जिन्हें ऐसे कार्य में नियोजित किया गया है, प्रति वर्ष कम से कम दो बार स्वास्थ्य जांच की जाती हो और इसका प्रलेख न0पं0इगलास को प्रस्तुत किया जाता हो, ऐसा नहीं किए जाने

पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ऐसे जुर्माना/अर्थदण्ड देने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी जैसा कि समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है।

23— बीमा— एफ0एस0एस0 को डी-स्लज, परिवहन करने और निपटान की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा तैनात कर्मियों को पीड़ितों/उनके कानूनी वारिसों को “हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम-2013” और 2003 की रिट याचिका संख्या-583 (सफाई कर्मचारी आंदोलन एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य) में अपेक्स कोर्ट के आदेश दिनांक 27 मार्च, 2014 के तहत मुआवजा देने के लिए बीमा किया जायेगा।

24— लाइसेंस रद्द करना— इन विनियमों सहित “हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम-2013” के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ऐसे जुर्माना/अर्थदंड देने के लिये उत्तरदायी होगा/होगी जैसा कि समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो, जिसमें लाइसेंस को रद्द करना और कार्यबल या निर्दिष्ट अधिकारी/अधिकारियों की सिफारिश के अनुसार परफॉर्मेंस गारंटी को जब्त करना शामिल है।

अध्याय-6

एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 के उपचार एवं पुनःउपयोग/निपटान

25— उपचार/निपटान स्थल/स्थलों की पहचान— न0पं0इगलास ऐसे स्थान/स्थानों की पहचान करेगी और अधिसूचित करेगी, जहां एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों या न0पं0इगलास के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा उपचार/निपटान किया जायेगा।

26— एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 की प्राप्ति हेतु अधोसंरचना का सृजन— न0पं0इगलास आवश्यक बुनियादी अधोसंरचना तैयार करेगी और पंजीकृत वाहन/वाहनों द्वारा लाये गये एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 के उपचार/निपटान की सुविधा के लिए अधिसूचित स्थान/स्थानों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगी।

27— एफ0एस0एस0 प्राप्त करने के लिए कर्मियों की तैनाती— प्रत्येक अधिसूचित स्थान/स्थानों पर एफ0एस0एस0 प्राप्त करने और इसे संबंधित उपचार सुविधा में स्थानांतरित करने हेतु बी0एन0पी0पी0 पर्याप्त संख्या में कर्मियों को तैनात करेगी।

28— एफ0एस0एस0 प्राप्ति का समय— न0पं0इगलास द्वारा समय-समय पर अधिसूचित घंटे के दौरान प्रत्येक अधिसूचित स्थान/स्थानों पर न0पं0इगलास के तैनात कर्मियों द्वारा एफ0एस0एस0 प्राप्त किया जायेगा।

29— औद्योगिक अपशिष्टों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए— औद्योगिक अपशिष्ट युक्त एफ0एस0एस0 को अधिसूचित स्थान/स्थानों पर अनुमति नहीं दी जायेगी।

30— एफ0एस0एस0एम0 में प्रशिक्षण— बी0एन0पी0पी0 द्वारा अधिसूचित स्थान/स्थानों पर तैनात कर्मियों को एफ0एस0एस0 प्राप्त करने और उपचार/निपटान के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा।

31— उपचारित एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 का पुनः उपयोग—i न0पं0इगलास किसानों को अनुपचारित एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 के कृषि अनुप्रयोग से होने वाले स्वास्थ्य और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगी और एफ0एस0एस0टी0पी0 से उपचारित एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

ii— न0पं0 इगलास शहर में डी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0टी0 से उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग बागवानी और किसी अन्य उद्देश्य के लिए करेगी, जिसमें ताजे पानी के बदले में इसका उपयोग किया जा सकता है।

iii— किसी भी निर्माण गतिविधि के परियोजना प्रस्तावक परियोजना के आसपास के क्षेत्र (01 किमी के दायरे) में उपलब्ध किसी भी उपचारित अपशिष्ट-जल का उपयोग निर्माण गतिविधियों के लिये करेंगे। केवल उपचारित अपशिष्ट-जल की अपर्याप्त उपलब्धता/अनुपलब्धता के मामलों में, प्रस्तावक अन्य उपलब्ध विकल्पों का पता लगाने और इस हेतु अनुमोदन लेने के लिए न0पं0इगलास से परामर्श करेगा।

अध्याय-7

प्रशासनिक नियंत्रण और प्रवर्तन

32— प्रशासनिक नियंत्रण और प्रवर्तन—

i— इन नियमों के प्रशासनिक और प्रवर्तन अधिकार अधिशासी अधिकारी या निर्दिष्ट अधिकारी के पास निहित है, जिन्हें विधिवत तौर पर अधिशासी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

ii— डी-स्लजिंग, परिवहन या उपचार की सेवायें प्रदान करने के लिए न0पं0इगलास समय-समय पर उपयोगकर्ता शुल्क निर्धारित और अधिसूचित कर सकती है। इसकी लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं हेतु भुगतान करना होगा।

33— निरीक्षण के लिए विशेष अधिकार— इन विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रवर्तन के उद्देश्य से के पास किसी भी समय किसी भी परिसर, परिवहन वाहनों और एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 उपचार सुविधा के निरीक्षण का अधिकार होगा।

34— उल्लंघन और दंड—i इन नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के दोषी किसी भी व्यक्ति को इसके अनुपालन के लिए नोटिस जारी किया जायेगा।

ii— (कोई भी व्यक्ति इन नियमों के तहत दंडात्मक प्रावधानों के लिए जिम्मेदार होगा (होगी), यदि ऐसा व्यक्ति— (क) उल्लंघन करता है अथवा इन नियमों के किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है, (ख) न विनियमों के तहत किसी भी अधिकार के निर्वहन अथवा किसी भी कर्तव्य के अनुपालन में उसे सौंपे गये अधिकार के तहत कार्य करने वाले न0पं0इगलास के किसी निर्दिष्ट अधिकारी या अन्य अधिकारी के साथ बाधा, रोक या हस्तक्षेप करता है, (ग) किसी भी ओएसएस/सीवर को डी-स्लज करने के लिए हाथ से किये जाने वाले कार्य का सहारा लेता है।

iii— इन नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट में इंगित राशि के साथ और संबंधित कानून के तहत मुकदमा चलाकर दंडित किया जायेगा, और साथ ही एफ0एस0एस0 परिवहन वाहन, एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 उपचार सुविधा या संपत्ति को जब्त किया जायेगा, जैसा भी मामला हो।

iv— जहां कहीं ऐसे किसी भी मामले में जिसमें परिशिष्ट में स्पष्ट रूप से जुर्माना इंगित नहीं किया गया है, दोषी पाये गये व्यक्ति को पांच हजार भारतीय रुपये (रु0 5,000) के जुर्माने के साथ दंडित किया जायेगा और इसके बाद निरंतर उल्लंघन के मामले में एक हजार भारतीय रुपये (रु0 1,000) प्रति दिन की दर से एक अतिरिक्त जुर्माना राशि के साथ ऐसे जारी उल्लंघन के लिए उस अवधि हेतु दंडित किया जायेगा।

v— संदेह के समाधान के लिए, एतद् घोषित किया जाता है कि इन विनियमों में स्पष्ट तौर पर ऐसा कुछ नहीं होने के बावजूद किसी व्यक्ति को किसी भी अन्य संबंधित अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने और दंडित होने से नहीं रोका जा सकता है, जो उस समय लागू हो तथा जिन्हें ऐसे कृत्य अथवा चूक हेतु इन नियमों के तहत दंडनीय किया गया है।

35— अपील— कोई भी व्यक्ति जो इन नियमों के तहत न0पं0इगलास के किसी निर्दिष्ट अधिकारी के निर्णय से व्यथित हो, अधिशासी अधिकारी को ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता/सकती है (इन विनियमों के प्रपत्र-4 में संलग्न प्रारूप में) और यदि निर्णय अधिशासी अधिकारी द्वारा किया गया है, तो अपील उस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर कार्यबल को प्रस्तुत की जायेगी, जिसके विरुद्ध अपील की गई थी।

36— विवाद समाधान उपबंध— कोई भी विवाद, जो इन विनियमों के संचालन के संबंध में उठाया गया हो/उत्पन्न हुआ हो उनका समाधान भारतीय कानूनों के तहत सक्षम न्यायालय द्वारा किया जायेगा और जिनका अधिकार क्षेत्र केवल इगलास शहर होगा।

37— संदर्भ दस्तावेज— नियमों के कार्यान्वयन और निष्पादन की आसानी के लिये, इन नियमों के परिशिष्ट में प्रदान किये गये मानकों, रणनीतियों, मैनुअल, दिशा निर्देशों और नीतियों की सूची को संदर्भित किया जा सकता है, क्योंकि वे समय-समय पर संशोधित किये जायेंगे।

38— राज्य सरकार के निर्देश इन विनियमों के पूरक होंगे— राज्य सरकार न नियमों के प्रवर्तन व निष्पादन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए एफ0एस0एस0डब्ल्यू0एम0 के संबंध में निर्देश जारी कर सकता है।

निबंधन एवं शर्तें—

1— मल कीचड़ और सेप्टेज (एफ0एस0एस0) का संग्रहण एवं परिवहन केवल ऐसे अभिकरण द्वारा किया जायेगा जिनके पास इस उद्देश्य हेतु नगर पंचायत इगलास से जारी किया गया वैध लाइसेंस हो।

2— मल कीचड़ और सेप्टेज उपचार संयंत्र (एफ0एस0एस0टी0पी0) तक एफ0एस0एस0 के संग्रहण एवं परिवहन के लिए किया जाने वाला शुल्क समय-समय पर न0पं0इगलास द्वारा निर्धारित किया जायेगा। कोई भी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ओ0एस0एस0 के मालिक/मालकिन से निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं बसूल करेगा।

3—एफ0एस0एस0 का परिवहन केवल उन अनुमोदित वाहनों से होगा, जिन्हें न0पं0इगलास द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ने अनुमति दी हो।

4— लइसेंस प्राप्त ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि एफ0एस0टी0पी0 तक परिवहन के दौरान एफ0एस0एस0 का कोई रिसाव नहीं हो रहा है।

5— डिस्चार्जिंग बिन्दु से एफ0एस0एस0टी0पी0 तक एफ0एस0एस0 को ले जाने वाले वाहन के चलने के दौरान किसी भी दुर्घटना के होने के कारण प्रदूषण के खतरे का ध्यान रखने के लिए निर्धारित उपकरण लगाया जायेगा।

6—एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले प्रत्येक वाहन में जी0पी0एस0 उपकरण लगाया जायेगा और बी0एन0पी0पी0 और न0पं0इगलास द्वारा अधिसूचित एजेंसी को इसकी पहुंच/एक्सेस का अधिकार ऐसे वाहनों की निगरानी के लिए दिया जायेगा।

7— किसी भी दुर्घटना के होने अथवा आपदा की स्थिति में किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति और पर्यावरण को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए लाइसेंसधारी पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

8— एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।

9— वाहन/टैंकर को पीले रंग से रंगा जायेगा तथा लाल रंग में “सेप्टिक टैंक वेस्ट” (SEPTIC TANK WASTE) (अंग्रेजी में) व “मलकुंड अपशिष्ट” (हिन्दी में) लिखकर (सावधानियों को) चिह्नित किया जायेगा।

10— लाइसेंसधारी एफ0एस0एस0 को केवल निर्दिष्ट एफ0एस0एस0टी0पी0/नामित स्थानों में ही निपटान करेंगे।

11— एफ0एस0एस0टी0पी0 पर एफ0एस0एस0 सभी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक प्राप्त किया जायेगा। लाइसेंसधारी इस तरह से ट्रिप की योजना, बनायेगा, ताकि तय किये गये समयावधि के भीतर टैंक को निर्दिष्ट स्थानों में खाली किया जा सकें।

12— लाइसेंसधारी तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा, जो किसी दुर्घटना की स्थिति में पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए उपाय करने, एफ0एस0एस0 के संग्रहण, परिवहन और निपटान की प्रभावी सेवायें प्रदान करने सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग करने आदि के लिये होगा।

13— लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि प्रत्येक कर्मचारी सदस्य की प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच की जाती हो और लाइसेंस के नवीनीकरण के समय बी0एन0पी0पी0 को इससे संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाये।

14— एफ0एस0एस0 की सफाई, परिवहन और निपटान की प्रक्रिया के दौरान किसी भी दुर्घटना के लिए तैनात कर्मचारियों का लाइसेंसधारी द्वारा बीमा किया जायेगा।

15— इन नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा और लाइसेंसधारी की बयाना-राशि/सुरक्षा-राशि को जब्त कर लिया जायेगा, और साथ ही साथ वह इन नियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित अर्थदंड का भुगतान करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

परिशिष्ट-1**सेप्टिक टैंक का डिजाइन—**

सेप्टिक टैंक स्थापित करने के लिए बीआईएस कार्य संहिता प्रदान करता है आईएस भाग-I सेप्टिक टैंक के निर्माण के लिए यह कुछ मान्यताओं के आधार पर डिजाइन मानदंड प्रदर्शित करता है। छोटे और बड़े क्षेत्रों के लिए यह आबादी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन इंस्टॉलेशन का विवरण प्रदान करता है। केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन एमओएचयू के अनुसंधान प्रभाग द्वारा प्रकाशित सीवरेज और उपचार पर मैनुअल के भाग ए में ओएसएस पर व्यापक डिजाइन मानक दिए गये हैं। प्रचलित और सुरक्षित साइट स्वच्छता के लिए इस खंड में तकनीकों के मानक डिजाइन बताए गये हैं। साथ ही भारत में सेप्टिक टैंक को आमतौर पर काले पानी के लिए ही हाईलाइट किया जाता है।

सेप्टिक टैंक के विनिर्देशन—

आयताकार: लंबाई और चौड़ाई का अनुपात: से

गहराई: सेमी के बीच

दो कक्ष: पहला कक्ष कुल लंबाई का

तीन कक्ष: पहला कक्ष कुल लंबाई का आधा

मशीन छेद मैनहोल: प्रत्येक कक्ष के ऊपर

निर्विवाद टिकाऊ और स्थिर टैंक

सेप्टिक टैंक का अनुशासित आकार—

उपयोगकर्ता की संख्या	लंबाई	चौड़ाई	द्रव की गहराई मी0 (सफाई अंतराल)
1	2	3	4
	मीटर—	मीटर—	दो वर्ष

नोट 1— सेप्टिक टैंक का आकार कुछ अनुमानों (तरल प्रवाह) पर आधारित होता है सेप्टिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटीक गणना की जानी चाहिए।

नोट 2— फी बोर्ड के लिए 300 मिमी का प्रावधान रखना चाहिए।

स्रोत— सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल भाग छ: इंजीनियरिंग सी0पी0एच0ई0ई0ओ0 2012

सेप्टिक टैंक की क्षमता—

टैंक की क्षमता फीकल स्लज निकासी की अवधि को समझने में उपयोगी होती है सेप्टिक टैंक की क्षमता मापने में निम्नलिखित प्रमुख बिंदु हैं

1— अवसादन (सेडिमेंटेशन)— निलंबित ठोस पदार्थों के पर्याप्त अवसादन के लिए प्रत्येक 10 ली/मिनट की पीक दर से प्रवाह के लिए 0.92 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। आमतौर पर अवसादन क्षेत्र की गहराई 0.3 मीटर होती है।

2— फीकल स्लज डाइजेशन— डेरेजेशन जोन की क्षमता प्रति कैपिटा 0.032 होनी चाहिए।

3— फीकलस्लज और मलभंडारण— फीकल स्लज सफाई के 1 साल के अंतराल के लिए एक फीकल स्लज भंडारण क्षमता $0.0002 \times 365 = 0.073 \text{ m}^3/\text{कैपिटा}$ की आवश्यकता होती है।

परिशिष्ट-2

नगर पंचायत इगलास में फीकल स्लज निकासी और सेप्टेज की दुलाई सेवा के लिए उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) की सूची (अनुमानित)

क्रम सं०	श्रेणी	शुल्क की सीमा (प्रतिट्रिप 5000 लीटर तक)
1	2	3
		रुपये—
1	आवासीय	1,000.00
2	व्यवसायिक	1,200.00
3	सरकारी स्कूल/कॉलेज	1,000.00
4	निजी स्कूल/कॉलेज	1,200.00
5	सरकारी कार्यालय	1,000.00
6	होटल रेस्टोरेंट निजी अस्पताल	1,500.00
7	राइस मिल/अन्य मिल व अन्य औद्योगिक संस्थान	1,500.00

स्त्रोत— सेप्टेज प्रबंधन के लिए उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल 2022 से एक संदर्भ लिया गया है।

परिशिष्ट-5

दण्ड और जुर्माना—

{इस विनियम के खंड 3, 4, 5, 6, 17, 18, 25, 26 और 31 को देखें}

क्रम सं०	विवरण	विनियम	सांकेतिक जुर्माना	जुर्माना (रुपये या किसी अन्य दण्डात्मक रूप से कार्यवाही)
1	2	3	4	5
			रुपये	
1.1	नाली/सड़क/खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधे/असुरक्षित निर्वहन	3	50	
1.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	3	50	
1.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	3	15 रु० प्रतिदिन	सम्पत्ति की जब्ती
2.1	ओएसएस का अवैज्ञानिक डिजाइन और निर्माण	4	50	
2.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	4	50	
2.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	4	15 रु० प्रतिदिन	सम्पत्ति की जब्ती
3.1	बीएनपीपी पंजीकरण के बिना वैक्यूम टैंकर (रों) को आपरेट करना	5	50	

1	2	3	4	5
			रुपये	
3.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	5	50	
3.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	5	15 रु० प्रतिदिन	सम्पत्ति की जब्ती
4.1	यातायात नियमों में अनुशंसित वैध प्रमाणीकरण(णों) के बिना वैक्यूम टैंकर(रों) को आपरेट करना	6	50	
4.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	6	50	
4.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	6	15 रु० प्रतिदिन	सम्पत्ति की जब्ती
5.1	आकस्मिक छलकाव (स्पिलेज) पर ध्यान न देने पर गैर.अनुपालन	17.18	1000	
5.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	17.18	1000	
5.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	17.18	100 रु० प्रतिदिन	वाहन की जब्ती
6.1	एफ०एस०एस०टी०पी० / एस०टी०पी० से अनुपचारित एफ०एस०एस०डब्ल्यू० का निर्वहन	25.26.31	1000	
6.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	25.26.31	1000	
6.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	25.26.31	100 रु० प्रतिदिन	सम्पत्ति की जब्ती
7.1	नगर पंचायत इगलास द्वारा अधिसूचित स्थान के अलावा अनुपचारित एफ०एस०एस० का निर्वहन	25.26.31	1000	
7.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	25.26.31	1000	
7.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	25.26.31	1000 रु० प्रतिदिन	वाहन की जब्ती

कमलेश,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत इगलास,
अलीगढ़

कार्यालय, नगर पंचायत इगलास जनपद अलीगढ़

18 फरवरी, 2026 ई०

सं० 509/न०प०इ०/2025-26—नगर पालिका अधिनियम 1916(2) की धारा 298(2) सूची-I एच०एफ० के अधीन नगर पंचायत इगलास जनपद अलीगढ़ ने अपने क्षेत्र के अन्तर्गत विज्ञापन सम्बन्धी उपनियम बनाये हैं। यह उपविधि विज्ञापन विनियमन व नियंत्रण नियमावली वर्ष 2025 कहलायेगी। नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 142 के अधीन प्रकाशन कराकर धारा 143 के अन्तर्गत आपत्तियों एवं सुझाव आमन्त्रित करने हेतु दैनिक समाचार पत्र-प्रावदा

दैनिक व भारत संवाद में दिनांक 13 अक्टूबर 2025 को इस आशय से प्रकाशित कराया गया कि कोई भी व्यक्ति/संस्था अपनी आपत्ति एवं सुझाव निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रेषित कर आपत्ति दर्ज करा सकता है। आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये, परन्तु निर्धारित अवधि 30 दिवस के अन्दर कोई आपत्ति एवं सुझाव इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुये। तदोपरान्त नगर पंचायत इगलास जनपद अलीगढ़ की बोर्ड बैठक दिनांक 02 अगस्त, 2025 के प्रस्ताव संख्या 02 के द्वारा लागू किये जाने हेतु सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

अतः नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298(1), 300(1) व 301 के प्राविधानुसार नगर पंचायत इगलास, अलीगढ़ की विज्ञापन विनियमन व नियंत्रण नियमावली 2025 अन्तिम रूप से सरकारी गजट में प्रकाशित करायी जा रही है, जो सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से नगर पंचायत इगलास, अलीगढ़ सीमान्तर्गत लागू होगी।

विज्ञापन विनियमन व नियंत्रण नियमावली, 2025

1— संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ—

(क)— यह उपविधि नगर पंचायत इगलास अलीगढ़ के सीमा के अंतर्गत (समाचार पत्रों के भिन्न विज्ञापनों) विज्ञापन पर किराया निर्धारण एवं वसूली विनियमन एवं नियमन तथा नियंत्रण नियमावली (उपविधि) 2025 कहलाएगी।

(ख)— यह उपविधि नगर पंचायत इगलास अलीगढ़ द्वारा सरकारी गजट-प्रकाशन में प्रकाशित हो जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

(1)— परिभाषा— इस उपनियम में जब तक विषय अथवा प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो—

(क)— “अधिनियम” से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 से है।

(ख)— “बोर्ड” से नगर पंचायत इगलास, अलीगढ़ के निर्वाचित बोर्ड अथवा शासन द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से है।

(ग)— “अध्यक्ष-प्रशासक” का तात्पर्य नगर पंचायत इगलास, अलीगढ़ के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(घ)— “अधिशाली अधिकारी” का तात्पर्य नगर पंचायत इगलास, अलीगढ़ के अधिशाली अधिकारी से है।

(ङ)— “शुल्क” का तात्पर्य इस उपविधि के अन्तर्गत आरोपित शुल्क से है।

(क)— “विज्ञापन” का तात्पर्य किसी ऐसे पत्रक, सूचना पोस्टर, चित्र, कपड़े के बैनर, कागज के छोटे पोस्टर, चिपकाने वाले या साइन बोर्ड या अन्य किसी ऐसी वस्तु से जो विज्ञापन के लिये प्रस्तुत की जाती हो किसी भी प्रकार के प्रकाशन/सूचना से है, जिसका उपयोग प्रचार-प्रसार उद्देश्य से किया गया हो, जिसके अन्तर्गत दीवार व पोस्टर बैनर, बिल, होर्डिंग तथा गुब्बारे का उपयोग किया गया हो, जिसे देखा अथवा पढ़ा जा सके।

(ख)— भवन का तात्पर्य किसी भी प्रकार के बने ढांचे से है, जो किसी भी मैटिरियल से बना हो जिसकी बाहरी दीवार और चार दीवारी हो अथवा उसके किसी अन्य भाग से है।

(ग)— सक्षम अधिकारी का आशय अधिशाली अधिकारी से होगा।

(3)— कोई भी व्यक्ति/संस्था/एजेन्सी नगर पंचायत इगलास, की सीमा के अन्तर्गत किसी भी स्थान पर बिना किसी भवन/ढांचे पर विज्ञापन के उद्देश्य से किसी भी प्रकार की सूचना, पम्पलेट, बिल, पोस्टर, होर्डिंग, गुब्बारे तथा किसी अन्य प्रकार के प्रचार माध्यम बिना अधिशाली अधिकारी की अनुमति के न तो प्रदर्शित करेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा।

(4)— किसी भी प्रकार के ऐसे विज्ञापन जो सामाजिक रूप से अश्लील, अभद्र, आपत्तिजनक अथवा किसी व्यक्ति/समूह की भावना को ठेस पहुंचाने वाले हो, पर पूर्ण प्रतिबन्ध होगा।

(5)— किसी भी ऐसे स्थान यथा राजमार्ग की पटरी, नगर में मुख्य चौराहे, शहर की रोड, साईड पट्टी पर जिससे आवागमन/यातयात में बाधा या जन असुविधा उत्पन्न हो तथा मा0 उच्चतम न्यायालय/अन्य समस्त

अधिकारिता सम्पन्न न्यायालय द्वारा प्रतिबन्धित क्षेत्र पर किसी भी प्रकार के विज्ञापन बोर्ड लगाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध होगा।

(6)– किसी भी प्रकार के विज्ञापन हेतु स्थल का उल्लेख सहित आवेदक/व्यक्ति/संस्था/एजेन्सी को लिखित रूप से दो प्रतियों में आवेदन पत्र देना अनिवार्य होगा, जिस पर स्थल एवं भाषा सम्बन्धी विभागीय जॉच रिपोर्ट पर संतुष्ट होने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी। यह अनुमति निश्चित अवधि अथवा एक वर्ष तक अनुमन्य होगी।

(7)– अधिशासी अधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि जनहित में आवश्यक समझे तो अनुमति दे या न दे अथवा कारणों का उल्लेख करते हुए प्रतिबन्ध सहित अनुमति प्रदान करें अथवा प्रदान की गई अनुमति को निरस्त कर दें।

(8)– अनुमति निरस्त होने की दशा में प्रभावित पक्ष को सात दिन के अन्दर अपनी अपील याचिका नगर पंचायत इगलास अध्यक्ष/प्रशासक माध्यम से बोर्ड के समक्ष रखने का अधिकार होगा।

(9)– नगर पंचायत इगलास सीमान्तर्गत विज्ञापन हेतु प्रदान की गई स्वीकृति पर निम्नांकित प्रकार से विज्ञापन शुल्क की दर प्रभावी होगी, जिसके अनुसार व्यक्ति/संस्था/एजेन्सी का विज्ञापन शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा। नगर पंचायत इगलास की सीमान्तर्गत दरे निम्न प्रकार रहेगी।

क– दीवार पर लिखना	5.00 (पाँच रु0) प्रति वर्ग फुट	– प्रतिमाह
ख– पोस्टर/पम्पलेट आदि	50.00 (पचास रु0) प्रति वर्ग फुट	– प्रतिमाह
ग– फ्लैक्स, बैनर आदि	20.00 (बीस रु0) प्रति वर्ग फुट	– प्रतिमाह
घ– लोहे, टीन आदि के विज्ञापन बोर्ड	20.00 (बीस रु0) प्रति वर्ग फुट	– प्रतिमाह
ङ– यूनीपोल	20.00 (बीस रु0) प्रति वर्ग फुट	– प्रतिमाह
च– विद्युत नियंत्रित/चलित यूनिपोल	25.00 (पच्चीस रु0) प्रति वर्ग फुट	– प्रतिमाह
छ– विज्ञापन बोर्ड (विद्युत नियंत्रित/चलित)	100.00 (एक सौ रु0) प्रति वर्ग फुट	– प्रतिमाह
झ– गुब्बारे या अन्य उड़ने वाले विज्ञापन	2,000.00 (दो हजार रु0) प्रति वर्ग फुट	– प्रतिमाह

(10)– किसी भी प्रकार के विज्ञापन बोर्ड यदि प्राकृतिक आपदा जैसे तूफान, भूकम्प आदि से बोर्ड टूटकर किसी भवन, ढाँचे अथवा यातयात आवागमन किसी व्यक्ति, पशु एवं जान माल इत्यादि का क्षति होती है तो सम्बन्धित एजेन्सी/संस्था/व्यक्ति ही हर्जे, खर्चे व कानूनी तौर पर कार्यवाही हेतु जिम्मेदार रहेगी। नगर पंचायत इगलास इसके लिये जिम्मेदार नहीं होगी।

(11)– विज्ञापन एवं प्रचार हेतु कोई भी व्यक्ति/संस्था/एजेन्सी नगर पंचायत इगलास में निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क 10,000.00/– रुपये जमा कराते हुये वार्षिक रूप से रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा इसके उपरान्त सम्बन्धित संस्था/व्यक्ति/एजेन्सी के आवेदन का परीक्षण कर कार्यवाही की जायेगी।

(12)– नगर पंचायत इगलास को अधिकार होगा कि अधिकतम बोली के आधार पर वार्षिक ठेका नीलाम करे अथवा अपने कर्मचारियों के माध्यम से विज्ञापन शुल्क की धनराशि वसूल कराये।

(13)– नगर पंचायत इगलास क्षेत्र के मुख्य मार्ग छोड़कर 100 मीटर की दूरी पर सड़क के दोनों ओर परीक्षण उपरान्त ही विज्ञापन बोर्ड लगाने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(14)– नगर पंचायत इगलास के भवनो/बारात घरों, मार्किटों की छतों पर किसी भी व्यक्ति/संस्था/एजेन्सी को विज्ञापन बोर्ड लगाने की अनुमति अधिशासी अधिकारी में निहित अधिकार के तहत दी जायेगी तथा प्राईवेट

भवनो/मार्किटो की छतों पर विज्ञापन बोर्ड लगाने पर निर्धारित विज्ञापन शुल्क की 1/2 की धनराशि जमा करनी होगी। साथ ही भवन/मार्किट के स्वामी के साथ विज्ञापनदाताओं द्वारा किये गये अनुबन्ध की सत्यापित कापी भी अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी, इसके उपरान्त ही अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जा सकती है।

(15)– नगर पंचायत इगलास, अलीगढ़ सीमा अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति/संस्था/एजेन्सी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराने के उपरान्त ही अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी।

(16)– विज्ञापन की अनुमति की अवधि समाप्त होने पर विज्ञापनदाता/व्यक्ति/संस्था/एजेन्सी का स्थापित/लगाई गई विज्ञापन सामग्री यथा बोर्ड, बैनर, पोस्टर, गुब्बारे आदि एक सप्ताह में स्वयं हटाने का उत्तरदायित्व होगा। यह बाध्यकारी कर्तव्य होगा।

(17)– विज्ञापन और वैध स्वीकृति की समाप्ति बाद अथवा बिना वैध स्वीकृति के होते स्थापित किया गया विज्ञापन बोर्ड, बैनर, पोस्टर, गुब्बारे को हटाने विज्ञापन सामग्री को जब्त करने का अधिकार नगर पंचायत इगलास में निहित होगा तथा हटाने का हर्जा-खर्चा वसूल करने का अधिकार भी होगा। यह खर्च मालिक/विज्ञापनदाता/एजेन्सी/एजेन्ट से वसूल किया जायेगा यदि एजेन्सी/स्वामी/एजेन्ट/विज्ञापनदाता का एक सप्ताह के अन्दर पता ज्ञान न होगा तो हटाने की तिथि से एक माह के बाद नीलाम करने का अधिकार नगर पंचायत इगलास में निहित होगा।

(18)– निम्नांकित प्रकार के विज्ञापनों पर उपविधि के नियम प्रभावी नहीं होंगे।

क– केन्द्रीय/राज्य सरकार पर उपविधि के नियम प्रभावी नहीं होंगे।

ख– किसी व्यवसायी द्वारा अपनी दुकान/भवन पर अपने निजी व्यवसाय से सम्बन्धित पहचान हेतु लगाया गया विज्ञापन बोर्ड/बैनर इत्यादि।

(19)– कोई भी विज्ञापनदाता/संस्था/एजेन्सी का स्वामी किसी चालित वाहन पर विज्ञापन कर रहा हो, तो उससे ठेली/रिक्शा/चालाक वाहन से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा कराते हुए विज्ञापन शुल्क 10/- रुपये प्रति वर्ग फुट प्रतिमाह की दर से जमा करना होगा।

(20)– किसी भी वाद-विवाद की दशा में अधिशासी अधिकारी का निर्णय बाध्यकारी होगा जिसकी अपील अध्यक्ष/प्रशासक नगर पंचायत इगलास के समक्ष 30 दिन के अन्तर्गत की जा सकती है।

(21)– कोई भी विज्ञापनदाता/संस्था/एजेन्सी का स्वामी इस उपविधि से प्रविधानों का उल्लंघन करके किसी भी विज्ञापन सामग्री का उपयोग करता है तो वह दोषी माना जायेगा। ऐसे दोषी पर उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299 के अन्तर्गत आर्थिक दण्ड आरोपित होगा।

कमलेश,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत इगलास,
अलीगढ़

कार्यालय नगर पंचायत इगलास जनपद अलीगढ़

18 फरवरी, 2026 ई0

सं0 509/न0पं0इ0/2025-26–नगर पालिका अधिनियम 1916 (यू0पी0 ऐक्ट संख्या-2 सन्) 1916 की धारा 298 के अधीन नगर पंचायत इगलास जनपद अलीगढ़ ने अपने क्षेत्र के अन्तर्गत विज्ञापन सम्बन्धी उपनियम बनाये हैं। यह उपविधि भवन मानचित्र एवं भवन निर्माण उपनियमावली 2025 कहलायेगी। नगर पालिका अधिनियम 1916 (यू0पी0 ऐक्ट संख्या-2 सन्) 1916 की धारा 298 के अधीन प्रकाशन कराकर धारा 143 के अन्तर्गत आपत्तियों एवं सुझाव आमन्त्रित किये गये करने हेतु दैनिक समाचार पत्र प्रावदा दैनिक व भारत संवाद में दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 को इस आशय से प्रकाशित कराया गया कि कोई भी व्यक्ति/संस्था अपनी आपत्ति एवं सुझाव निर्धारित अवधि में

कार्यालय में प्रेषित कर आपत्ति दर्ज करा सकता है। आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये, परन्तु निर्धारित अवधि 30 दिवस के अन्दर कोई आपत्ति एवं सुझाव इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुये। तदोपरान्त नगर पंचायत इगलास जनपद अलीगढ़ की बोर्ड बैठक दिनांक 02 अगस्त, 2025 के प्रस्ताव सख्या 05 के द्वारा लागू किये जाने हेतु सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

अतः नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298(1), 300(1) व 301 के प्राविधानुसार नगर पंचायत इगलास, अलीगढ़ की **भवन मानचित्र एवं भवन निर्माण उपनियमावली 2025** अन्तिम रूप से सरकारी गजट में प्रकाशित करायी जा रही है, जो सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से नगर पंचायत इगलास, अलीगढ़ सीमान्तर्गत लागू होगी।

भवन मानचित्र एवं भवन निर्माण उपनियमावली 2025

संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रारम्भ और प्रवृत्ति—

1— यह उपनियमावली नगर पंचायत इगलास, जनपद अलीगढ़ की भवन मानचित्र एवं भवन निर्माण सम्बन्धी उपनियमावली कहलायेगी जो गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

2— उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में दिये गये प्राविधान तथा समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न शासनादेशों के प्राविधान इस नियमावली पर प्रभावी होंगे।

3— इस नियमावली के लागू होने के बाद निकाय द्वारा इसके सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त उपनियमावली एवं आदेश निष्प्रभावी माने जायेंगे।

4— “भवन” का तात्पर्य— किसी मकान, उपग्रह, अस्तवज, चादर (शेड), झोपडी या अन्य बाडा या ढाँचे से है, चाहे वह पक्की ईंट लकड़ी, मिट्टी, धातु या चाहे किसी अन्य पदार्थ से बना हो, चाहे उसका उपयोग मनुष्य के रहने के लिये अथवा किसी अन्य कार्य के लिये किया गया हो और उसके अन्तर्गत कोई बरामदा, चबूतरा, मकान की कुर्सी, जीना, देहली, दीवार जिसमें किसी उद्यान या कृषि भूमि जो किसी भवन से अनलग्न न हो की चारदीवारी से भिन्न किसी आहते की दीवार सम्मिलित है, किन्तु इसके अन्तर्गत कोई तम्बू या अन्य कोई परिवहनीय अस्थाई आश्रय स्थल नहीं है।

5— “नक्शा नफीस/मानचित्रकार/ड्राफ्टमैन” का अभिप्राय नगर पंचायत इगलास, जनपद अलीगढ़ के अनुज्ञा/लाइसेन्स प्राप्त मानचित्र/नक्शा से है।

6— “व्यवसायिक निर्माण” से तात्पर्य ऐसे निर्माण से है जो व्यापार, उद्योग या अन्य व्यवसायिक उपयोग हेतु निर्मित किया गया हो।

7— “जनोपयोगी सेवा के निर्माण” से तात्पर्य ऐसे निर्माण से है जो कि जनकल्याण किये जाने से होगा, जिसमें वृद्धा आश्रम व गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले व्यक्तियों के लिये निर्मित आवास से है।

8— शासकीय सम्पत्ति से तात्पर्य उस सम्पत्ति से है जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश शासन अथवा केन्द्र सरकार के द्वारा अपने धन से नगर पंचायत इगलास, जनपद अलीगढ़ की सीमा में किया गया हो, जिसमें अस्पताल, थाना व अन्य सरकारी विभागों के कार्यालय आदि के भवन से है।

9— “निवास गृह” से तात्पर्य ऐसे भवनों से है जिनका उपयोग तीर्थ यात्रियों को ठहराने के लिये अथवा यात्रियों के आवास के लिए निर्मित हो, से है।

नियम व शर्तें—

1— आवासीय भवन निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक तल के आच्छादित क्षेत्रफल पर 1—प्रथम तल 100 वर्ग मीटर तक 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, 101—200 वर्ग मीटर तक 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर तथा 200 वर्ग मीटर से ऊपर प्रत्येक वर्ग मीटर पर 15 रुपये शुल्क देय होगा तथा बेसमेन्ट बनाने का शुल्क 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देय होगा।

2— व्यवसायिक भवन निर्माण दुकानों, व्यापारिक, गोदाम, बैंक, सिनेमा, थियेटर, स्केटिंग हाल, बारात घर, नर्सिंग होम, व्यवसायिक काम्प्लैक्स, क्लब एवं शौरूम आदि उपरोक्त प्रकार के भवन के लिए मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मंजिल की आच्छादित क्षेत्रफल पर प्रथम 100 वर्ग मीटर पर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 101 वर्ग मीटर या इससे अधिक पर 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क लागू होगा तथा बेसमेन्ट बनाने का शुल्क 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देय होगा।

3— औद्योगिक भवन के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मंजिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर 50 रुपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से देय शुल्क होगा।

4— शैक्षिक, धार्मिक तथा धर्मार्थ एवं जनोपयोगी सेवा के निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मंजिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर तथा बेस मेन्ट 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देय होगा।

(क)— भूतल सहित तीन मंजिला अथवा 12 मीटर से अधिक ऊँचाई के समस्त भवन/मंजिल, तल अथवा बहुमंजिल भवन भूकम्प रोधी तथा शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप निर्मित किये जायेंगे।

(ख)— निर्मित किये जाने वाले भवनों में 101-200 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल के भूखण्ड पर भवन निर्माण करते समय जल संचयन हेतु सोकपिट का निर्माण कराना अनिवार्य होगा। 201-300 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल के भूखण्ड पर भवन निर्माण करते समय क्षेत्रफल सम्पूर्ण क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत कंकरीट रहित कच्चा छोड़ना होगा तथा 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर भवन निर्माण करने के लिये छतवर्षा, जल संचयन प्रणाली/रूफ रैन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली सिस्टम अपनाना अनिवार्य होगा।

(ग)— वह व्यक्ति जिसके स्वामित्व/प्रबन्धन या नियंत्रण में कोई बाजार, स्कूल, थियेटर, सिनेमा, सार्वजनिक अभिगम आदि या औद्योगिक भवन (फैक्ट्री) आदि हो उनमें संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम 1916(2) की धारा 268 के अन्तर्गत पर्याप्त शौचालयों और मूत्रालयों की उचित व्यवस्था तथा दैनिक सफाई सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

(घ)— ऐसे समस्त भवनो जिनके लिये अग्निशमन विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपेक्षित हो, उनके निर्माण पूर्व होने के उपरान्त अग्निशमन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र नगर पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, प्रस्तुत करने में विफल रहने पर स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(ङ)— पूर्व से निर्मित/स्थापित धार्मिक भवन उदाहरणार्थ मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं गिरजा घर आदि से 200 वर्ग मीटर अर्धव्यास में किसी नये धार्मिक भवन का निर्माण नहीं किया जायेगा। परन्तु उपरोक्त दूरी के सापेक्ष यदि शासन द्वारा कोई दूरी निर्धारित की जाती है तो वह मान्य होगी।

(च)— उपर्युक्त धार्मिक स्थल निर्माण की स्वीकृति से पूर्व शासन/प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी।

(छ)— जहाँ अन्य विभाग से अनापत्ति प्रमाण की आवश्यकता हो वहाँ भवन स्वामी को स्वयं प्रमाण पत्र लाना होगा।

5— स्वीकृति की अवधि—

(क)— पुनः वैधीकरण/स्वीकृत उस समय प्रचलित नियमों के अनुसार एक बार केवल एक वर्ष के लिये होगा, जिसके लिये प्रथम स्वीकृति शुल्क की 1/2 भाग धनराशि देय होगी। इसके उपरान्त पुनः वैधीकरण/स्वीकृति नहीं दी जायेगी तथा पुनः नोटिस दिया जायेगा।

(ख)—यदि भवन स्वामी उक्त नियम 5(क) के अनुसार अवधि बीतने से पूर्व स्वीकृति को पुनः वैध नहीं कराता है, तो अवधि दिनांक से तीन माह तक पुनः वैधीकरण शुल्क के साथ रुपये 50 प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देय होगा तभी आवेदन पत्र पर विचार किया जायेगा। इसके उपरान्त पुनः वैधीकरण शुल्क सहित सामान्य दर पर जुर्माना अदा करने पर ही आवेदन पत्र पर विचार किया जायेगा।

(ग)— भवन मानचित्र स्वीकृति की अवधि के दिनांक से एक वर्ष की अवधि में ही पुनः वैधीकरण प्रभावी होगा।

6— नगर पंचायत इगलास के द्वारा स्वीकृत मानचित्र के संशोधन के आवेदन पर पूर्व शुल्क की राशि का 1/2 देय होगा।

7— प्रत्येक प्रकार की चार दीवारी के लिये प्रथम 100 वर्ग मीटर के लिये रुपये 100 तथा प्रत्येक अतिरिक्त 50 वर्गमीटर या उसके भाग पर रुपये 50 की दर से शुल्क देय होगा।

8— संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम 1916(2) की धारा 121-क द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन नियत दूरी नगर पंचायत क्षेत्र के बाहर ऐसी शर्तों एवं परिसीमा के अधीन जो विहित की जायेगी किसी भवन, मार्ग या नाले के निर्माण को नियन्त्रित तथा विनियमित कर सकेगी।

9— उपरोक्त उपनियम/ भवन निर्माण के सम्बन्ध में संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम 1916 में शासन द्वारा यदि कोई संशोधन किया जाता है अथवा शासनादेश निर्गत किया जाता है तो ऐसा संशोधन/शासनादेश इस भवन निर्माण उपनियम में यथासमय सम्मिलित/प्रभावी माना जायेगा।

10— नगर पंचायत की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत प्रत्येक प्रकार के निर्माण का मानचित्र नगर पंचायत इगलास के द्वारा लाइसेन्स प्राप्त मानचित्रकार/नक्शा नफीस के द्वारा ही हस्ताक्षरित होगा।

11— मानचित्रकार/नक्शा नफीस के सम्बन्ध में—

(क)— नगर पंचायत द्वारा एक मानचित्रकार/नक्शा नफीस प्रत्येक वर्ष मानचित्र निर्माण हेतु रखा जायेगा। मानचित्र का लाइसेन्स प्रत्येक वित्तीय वर्ष से पूर्व माह फरवरी या मार्च में आगामी वर्ष के लिये अधिशासी अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।

(ख)— मानचित्रकार के लाइसेन्स स्वीकृति होने के नियम व शर्तें नगर पंचायत कार्यालय द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(ग)— प्रत्येक मानचित्र के आवेदन का शुल्क 100 वर्ग मीटर तक 800 रुपये प्रति मानचित्र तथा 100 वर्ग मीटर से अधिक 1000 रुपये प्रति मानचित्र पर देय होगा। जिसका भुगतान आवेदनकर्ता द्वारा किया जायेगा और शुल्क प्राप्ति की रसीद मानचित्रकार द्वारा आवेदन कर्ता को उपलब्ध कराई जायेगी। जिसकी सूचना मानचित्रकार नगर पंचायत कार्यालय को देगा।

(घ)— मानचित्रकार का लाइसेन्स शुल्क 5,000 रुपये वार्षिक होगा।

(ङ)— निकाय बोर्ड द्वारा 2 तिहाई बहुमत से अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी महोदय/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय स्वीकृति प्राप्त कर मानचित्र बनाने के शुल्क एवं मानचित्रकार के लाइसेन्स शुल्क में वृद्धि की जा सकती है लेकिन इन शुल्कों में किसी भी स्थिति में कटौती/कमी नहीं की जा सकती है।

12— व्यवसायिक भवनों को अपने भवन में पार्किंग की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

13— नगर पंचायत की सीमा में किसी भी आवासीय/ व्यवसायिक कालोनी का निर्माण बिना नगर पंचायत की स्वीकृति के नहीं होगा, तथा प्रत्येक कालोनी के मानचित्र की स्वीकृति के लिये कुल भूमि का 10 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से विकास शुल्क देय होगा। व्यवसायिक आवेदन मानचित्र शुल्क 1,000 रुपये होगा।

(क)— कालोनी की सड़कें कम से कम 3 मीटर चौड़ी होगी तथा मुख्य सड़क से एप्रोच रोड कम से कम 6 मीटर चौड़ी होगी।

(ख)— कालोनी में नाली, पानी की निकासी आदि की व्यवस्था कालोनी स्वीकृत कराने वाले को करनी होगी।

(ग)— कालोनी की सड़क पक्की करने की जिम्मेदारी भी कालोनी स्वीकृत कराने वाले की होगी।

(घ)— कालोनी में पेड़ों आदि की व्यवस्था भी कालोनी स्वीकृत कराने वाले की होगी।

(ङ)— कालोनी में पार्क आदि का निर्माण करना होगा।

(च)—यथा सम्भव सड़कें समकोण पर मिलाई जायेगी।

(छ)— कालोनी में जल पूर्ति के लिये पाईप लाइन व बिजली की व्यवस्था भी कालोनी स्वीकृत कराने वाले को करनी होगी।

(ज)— कालोनी स्वीकृत कराने वाले को कालोनी का पूर्ण निर्माण करने के पश्चात पूर्णतया का प्रमाण पत्र नगर पंचायत से प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा इसके पश्चात उक्त कालोनी नगर पंचायत के प्रबन्धन में जायेगी।

और कालोनी में गृह कर/जल कर आदि देय प्राप्त करने का अधिकार नगर पंचायत का होगा, तथा कालोनी में विभिन्न सुविधाओं एवं उसके रखरखाव का उत्तरदायित्व नगर पंचायत का होगा।

(झ)— जहाँ पर निर्माण सम्बन्धी नियम स्पष्ट नहीं, वहाँ पर नैशनल बिल्डिंग कोड (एन0बी0सी0) के प्राविधान लागू होंगे।

(ञ)— जहाँ किसी अन्य विभाग से अनापत्ति प्राप्त करनी हो वहाँ पर आवदेक स्वयं व्यवस्था करायेगा।

14— किसी भी मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख एवं शप-पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।

15— मानचित्र स्वीकृति होने के पश्चात यदि भूमि का स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति/संस्था/सार्वजनिक पायी जाती है तो स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

16— भवन निर्माण के सम्बन्ध में नगर पालिका अधिनियम में दिये प्राविधान एवं समय समय पर जारी किये गये शासनादेश इस उपनियमावली पर प्रभावी होंगे।

17— भवन निर्माण मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त भवन निर्माण करते समय नगर पंचायत कार्यालय द्वारा समय समय पर उसका निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा और निरीक्षण के उपरान्त नगर पंचायत कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

18— कोई भी व्यक्ति यदि अपने मकान के सामने आगे आने के लिये गली/सड़क की नाली व नाला छापना चाहेगा उसकी भी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

19— भवन सम्बन्धी पत्रावली 5 वर्ष तक रखी जायेगी। समय व्यतीत होने पर नष्ट कर दी जायेगी।

20— मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त भवन निर्माण पूर्ण होने पर स्वामी द्वारा नगर पंचायत कार्यालय से भवन निर्माण पूर्ण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

21— बोर्ड अपने 2 तिहाई सदस्यों की स्वीकृति अथवा अधिशासी अधिकारी/जिलाधिकारी महोदय/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय की स्वीकृति से उपनियमावली से किसी भी धारा में परिवर्तित कर सकता है या कोई नई धारा जोड़ सकता है जो उपनियमावली पर प्रभावी समझी जायेगी। लेकिन उपनियमावली में वर्णित किसी शुल्क में कोई कमी नहीं की जा सकती है।

22— उपरोक्त शुल्क में प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात स्वतः 10 प्रतिशत की वृद्धि मानी जायेगी।

दण्ड

अगर कोई व्यक्ति बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किसी भी प्रकार का निर्माण करता है तब उस निर्माण को अवैध निर्माण माना जायेगा तथा उस अवैध निर्माण को हटवाने का पूर्ण अधिकार नगर पंचायत को प्राप्त होगा, लेकिन प्रतिबन्ध यह कि ऐसा निर्माण अगर नियमानुसार निर्मित है, तब वह व्यक्ति अपना मानचित्र लाइसेन्सधारी नक्शा नफीस से बनवाकर तथा उपविधियों में नियत शुल्क अदा करके अपना मानचित्र स्वीकृत कराने के लिये नगर पंचायत में प्रस्तुत कर सकेगा और नगर पंचायत ऐसे मानचित्र को समझौता शुल्क 2,000.00 रुपये से लेकर नियमित कर सकेगा लेकिन व्यवसायिक निर्माण के लिये समझौता शुल्क 5,000.00 रुपये लिया जायेगा।

कमलेश,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत इगलास,
अलीगढ़

कार्यालय नगर पंचायत इगलास जनपद अलीगढ़

18 फरवरी, 2026 ई0

सं0 509/न0पं0इ0/2025-26—नगर पालिका अधिनियम 1916(2) की धारा 298(2) सूची-I एच0एफ0 के अधीन नगर पंचायत इगलास जनपद अलीगढ़ ने अपने क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत सब ट्रांसफार्मर नियन्त्रण एवं शुल्क विज्ञापन सम्बन्धी उपनियम बनाये हैं। यह उपविधि विज्ञापन विनियमन व नियन्त्रण नियमावली वर्ष 2025 कहलायेगी। नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 142 के अधीन प्रकाशन कराकर धारा 143 के अन्तर्गत आपत्तियों एवं सुझाव

आमन्त्रित किये गये करने हेतु दैनिक समाचार पत्र प्रावदा दैनिक व भारत संवाद में दिनांक 13 अक्टूबर 2025 को इस आशय से प्रकाशित कराया गया कि कोई भी व्यक्ति/संस्था अपनी आपत्ति एवं सुझाव निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रेषित कर आपत्ति दर्ज करा सकता है। आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किये गये, परन्तु निर्धारित अवधि 30 दिवस के अन्दर कोई आपत्ति एवं सुझाव इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुये। तदोपरान्त नगर पंचायत इगलास जनपद अलीगढ़ की बोर्ड बैठक दिनांक 02 अगस्त, 2025 के प्रस्ताव सख्या 02 के द्वारा लागू किये जाने हेतु सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

अतः नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298(1), 300(1) व 301 के प्राविधानुसार नगर पंचायत इगलास, अलीगढ़ की विद्युत सब-स्टेशन ट्रांसफार्मर नियंत्रण एवं शुल्क उपविधि 2025 अन्तिम रूप से सरकारी गजट में प्रकाशित करायी जा रही है, जो सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से नगर पंचायत इगलास, अलीगढ़ सीमान्तर्गत लागू होगी।

विद्युत सब-स्टेशन ट्रांसफार्मर नियंत्रण एवं शुल्क उपविधि 2025

1— **शुल्क का विवरण अधिरोपण एवं संग्रह**— कोई व्यक्ति व कर्मचारी अथवा अभियन्ता राज्य विद्युत निगम विद्युत परिषद उ.प्र. अथवा अन्य विभाग जिसके द्वारा नगर पंचायत इगलास की सीमा में पूर्व में स्थापित अथवा भविष्य में स्थापित विद्युत सब-स्टेशनों, जो नगर पंचायत इगलास सीमा में नगर पंचायत में निहित सम्पत्ति पर लगे हैं, लगेगें या लगे पाये जायेंगें, भले ही उनकी पूर्व अनुमति पंचायत से ली गयी हो, अथवा पंचायत की मांग पर स्थापित किये गये हों तथा जिनके द्वारा पालिका की सीमा में तार बिजली फैलाकर विद्युत संयोजनों द्वारा चाहे वह संयोजनों घरेलू हों अथवा अद्यौगिक हो, धन संग्रह करेगा उसे निम्न वर्णित अनुसूची अनुसार किराये के रूप में सभी पर शुल्क या अधिरोपण व संग्रह किया जायेगा। अन्य प्राविधान इस नियमावली के प्रयोजन हेतु नामांकित किये गये हैं।

(2)— पोलों एवं सब-स्टेशनों के स्थापित करने की सूचना विद्युत विभाग/ नगर पंचायत इगलास को देगा। सूचना में उस स्थान का मानचित्र भी दिया जायेगा जहाँ पोल/सब-स्टेशन कायम किये जाने हैं।

(3)— नियत समय के अन्दर शुल्क भुगतान न करने पर विद्युत विभाग द्वारा विद्युत उपभोग हेतु प्रेषित बिलों के भुगतान से समायोजित कर लेगी और अवशेष रहती है तो विभाग से भू-राजस्व की भांति बसूलेगी।

शुल्क अनुसूची

प्रति सब-स्टेशन (ट्रांसफार्मर) प्रति वर्ष — 250 रु0 प्रतिवर्ग फिट

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299(1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत इगलास द्वारा इस उपविधि के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन करने वाले पर 1,000.00 (एक हजार रुपये) अर्थदण्ड वसूल किया जा सकता है और उल्लंघन निरन्तर जारी रहने की दशा में दोष सिद्ध होने पर अपराधी से ऐसे प्रत्येक दिन के लिये 25 रुपये प्रतिदिन अर्थदण्ड वसूल किया जा सकता है।

कमलेश,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत इगलास,
अलीगढ़

कार्यालय नगर पंचायत इगलास जनपद अलीगढ़

18 फरवरी, 2026 ई0

सं0 509/न0पं0इ0/2025-26—उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (अधिनियम सं0 2 सन् 1916) की धारा-147 और धारा-298 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगर पंचायत इगलास जनपद अलीगढ़ की सीमान्तर्गत नगर पंचायत इगलास (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि, 2024 तैयार की गयी

है। जिसे निम्नलिखित प्रारूप अधिनियम, 1916 की धारा-301 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए और सम्बन्ध में आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु दैनिक समाचार पत्र प्रावदा दैनिक व भारत संवाद में दिनांक 13 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित कराया गया, परन्तु निर्धारित अवधि 30 दिवस के अन्दर कोई आपत्ति एवं सुझाव इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुये। इस उपविधि को नगर पंचायत इगलास ने अपनी बोर्ड बैठक दिनांक 02 अगस्त, 2025 के प्रस्ताव सख्या 04 के द्वारा लागू किये जाने हेतु सर्वसम्मति से स्वीकार किया है।

अतः नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298(1), 300(1) व 301 के प्राविधानुसार नगर पंचायत इगलास, अलीगढ़ की नगर पंचायत इगलास (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि, 2024 अन्तिम रूप से सरकारी गजट में प्रकाशित करायी जा रही है, जो सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से नगर पंचायत इगलास, अलीगढ़ सीमान्तर्गत लागू होगी।

नगर पंचायत इगलास (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि, 2024

1— संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—

(1)— यह उपविधि नगर पंचायत इगलास (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि, 2024 कही जायेगी।

(2)— यह नगर पंचायत इगलास अलीगढ़ में लागू होगी।

(3)— यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2— परिभाषाएँ—

(1)— जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल न हो, इस उपविधि में—

(क)— अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 से है।

(ख)— आवादी का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो राजस्व अभिलेखों के रूप में अभिलिखित हो और जिसका उपयोग नगर पंचायत सीमा में उस क्षेत्र के सम्मिलित होने की दिनांक को उसके निवासियों के आवास और तत्सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए किया जा रहा हो।

(ग)— निर्धारण सूची का तात्पर्य अधिनियम 1916 की धारा 141 के अधीन तैयार की गई कर निर्धारण से है।

(घ)— संशोधन और परिवर्तन का तात्पर्य अधिनियम 1916 की धारा 147 के अधीन कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन से है।

(ङ)— सम्पत्ति कर का तात्पर्य नगर पंचायत सीमा में अवस्थित भवनो या भूमियों दोनों के वार्षिक मूल्य पर लगाये जाने वाले सामान्यकर/भवन कर, जलकर, जलनिस्तारण कर स्वच्छता कर से है।

(2)— इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे। जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हो

3— निर्धारित सूची में संशोधन और परिवर्तन का कारण—

(1)— अधिनियम, 1916 की धारा-144 के अधीन नगर पंचायत कार्यालय में जमा प्रमाणिकृत कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन उक्त अधिनियम, 1916 की धारा-147 के अधीन उल्लिखित कारणों के प्रोद्भूत होने की स्थिति में किया जा सकेगा।

(2)— ऐसा व्यक्ति जो निर्धारण सूची के प्रमाणीकृत होने के पश्चात् किसी कारण वस कराधान के लिए दायी हो उसका नाम सूची में सम्मिलित करके निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जायेगा।

(3)— (क)— किसी सम्पत्ति के स्वामित्व के हस्तान्तरण या स्वामित्व सामान्यतया निम्न के आधार पर प्राप्त होगा।

(एक)– पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा

(दो)– पंजीकृत वसीयत द्वारा

(तीन)– पंजीकृत विभाजन विलेख द्वारा

(चार)– पंजीकृत दान-पत्र द्वारा

(पाँच)– विधिक उत्तराधिकार द्वारा

(ख)– किसी सम्पत्ति के अध्यासी के स्थान पर किसी व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि की स्थिति सामान्यतया इस प्रकार हो सकेगी—

(एक)– नगर पंचायत सीमा में नव सम्मिलित आवादी क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति,

(दो)– गैर जमींदारी उन्मूलन (नान जेड0ए0) क्षेत्र की सम्पत्ति,

(तीन)– किसी सम्पत्ति जिसका किराया दिया जाता हो या देय हो।

(चार)– सम्पत्ति का किराया मुक्त किरायेदार और अनुज्ञापी।

(4)– (क)– सम्पत्ति की त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन, वार्षिक मूल्य और कर की दर में वृद्धि/परिवर्तन होने से कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जा सकेगा।

(ख)– किसी भी समय जब यह स्पष्ट हो जाये कि किसी सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण सम्पत्ति के स्वामी/अध्यासी द्वारा गलत विवरण के आधार पर या तथ्यों के छिपाने या भ्रान्त कथन या किसी मूल के कारण किया गया है। तो उसमें किये गये सुधार की प्रविष्टि कर तदनुसार कर निर्धारण सूची संशोधित कि जा सकेगी।

(5)– भवन में किये गये परिवर्तन और परिवर्धन फलस्वरूप वार्षिक मूल्यांकन और कर की धनराशि में वृद्धि करके निर्धारण सूची में संशोधन किया जा सकेगा।

4— सूची में संशोधन और परिवर्तन की प्रक्रिया—

(1)– (क)– नियम 3 के अधीन निर्धारण सूची में व्यक्ति या सम्पत्ति का विवरण छूट जाने, नवनिर्माण या पुनर्निर्माण होने पर स्वामी या अध्यासी निर्धारित प्रपत्र के साथ सम्पत्ति का स्वकर निर्धारण कर सम्पत्ति कर की धनराशि नगर पंचायत द्वारा यथा निर्दिष्ट बैंक या कार्यालय में जमा कर सकेगा। नगर पंचायत के अधिसाशी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा स्वकर निर्धारण प्रपत्र के आधार पर अपेक्षित प्रविष्टियां निर्धारण सूची में की जायेगी।

(ख)– अन्यथा की स्थिति में सम्पत्ति का स्वामी या अध्यासी विहित प्रपत्र-1 में अपेक्षित सूचना निर्माण या पुनर्निर्माण के समापन अथवा अध्यासन के दिनांक जो भी पहले हो के 60 दिवसों के भीतर अधिसाशी अधिकारी को अनिवार्य रूप से देगा। अधिसाशी अधिकारी या इनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी तदुतरान्त नियमानुसार सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण कर उसे तदनुसार कर निर्धारण सूची में प्रविष्टि करेगा।

(2)– (क)– सम्पत्ति के सामित्व या अध्यासन के हस्तान्तरण के फलस्वरूप निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन के निमित्त आवेदक नगर पंचायत को प्रपत्र-2 में अपना प्रोफाइल बनाकर आवेदन करेगा।

(ख)– आवेदक नगर पंचायत द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क रु0 100.00 प्रति आवेदन से अधिक न होगा, को ऑनलाइन भुगतान करेगा और यथास्थिति निम्नलिखित अभिलेखों को उपलब्ध करायेगा—

क्रम सं०	अभिलेखों का प्रकार	मृत्यु के आधार पर	विक्रय पत्र, विभाजन विलेख, दान-पत्र व अन्य के आधार पर	पंजीकृत वसीयत के आधार पर
1	2	3	4	5
1	आवेदक फोटो (जे०पी०जी० प्रारूप में)			
2	आवेदक की पहचान का प्रमाण (जे०पी०जी० प्रारूप में)			
3	आवेदक का शपथ पत्र (पी०डी०एफ० प्रारूप में)			
4	पंजीकृत विक्रय-विलेख या दान-पत्र/विभाजन विलेख (पी०डी०एफ० प्रारूप में)			
5	उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र (पी०डी०एफ० प्रारूप में)			
6	मृत्यु प्रमाण-पत्र (जी०आई०एफ०, पी०एन०जी०, जे०पी०जी०, पी०डी०एफ० प्रारूप में)			
7	रजिस्ट्रीकृत वसीयत (जी०आई०एफ०, पी०एन०जी०, जे०पी०जी०, पी०डी०एफ० प्रारूप में)			
8	मूल पट्ट विलेख की प्रतिलिपि			
9	पूर्व में जारी नामान्तरण-पत्र की प्रतिलिपि यदि कोई हो			

(ग)– आवेदन कारण प्रोद्भूत होने के अधिकतम तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा इस अवधि के पश्चात नगर पंचायत द्वारा नियत बिलम्ब शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

(घ)– अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा उतर्दर्थ प्राधिकृत अधिकारी नियम-6 के अनुसार प्रभार की धनराशि की गणना करेगा। और आवेदन करने की तिथि से पाँच कार्य दिवसों के अन्दर आवेदक को तत्सम्बन्ध में ऑनलाइन भुगतान हेतु संसूचित करेगा। इसके साथ ही उस सम्पत्ति पर अवशेष सभी देयों के भुगतान हेतु भी सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा तदनुसार पूर्ण अवधि आगामी अधिकतम सात दिवसों में भुगतान की जायेगी। निर्धारित अवधि में भुगतान प्राप्त हो जाने पर प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन के सम्बन्ध में प्रारूप-3 पर इस आशय की कम से कम एक महीने की नोटिस सभी सम्बन्धित हितबद्ध व्यक्तियों को जारी की जायेगी और उसकी एक प्रति आवेदक को दी जायेगी।

(ङ)– खण्ड (घ) के अधीन जारी नोटिसों की सभी पक्षों को सम्यक् और संतोषजनक तामीली न होने की स्थिति में उक्त नोटिस उस नगर पंचायत क्षेत्र में परिचालन वाले कम से कम दो दैनिक समाचार वाले पत्रों में प्रकाशित कराई जायेगी। समाचार-पत्र में नोटिस के प्रकाशन शुल्क उसके वास्तविक व्यय के अनुसार आवेदक द्वारा भुगतान किया जायेगा। वैकल्पिक रूप में आवेदक उस नगर पंचायत द्वारा इस निमित्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने निजी व्यय पर नगर पंचायत क्षेत्र में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार-पत्रों में उक्त नोटिस सीधे प्रकाशित करा सकता है।

(च)– खण्ड (घ) के अधीन संसूचित धनराशि का भुगतान नियत अवधि में न किये जाने पर एक अन्य अवसर प्रदान करते हुए पुनः एक सप्ताह का समय दिया जायेगा। इस अवधि में प्रभार की धनराशि न जमा करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

(छ)– खण्ड (घ) खण्ड (ङ) के अन्तर्गत जारी नोटिस में अंकित अवधि व्यतीत होने के पश्चात कोई उत्तर या आपत्ति न होने की स्थिति में अधिशासी अधिकारी द्वारा अभिलेखों के नियमसम्मत पाये जाने पर तदनुसार आदेश पारित करने हुए निर्धारण सूची में यथास्थिति संशोधन या परिवर्तन कर दिया जाएगा और सूची प्रमाणीकरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षरों से उसे प्रमाणीकृत किया जायेगा।

(ज)— खण्ड (घ) खण्ड (ङ) के अधीन जारी नोटिस में नियत अवधि के भीतर उत्तर या आपत्ति प्राप्त होने की दशा में अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी संक्षिप्त जाँच और सम्बन्धित पक्षों/आपत्तिकर्ताओं या हितबद्ध व्यक्तियों को सम्यक् सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री और गुण-दोष के आधार पर उनका निस्तारण करने और समुचित आदेश पारित करने हेतु अधिशासी अधिकारी को अग्रसारित करेगा। किसी प्रकार के स्वत्वाधिकार से सम्बन्धित विवादित प्रकरण पर सक्षम न्यायालय का निर्णय अपेक्षित होगा।

(झ)— निर्धारण सूची में संशोधन/परिवर्तन सम्बन्धी प्रभारों सहित अन्य समस्त देयों के भुगतान प्राप्त होने के दिनांक से अधिकतम 45 कार्य दिवसों की अवधि में अविवादित प्रकरणों सम्बन्धी आवेदन का निस्तारण किया जाएगा।

(3)— (क)— कर निर्धारण सूची में सम्पत्ति के अध्यासन के आधार पर अंकित अध्यासियों के संबंध में संशोधन और परिवर्तन उक्त अधिनियम 1916 की धारा-2 के खण्ड (11) के अधीन परिभाषित अध्यासी के पक्ष में किये जा सकेंगे।

(ख)— कर निर्धारण सूची एवं तत्सम्बन्धी जारी में ऐसे संशोधन/परिवर्तन किए जाने पर 'अध्यासी' शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा जिसे प्रमाणीकृत किया जायेगा।

(ग)— अध्यासन के आधार पर किए गए कर निर्धारण के विषय में वार्डवार कर निर्धारण सूची पृथक से तैयार की जाएगी और उसी में संशोधन/परिवर्तन सम्बन्धी अपेक्षित प्रविष्टियों की जाएगी।

(4)— निर्धारण सूची के संशोधन अथवा परिवर्तन का प्रयोजन मात्र भवन, भूमि या दोनों के सम्पत्ति कर की वसूली के दृष्टिगत होगा।

5— हस्तान्तरण की नोटिस दिया जाना हस्तान्तरणकर्ता और हस्तान्तरिती की बाध्यता—

(1)— जब किसी सम्पत्ति के सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित होता है तो वह व्यक्ति जिसका स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है और वह व्यक्ति जिसे वह हस्तान्तरित किया गया है, हस्तान्तरण विलेख के निष्पादित होने के तीन माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना अधिशासी अधिकारी को देंगे।

(2)— पूर्वोक्तानुसार प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में वह व्यक्ति जिसे उत्तराधिकारी के रूप में या अन्यथा मृतक का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है, अधिशासी अधिकारी को मृतक की मृत्यु के छः माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना देगा।

(3)— अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को उक्त सूचना के माध्यम से ऐसा हस्तान्तरण संज्ञान में आते हैं। इस उपविधि के प्रावधानों के अनुसार अन्तरिती का नाम निर्धारण सूची में प्रविष्ट कर दिया जायेगा।

(4)— प्रत्येक व्यक्ति जो अधिशासी अधिकारी को इस प्रकार की सूचना दिये बिना पूर्वोक्तवत् हस्तान्तरण करता है, ऐसी उपेक्षा से उद्भूत अन्य देयता के सहित हस्तान्तरित सम्पत्ति पर निर्धारित सम्पत्ति कर के भुगतान का दायित्व निरन्तर बना रहेगा जब तक कि वह इस सम्बन्ध में सूचना/आवेदन नहीं देता अथवा जब तक कि ऐसा हस्तान्तरण निर्धारण सूची में अभिलिखित नहीं किया जाता।

(5)— जब ऐसी सूचना/आवेदन नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया हों तो नगर पंचायत द्वारा नियत विलम्ब शुल्क 200 रुपये प्रतिवर्ष के साथ इसे प्रस्तुत किया जा सकता है।

(6)— यदि कोई भवन गिरा दिया गया हो या ध्वस्त हो गया हो तो जब तक अधिशासी अधिकारी को इसकी नोटिस न दे दी गयी हो, तब तक स्वामी/अध्यासी सम्पत्ति कर के भुगतान का दायी होगा जैसा कि वह भवन गिराए जाने या ध्वस्त न किये जाने की स्थिति में दायी था।

6- निर्धारण सूची के संशोधन/परिवर्तन हेतु प्रभारों का लगाया जाना-

(1)- जहाँ कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु आवेदन नगर पंचायत को प्रस्तुत किया जाय वहाँ आवेदक से प्रभार इस उपविधि के अनुसार उद्गृहीत किया जायेगा। प्रभारों की दरें निम्नवत् होंगी-

(क)- किसी विधिक उत्तराधिकारी या रजिस्ट्रीकृत वसीयत के मामले में प्रभार की दरें निम्नवत् होंगी-

क्रम सं०	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	प्रभार की धनराशि
1	2	3
	वर्गफीट-	रुपये-
1	1000 तक	500/-
2	1001-2000 तक	1,000/-
3	2001-3000 तक	1,500/-
4	3000 से अधिक	2,500/-

(ख)- नियम-3 के उपनियम (3) के अधीन अन्य सभी मामलों में प्रभारों की दर जिलाधिकारी द्वारा नियत सर्किल नेट या पंजीकरण विलेख में अंकित धनराशि जो भी अधिक हो के आधार पर निम्नवत् होगी-

क्रम सं०	सम्पत्ति का मूल्य	प्रभार की धनराशि
1	2	3
		रुपये-
1	रु० 5 लाख तक	1,000/-
2	रु० 5 लाख से रु० 10 लाख तक	2,000/-
3	रु० 10 लाख से रु० 15 लाख तक	3,000/-
4	रु० 15 लाख से रु० 50 लाख तक	5,000/-
5	रु० 50 लाख से ऊपर	10,000/-

(ग)- उक्त दरों में प्रत्येक पाँच वर्ष में 10% वृद्धि स्वतः हो जायेगी।

(2)- उपर्युक्त दरों में परिवर्तन अधिनियम, 1916 की धारा 92 के प्राविधानों के अन्तर्गत नगर पंचायत/नगरपालिका परिषद बोर्ड की स्वीकृति/अनुमति से किया जा सकेगा।

(3)- उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन एक से अधिक मध्यवर्ती संशोधन और परिवर्तन की स्थिति में प्रत्येक संशोधन और परिवर्तन पर उसमें विनिर्दिष्ट धनराशि के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार देय होगा।

(4)- यदि उपनियम (1) के खण्ड (ख) के मामलों में एक या एक से अधिक मध्यवर्ती विक्रय या अन्य अन्तरण हों और सम्बन्धित सम्पत्ति क्रेताओं या अन्तरिती के नाम से निर्धारण सूची में अन्तरित न की गई हो तो प्रत्येक मध्यवर्ती विक्रय विलेख/अन्तरण पर इस उपविधि के अनुसार उपनियम-(1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट धनराशि के 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार उद्गृहीत किया जायेगा।

(5)- यदि उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में नगर निगम से सम्बन्धित कोई धनराशि देय हो तो उसका भुगतान निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु देय प्रभारों के साथ किया जायेगा।

7- आदेश का संशोधन या निरस्तीकरण- जहाँ अधिशासी अधिकारी स्वतः या अन्यथा ऐसी जाँच जैसा वह उचित समझे से संतुष्ट है कि सूची में संशोधन या परिवर्तन छल सारवान तथ्यों के दुर्यपदेशन कर के अथवा तथ्यों को छिपाकर अथवा मिथ्या अशुद्ध और अपूर्ण के आधार पर किया गया है। तो वह सम्बन्धित व्यक्ति सुनवाई का

युक्तियुक्त अवसर देते हुए पुनः सुनवाई कर सकता है और लिखित रूप में कारणों को अभिलिखित करते हुए संशोधन या परिवर्तन निरस्त कर सकता है उसे संशोधन कर सकता है अथवा परिवर्तित कर सकता है।

8— अपील— अधिशासी अधिकारी के किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस दिनांक जिस दिनांक को उसे विनिश्चय संसूचित किया जाता है। से तीस दिन के भीतर उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-160 के अधीन अपील कर सकता है।

कमलेश,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत इगलास,
अलीगढ़।

कार्यालय, नगर पंचायत चिरैयाकोट, मऊ

दिनांक 28 मार्च, 2026 ई0

सं0 619/न0पं0 चिरैयाकोट, मऊ/भ0नि0उपविधि/2025-26 दिनांक 17 नवम्बर, 2025 द्वारा नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298(2) व अन्य अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत चिरैयाकोट जनपद-मऊ के सीमा अन्तर्गत भवन के निर्माण को नियन्त्रण करने के लिये पुनः निर्माण संशोधन, परिवर्तन के सम्बन्ध में बनायी गयी उपविधि का पाण्डूलेख नगर पालिका की धारा- 301(2) के अन्तर्गत विहित रीति से तैयार करके दिनांक 18 नवम्बर, 2025 को दैनिक समाचार-पत्र "हिनदुस्तान" एवं "जनवार्ता" में विहित रीति से प्रकाशित की गयी। जिन व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी उन व्यक्तियों से आपत्ति/सुझाव इस उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर आमन्त्रित किया गया था। निर्धारित अवधि के अन्दर एक भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुई है।

अतः नगर पंचायत चिरैयाकोट जनपद-मऊ उक्त उपविधि का प्रकाशन अपनी सीमा के अन्तर्गत भवन मानचित्र (नक्शा) शुल्क की वसूली हेतु प्रकाशित की जाती है, जो गजट मुद्रण के दिनांक से प्रभावी होगी।

नियमावली

1— संक्षिप्त नाम व विस्तार— यह उपविधि नगर पंचायत चिरैयाकोट, जनपद-मऊ की भवन निर्माण उपविधि सन् 2025 के नाम से पुकारी जायेगी। इसका प्रभाव नगर पंचायत चिरैयाकोट, मऊ की सीमा में निर्माण होने वाले भवनों पर होगा।

2— प्रभाव यह उपविधि नगर पंचायत चिरैयाकोट, मऊ के नाम से शासकीय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

3— नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत चिरैयाकोट, मऊ, से है।

4— अधिशासी अधिकारी/प्रशासक का तात्पर्य नगर पंचायत चिरैयाकोट, मऊ, के अधिशासी अधिकारी/प्रशासक से है।

5— नगर पालिका अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

6— भवन का तात्पर्य नगर पंचायत चिरैयाकोट, मऊ की सीमा में निर्माण होने वाले भवनों से है, जिनका निर्माण/पुनर्निर्माण/संशोधन/परिवर्धन/परिवर्तन समय-समय पर किया जायेगा।

7— यह उपविधि के लागू होते ही नगर पंचायत चिरैयाकोट जनपद-मऊ में प्रचलित वर्तमान नियमों के उपबन्ध उस सीमा तक जहाँ तक इन उपनियमों से असंगत हो, प्रभाव शून्य समझे जायेंगे।

8— (अ) भवन निर्माण संशोधन, पुनर्निर्माण के पूर्व स्वामी/अध्यासी को नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-178 क के अन्तर्गत आवेदन के साथ प्रस्तावित भवन निर्माण ड्राइंग की दो प्रति, प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न करना होगा, जिसमें सेक्शन प्लान फ्रन्ट एलीवेशन कम से कम दो सिलेक्शन/जल निकास व्यवस्था प्लान सैण्टिक है कि ड्राइंग साइट प्लान जिसमें चारों ओर से भवन व भूमि की स्थिति स्पष्ट देना होगा तथा प्रस्तावित भवन का आगणन एवं अनुसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ब) ड्राइंग 1:100 के पैमाने ब्लू प्रिंट पेपर पर बनाकर प्रस्तुत करना होगा।

(स) भवन निर्माण में कमरे आदि नियत क्षेत्रफल के अनुसार स्पष्ट होगा।

9— (1) कक्ष की खिड़की आदि संवातन हेतु दीवार के क्षेत्रफल का कम से कम 10 प्रतिशत होगी।

(2) दरवाजे की ऊंचाई कम से कम 1.80 मीटर कुर्सी तल पर से होगी।

(3) मुख्य बाहरी दीवाल की मोटाई कम से कम 23 सेमी० होगी, बाउण्ड्री दीवाल की मोटाई 18 सेमी० मोटी रखी जा सकती है।

(4) दो से अधिक मंजिल की ऊंचाई के निर्माण हेतु प्रस्तावित ड्राइंग के साथ नींव को अभिकल्प भी संकल्प करना आवश्यक होगा।

10—छत की ऊंचाई कम से कम 12 फुट होगी।

11—प्रत्येक मंजिल हेतु ड्राइंग से अलग-अलग प्लान स्पष्ट करना होगा।

12—प्रोजेक्शन भू-खण्ड के क्षेत्र के बाहर सीढ़ी छज्जा आदि निकालने की अनुमति नहीं होगी।

13—ड्राइंग बनाने हेतु नगर पंचायत द्वारा तकनीकी अर्हता प्राप्त व्यक्तियों का पंजीकरण किया जायेगा, जिसको प्रति वर्ष 2,000.00 रुपया शुल्क जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त प्रति ड्राइंग रु० 100.00 की धनराशि ड्राफ्टमैन को कार्यालय में जमा करना होगा, उपरोक्त धनराशि न जमा करने पर उनका पंजीकरण रद्द माना जायेगा।

14—नगर पंचायत द्वारा स्वीकृत मानचित्र के आधार पर ही निर्माण कार्य किया जायेगा, जो ड्राइंग बनाने वाल पंजीकृत ड्राइंग के अनुसार कराने का प्रमाण-पत्र भी उक्त व्यक्ति को देना होगा।

15—नगर पंचायत के द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध कार्य कराने पर मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा और अर्थ दण्ड रु० 1,000.00 वसूल किया जायेगा।

16—भवन निर्माण सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति को प्रस्तावित भू-खण्ड का तैयार किया गया संलग्न मानचित्र सहित आवेदन पत्र निम्नवत निर्धारित शुल्क दर के अनुसार धनराशि जमा करने के उपरान्त नगर पंचायत कार्यालय में दाखिला मान्य होगा।

(क)—भवन मानचित्र के अनुसार रु०—50,000.00 (पचास हजार) से रु०—10,00,000.00 (दस लाख) तक के लागत का 01 प्रतिशत धनराशि शुल्क रुप में नगर पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा।

(ख)—भवन मानचित्र के अनुसार रु०—10,00,001.00 (दस लाख एक) से रु०—50,00,000.00 (पचास लाख) तक के लागत के भवन निर्माण हेतु लागत का 1.50 प्रतिशत धनराशि नगर पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा।

(ग)— भवन मानचित्र के अनुसार रु०—50,00,001.00 (पचास लाख एक) या इससे अधिक तक के लागत के भवन निर्माण हेतु लागत का 02 प्रतिशत धनराशि नगर पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा।

17—(1) निर्धारित आवेदन प्रारूप पर प्राप्त भवन निर्माण हेतु प्रार्थना-पत्र के साथ भू-स्वामित्व का प्रमाण-पत्र तथा प्रस्तावित भवन निर्माण हेतु ड्राइंग की दो प्रति संलग्न कर कार्यालय नगर पंचायत में जमा करना होगा।

(2) प्रार्थना-पत्र के उपरान्त प्रस्तावित भवन के चारों ओर के भू-स्वामियों को नोटिस देकर सूचित किया जायेगा कि वे एक सप्ताह के अन्दर यदि आपत्ति हो अपना पक्ष प्रस्तुत करें, यदि एक सप्ताह के अन्दर कोई आपत्ति नहीं प्राप्त होती है तो यह समझा जायेगा कि उक्त निर्माण से किसी को कोई आपत्ति नहीं है और स्वीकृति की अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(3) प्रस्तावित ड्राइंग की आवश्यकतानुसार आख्या प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

- (4) प्रस्तावित निर्माण को सन्निकट सड़क, नाली, सीढ़ी, गली से तीन फीट अपनी जमीन छोड़कर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा।
- (5) उपरोक्तानुसार भवन निर्माण की स्वीकृति अध्यक्ष/प्रशासक/अधिशाली अधिकारी द्वारा दी जायेगी, जो स्वीकृत के दिनांक से एक वर्ष के लिये मान्य होगी।
- (6) यदि निर्माण कार्य एक वर्ष में नहीं पूरा किया जा सकता है तो पुनः नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र आवेदक को निर्धारित शुल्क के साथ जमा करना होगा। नवीनीकरण अगले वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा।
- (7) एक बार स्वीकृत की अवधि बढ़ जाने पर पुनः अवधि बढ़ाने की स्वीकृति नहीं दी जायेगी। आवेदक को नये सिरे से अवशेष निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

18—निरीक्षण— (1) नगर पंचायत द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण ड्राइंग के अनुसार किये जा रहे निर्माण कार्य को प्रशासक/अधिशाली अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

- (2) यदि निर्माण कार्य नियम के विपरीत अथवा स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध किया जा रहा है तो अधिशाली अधिकारी को यह अधिकार होगा कि निर्माण कार्य को तुरन्त रोकवा देंगे और नियम के विरुद्ध कार्य कराने पर नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-186 के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है।
- (3) इस उपविधि के अनुसार दी गयी स्वीकृति के उपरान्त यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि आवेदक द्वारा गलत साक्ष्य प्रस्तुत करके नक्शा स्वीकृत करा लिया गया है तो स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा और स्वीकृत मानचित्र को निरस्त कर दिया जायेगा।
- (4) किसी भी अतिक्रमण को जो किसी भी सड़क, गली अथवा सार्वजनिक भूमि पर किया जा रहा हो तो नगर पंचायत को अधिकार होगा कि यह उसे हटवा दे।

19—नगर पंचायत को अवैध निर्माण को रोकवाने तथा अनाधिकृत निर्माण के भवन को गिराने का अधिकार धारा-186 के तहत अधिशाली अधिकारी किसी भी समय नोटिस देकर भूमि के स्वामी अथवा अध्यासी को किसी भवन के अथवा भवन के किसी भाग के निर्माण अथवा कोई निर्माण अथवा पुनर्निर्माण, परिवर्तन करने से रोक सकता है। उन दशाओं में जब कि वह ऐसा निर्माण पुनः परिवर्तन निर्माण अथवा परिवर्तन धारा-186 के अधीन अपराध समझे तो किसी भी रीति के भवन को गिराने के आदेश दे सकता है, जैसा वह आवश्यक समझे।

20—रेन वाटर हारवेस्टिंग की प्रक्रिया लागू करना होगा।

21—कतिपय मामलों में नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-180 क में आमोद स्थल की निर्माण की स्वीकृति के समय राज्य सरकार की पूर्व अनुमोदन के बाद दी जायेगी।

दण्ड

नगर पंचायत चिरैयाकोट, जनपद—मऊ संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-299 के अन्तर्गत यह आदेश देती है, कि इस उपविधि के किसी भी भाग का उल्लंघन करने, भंग किया जाना जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो 2000.00 रुपया (दो हजार रुपये) तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरन्तर किया जावे तो अग्रेतर जुर्माना किया जायेगा जो प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, रुपया 50.00 तक हो सकेगा।

राम प्रताप यादव,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत चिरैयाकोट,
जनपद-मऊ।

कार्यालय नगर पंचायत चिरैयाकोट, मऊ

28 मार्च, 2026 ई0

सं0 618/न0पं0 चिरैयाकोट, मऊ/वि0हो0पो0शुल्क उपविधि/2025-26-सं0-412/नं0पं0चिरैयाकोट/2025-26 दिनांक 29 दिसम्बर, 2025 द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298, सूची-1 की उपसूची "ज" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, चिरैयाकोट, की सीमान्तर्गत स्थानों पर स्थापित व्यापारिक प्रतिष्ठानों, अन्य गैर सरकारी प्रचार-प्रसार सम्बन्धित विज्ञापन/होर्डिंग पर शुल्क की वसूली हेतु नियमावली वर्ष 2025 बनाये जाने हेतु उपविधि का निम्न पाण्डुलेख धारा 298(1) के अन्तर्गत विहित रीति से तैयार करके दिनांक 30 दिसम्बर, 2025 को दैनिक समाचार-पत्र "दैनिक जागरण व "भारत एकता टाइम्स" में विहित रीति से प्रकाशित की गयी। जिन व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी उन व्यक्तियों से आपत्ति/सुझाव इस उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर आमन्त्रित किया गया था। निर्धारित अवधि के अन्दर एक भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुई है।

अतः नगर पंचायत चिरैयाकोट जनपद मऊ उक्त उपविधि का प्रकाशन अपनी सीमा के अन्तर्गत विज्ञापन/होर्डिंग/पोस्टर आदि शुल्क की वसूली हेतु प्रकाशित की जाती है, जो गजट मुद्रण के दिनांक से प्रभावित होगी।

नियमावली

1— **संक्षिप्त नाम**— यह नियमावली नगर पंचायत चिरैयाकोट, जनपद मऊ की विज्ञापन/होर्डिंग/पोस्टर आदि पर शुल्क वसूली नियमावली कहलायेगी।

2— **प्रसार**— इसका प्रसार नगर पंचायत चिरैयाकोट, जनपद मऊ की सम्पूर्ण सीमा में होगा।

3— नगर पंचायत चिरैयाकोट, मऊ की सीमा का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित चिरैयाकोट, नगर पंचायत सीमा से है।

4— 'प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष' का तात्पर्य नगर पंचायत, चिरैयाकोट, जनपद मऊ के प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष से है।

5— 'अधिशाली अधिकारी' का तात्पर्य नगर पंचायत चिरैयाकोट, जनपद मऊ के अधिशाली अधिकारी से है।

6— विज्ञापन/होर्डिंग आदि नगर पंचायत द्वारा सुनिश्चित स्थान पर ही लगाया जायेगा।

7— विज्ञापन/होर्डिंग आदि लगाने हेतु सड़क से सुरक्षित दूरी (आमतौर पर 8 फिट ऊपर और किनारे से 3 मीटर दूर) एवं जर्जर इमारत को छोड़कर लगाया जायेगा।

8— विज्ञापन/होर्डिंग आदि लगाने के पश्चात् होर्डिंग व स्थान परिवर्तन आप द्वारा नहीं किया जायेगा नियम विरुद्ध कार्य करने पर आपकी स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जायेगा व जमा शुल्क की वापसी नहीं होगी।

9— विज्ञापन/होर्डिंग आदि व स्थान परिवर्तन अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशाली अधिकारी के स्वीकृति के उपरान्त ही किया जा सकेगा।

10— अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशाली अधिकारी द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के होर्डिंग/बैनर आदि को हटाया जा सकता है।

11— किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा आपत्ति आने पर विज्ञापन/होर्डिंग को उसके स्वामी द्वारा तत्काल हटाना होगा।

12— किसी भी प्रकार के अश्लील, अभद्र विज्ञापन/होर्डिंग लगाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

13— ईको-फ्रेंडली एवं स्वास्थ्यकर विज्ञापन को प्राथमिकता दी जायेगी।

14— अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशाली अधिकारी द्वारा स्थान परिवर्तन/होर्डिंग हटाने का अधिकार सुरक्षित होगा।

15— विज्ञापन/होर्डिंग हेतु निर्धारित शुल्क की रसीद अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी के मांगने पर दिखाएंगे।

16— नगर पंचायत चिरैयाकोट, जनपद-मऊ को अपनी व्यवस्था एवं आवश्यकता के अनुसार लगाये गये शुल्क के प्रत्यक्ष रूप से वसूलने के स्थान पर सार्वजनिक नीलामी में, निर्धारित अवधि के लिए ठेके पर देकर ठेकेदार के माध्यम से वसूली कराने का अधिकार होगा एवं ऐसी दशा में ठेकेदार के माध्यम से करायी गयी वसूली उपरोक्त समान नियमों के अधीन होगी।

17— अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे प्रत्येक 02 वर्ष में विज्ञापन/होर्डिंग शुल्क का पुनरीक्षण करायेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि पुनरीक्षण सम्भव नहीं हो सका तो प्रत्येक 02 वर्षों में निर्धारित शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए शुल्क वसूलना सुनिश्चित करायेंगे।

18— सरकारी विभागों/सरकारी कार्यों हेतु लगाये गये विज्ञापन/होर्डिंग आदि पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।

19— गैर व्यवसायिक जैसे धार्मिक, सामाजिक, सार्वजनिक, राजनैतिक सूचनाएं चिरैयाकोट, नगर पंचायत की पूर्व अनुमति के बिना नहीं लगाई जा सकेंगी, इसके लिए निम्नानुसार व्यवस्था रहेगी—

(क) नगर पंचायत चिन्हित स्थानों पर निश्चित साईज के सूचना पट्ट लगाने हेतु आवेदनकर्ता को प्रदर्श करने वाली सूचना के साथ प्रथम 07 दिवस के लिए शुल्क रु0 50/- का प्रति वर्ग फीट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(ख) 07 दिवस के पश्चात् अधिकतम 15 दिन के लिए रु0 100/- प्रति वर्ग फीट की दर से 07 दिवस की अवधि पूर्ण होने के पूर्व राशि जमा करवाते हुए नगर पंचायत से पूर्व अनुमति पुनः प्राप्त करनी होगी। 15 दिन से ज्यादा समयावधि नहीं बढ़ाई जा सकेगी।

20— निर्धारित किये गये शुल्क का विवरण निम्नवत् है—

1— चिरैयाकोट चौक से मुहम्मदाबाद गोहना रोड नगर की सीमा तक—

(क) दीवार पर वॉल राइटिंग कार्य	— 20 रु0 प्रति वर्ग फिट प्रति माह
(ख) इलेक्ट्रानिक अथवा अन्य डिजीटल माध्यम से प्रचार प्रसार	— 40 रु0 प्रति वर्ग फिट प्रति माह
(ग) प्रकाश स्तम्भों पर होर्डिंग द्वारा विज्ञापन	— 30 रु0 प्रति वर्ग फिट प्रति माह
(घ) पोस्टर द्वारा प्रचार-प्रसार	— 20 रु0 प्रति वर्ग फिट प्रति माह

2— आजमगढ़-गाजीपुर मुख्य मार्ग नगर की सीमा तक—

(क) दीवार पर वॉल राइटिंग कार्य	— 20 रु0 प्रति वर्ग फिट प्रति माह
(ख) इलेक्ट्रानिक अथवा अन्य डिजीटल माध्यम से प्रचार प्रसार	— 40 रु0 प्रति वर्ग फिट प्रति माह
(ग) प्रकाश स्तम्भों पर होर्डिंग द्वारा विज्ञापन	— 30 रु0 प्रति वर्ग फिट प्रति माह
(घ) पोस्टर द्वारा प्रचार-प्रसार	— 20 रु0 प्रति वर्ग फिट प्रति माह

3— चौक बाजार से तकिया रोड नगर की सीमा तक—

(क) दीवार पर वॉल राइटिंग कार्य	— 20 रु0 प्रति वर्ग फिट प्रति माह
(ख) इलेक्ट्रानिक अथवा अन्य डिजीटल माध्यम से प्रचार प्रसार	— 40 रु0 प्रति वर्ग फिट प्रति माह
(ग) प्रकाश स्तम्भों पर होर्डिंग द्वारा विज्ञापन	— 30 रु0 प्रति वर्ग फिट प्रति माह
(घ) पोस्टर द्वारा प्रचार-प्रसार	— 20 रु0 प्रति वर्ग फिट प्रति माह

4- चिरैयाकोट-खरिहानी रोड नगर की सीमा तक-

(क) दीवार पर वॉल राइटिंग कार्य	- 20 रु0 प्रति वर्ग फिट प्रति माह
(ख) इलेक्ट्रानिक अथवा अन्य डिजीटल माध्यम से प्रचार प्रसार	- 40 रु0 प्रति वर्ग फिट प्रति माह
(ग) प्रकाश स्तम्भों पर होर्डिंग द्वारा विज्ञापन	- 30 रु0 प्रति वर्ग फिट प्रति माह
(घ) पोस्टर द्वारा प्रचार-प्रसार	- 20 रु0 प्रति वर्ग फिट प्रति माह

5- मनाजीत बाईपास रोड नगर की सीमा तक-

(क) दीवार पर वॉल राइटिंग कार्य	- 20 रु0 प्रति वर्ग फिट प्रति माह
(ख) इलेक्ट्रानिक अथवा अन्य डिजीटल माध्यम से प्रचार प्रसार	- 40 रु0 प्रति वर्ग फिट प्रति माह
(ग) प्रकाश स्तम्भों पर होर्डिंग द्वारा विज्ञापन	- 30 रु0 प्रति वर्ग फिट प्रति माह
(घ) पोस्टर द्वारा प्रचार-प्रसार	- 20 रु0 प्रति वर्ग फिट प्रति माह

नोट-समय-समय पर विभिन्न कम्पनियों द्वारा निर्गत वाहनों पर नगर पंचायत चिरैयाकोट द्वारा तत्समय निर्धारित शुल्क वसूला जायेगा।

उपरोक्त कार्यों को करने हेतु निर्धारित शुल्क नगर पंचायत में जमा न करने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए शुल्क की धनराशि की वसूली 10 प्रतिशत सहित भू-राजस्व के रूप में वसूली की जायेगी।

विवाद का निस्तारण- विज्ञापन/होर्डिंग सम्बन्धित किसी भी विवाद का निस्तारण अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी द्वारा किया जायेगा ऐसे विवाद जिसमें सिद्ध हो जायेगा कि विज्ञापन/होर्डिंग शुल्क में चोरी की गयी है तो नगर पंचायत द्वारा विज्ञापन/होर्डिंग शुल्क का 10 गुना सम्बन्धित विज्ञापन/होर्डिंग के स्वामी/इंचार्ज/ संस्था से वसूल किया जायेगा। अभियोग चलाने का अधिकार अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी को ही प्राप्त होगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299(1) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत चिरैयाकोट, यह आदेश देती है कि उपरोक्त नियमावली के किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर रु0 2,000.00 (दो हजार रुपये मात्र) तक दण्ड दिया सकता है तथा यदि उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त दण्ड जो रु0 200.00 (दो सौ रुपये) प्रतिदिन तक हो सकता है जो प्रथम दोष निर्णय की तिथि से अपराधी अपराध करता रहेगा, तो दिया जायेगा।

राम प्रताप यादव,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, चिरैयाकोट,
जनपद-मऊ

कार्यालय, नगर पंचायत पाकबडा, मुरादाबाद

21 जून, 2025 ई0

सं0 197/न0पं0पा0/2025-26-कार्यालय नगर पंचायत पाकबडा के पत्र सं0-02/न0पं0पा0/2025-26 उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-128(1) (13-बी) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत पाकबडा द्वारा अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लेखों पर कर उगाहने से सम्बद्ध नियमावली नगर पंचायत पाकबडा जनपद-मुरादाबाद द्वारा नगर पंचायत सीमा के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लेखों पर कर उगाहने से सम्बद्ध नियमावली प्रस्तावित करते हुये उपरोक्त नियमावली धारा-301(1) के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात् उसके किसी

बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 15 दिवस के अन्दर प्राप्त करा सकता है। तत्क्रम में नगर पंचायत पाकबड़ा द्वारा बोर्ड बैठक दिनांक 28 मई, 2025 प्रस्ताव संख्या-02 के द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया, तत्क्रम में दैनिक समाचार-पत्र दैनिक आज में दिनांक 28 मई, 2025 एवं दैनिक शाहटाइम्स 28 मई, 2025 को प्रकाशित कराकर 15 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया। निर्धारित समयावधि 15 दिवस के अन्दर कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। बोर्ड बैठक दिनांक 28 मई, 2025 प्रस्ताव संख्या-02 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत् उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लेखों पर कर उगाहने से सम्बद्ध नियमावली, 2025

1— संक्षिप्त शीर्ष नाम प्रारम्भ और प्रवृत्ति—

(1)— यह नियमावली नगर पंचायत के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लेखों पर कर उगाहने से सम्बद्ध नियमावली कहलायेगी।

2— यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगी, जब से नगर के भीतर अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लेखों पर कर लगाया जाये तथा जिस तिथि को राजकीय गजट में प्रकाशित हो।

3— यह नगर में स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के समस्त लेखों पर प्रवृत्त होगी।

2— परिभाषाएँ— विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में हैं—

(क)— अधिनियम का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 (यू0पी0 अधिनियम सं0 2 सन् 1916) से है।

(ख)— नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत पाकबड़ा से है।

(ग)— शुल्क का तात्पर्य इण्डियन स्टाम्प एक्ट, 1899 (एक्ट सं0 2, 1899) के अधीन अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी लेख पर लगाये गये शुल्क से है।

(घ)— इण्डियन स्टाम्प एक्ट का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित इण्डियन स्टाम्प एक्ट, 1899 (एक्ट सं0 2, 1899) से है।

(ङ)— नगर पंचायतका तात्पर्य नगर पंचायत से है।

(च)— अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी से है।

(छ)— कर का तात्पर्य अधिनियम की धारा-128 की उप धारा (1) खण्ड (13-ख) के अधीन लगाये गये कर से है।

3— नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी लेख पर इण्डियन स्टाम्प एक्ट द्वारा लगाया गया शुल्क हस्तान्तरित सम्पत्ति के मूल्य पर अथवा भोग बन्धक की दशा में दस्तावेज द्वारा प्रतिभूत धनराशि पर 2 (दो) प्रतिशत के हिसाब से बढ़ा दिया जायेगा, इसका भार क्रेता पर होगा।

4— कर उगाहने की प्रक्रिया— उक्त वृद्धि के फलस्वरूप उगाही गई समस्त धनराशि प्रासंगिक व्ययों को यदि कोई हो, उगाही दी जायेगी। जो स्वीकृत बिल के प्रस्तुत किये जाने पर स्थानीय कोषागार से प्रतिदिन की धनराशि प्राप्त करेगा।

(2)— पंचायत निबन्धक और स्टाम्प विभाग के कर्मचारियों को ऐसा पारिश्रमिक का भुगतान भी करेगा जो नगर पंचायत के परामर्श से राज्य सरकार निर्धारित करें।

5— अभिलेखों का निरीक्षण— अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति किसी शुल्क का भुगतान किये बिना कर की उगाही और नगर पंचायत की उसकी वापसी के सम्बन्ध में

निबन्धन कार्यालय के किसी अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है, काट लेने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा नगर पंचायत को निम्नलिखित रीति से अदा की जायेगी।

(1)– जब कभी नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण को कोई दस्तावेज निबन्धन के लिये प्रस्तुत किया जाये तो निबन्धन अधिकारी यह निश्चित कर लेगा कि इण्डियन स्टाम्प एक्ट की धारा-27 में निर्दिष्ट ब्योरे निम्नलिखित के सम्बन्ध में पृथक-पृथक दिये गये हैं।

(क)– नगर के भीतर स्थित सम्पत्ति, और

(ख)– नगर के बाहर स्थित सम्पत्ति

(2)– यदि ऐसे ब्योरे दस्तावेज में पृथक-पृथक न दिये जायें तो निबन्धन के अधिकारी उसे कलेक्टर को अधिनियम की धारा-128-क की उपधारा (4) द्वारा नगर पालिकाओं पर यथा प्रदत्त इण्डियन स्टाम्प एक्ट की धारा-64 के अधीन आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजेगा

5– कर के लेखा रखना– निबन्धक के अधिकारी प्रत्येक दस्तावेज के सम्बन्ध में पृथक-पृथक लेखे रखेगा जिसमें वह शुल्क और कर दिखायेगा।

6– निबन्धक अधिकारी जो दीवानी न्यायालय द्वारा दिये गये विक्रय प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां प्राप्त करें और इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 (एक्ट संख्या 16, 1908) की धारा-89 के अधीन उन्हें अपनी पुस्तक सं0-1 में नत्थी करें तथा राजस्व अधिकारीगण शुल्क और कर का उसी प्रकार लेखा रखेगा

7– निबन्धक अधिकारी जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीनों में पृथक-पृथक तिमाही विवरण पत्र तैयार करेगा, जिसमें वह शुल्क और कर के रूप में अपने द्वारा वसूल की गयी धनराशि दिखायेगा और उसे जिला निबन्धक को उपर्युक्त प्रत्येक महीने के पांचवे दिनांक तक प्रस्तुत करेगा।

8– जिला प्रबन्धक ऊपर निर्दिष्ट प्रत्येक महीने के दसवें दिनांक तक तिमाही विवरण-पत्रों की प्रतिलिपियां निम्नलिखित को भेजेगा।

(1)– निबन्धन महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद

(2)– कनिष्ठ सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(3)– अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत पाकबडा।

(4)– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

9– (1)– नगर पंचायत की ओर से उगाही गई कर की धनराशि ऐसे प्रासंगिक व्ययों को जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाये, काट लेने के पश्चात् प्रत्येक तिमाही के अन्त में पंचायत को लौटा दी जायेगी प्रतिदान की धनराशि प्राप्त करने के लिये, अधिशासी अधिकारी प्रत्येक तिमाही में कनिष्ठ सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की फाइनेंसियल हैण्ड बुक खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र सं-19 में दो प्रतियों में एक बिल प्रस्तुत करेगा, कनिष्ठ सचिव प्रस्तुत बिल प्रस्तुत करेगा, कनिष्ठ सचिव प्रस्तुत बिल स्वीकृत किये जाने के पश्चात् उसकी एक प्रतिलिपि अधिशासी अधिकारी को लौटा दी जायेगी। जो स्वीकृत बिल के प्रस्तुत किये जाने पर स्थानीय कोषागार से प्रतिदान की धनराशि प्राप्त करेंगे।

(2)– नगर पंचायत निबन्धन और स्टाम्प विभाग के कर्मचारियों को भी ऐसा मासिक पारिश्रमिक का भुगतान करेगी जो राज्य सरकार नगर पंचायत के परमर्श से निर्धारित करें।

10– अभिलेखों का निरीक्षण– अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा तदर्थ यथा विधि प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति किसी भी शुल्क का भुगतान किये बिना कर की उगाही और नगर पंचायत का प्रतिदान की गयी धनराशि के सम्बन्ध निबन्धन कार्यालय, मुरादाबाद के किसी भी अभिलेख का निरीक्षण कर सकते हैं।

दण्ड

संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-299 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करके नगर पंचायत पाकबड़ा यह आदेश देती है कि इन उपविधियों में दिये गये किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर रु0 500.00 से अधिक अर्थदण्ड दिया जायेगा और लगातार अपराध होने की दशा में अपराध सिद्ध होने के दिनांक से जब तक अपराध जारी रहे रु0 15.00 प्रतिदिन अर्थदण्ड किया जायेगा।

मौ0 याकूब,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत पाकबड़ा,
जनपद-मुरादाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम भाविका प्रजापति पुत्री संजय कुमार प्रजापति है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-5813 7112 6777 में उसका नाम व्यूटी प्रजापति हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम भाविका प्रजापति पुत्री संजय कुमार प्रजापति के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

संजय कुमार प्रजापति पुत्र कोलाई प्रजापति,
पता- 3/248 विशाल खण्ड सी एम एस स्कूल,
गोमती नगर लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम दृष्टि सिंह पुत्री राम देव है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख एवं आधार कार्ड में अंकित है। मेरी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण मैंने अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपनी पुत्री का नाम दृष्टि सिंह से बदलकर श्रेया सिंह (Shreya Singh) रख लिया है, भविष्य में मेरी पुत्री को श्रेया सिंह पुत्री रामदेव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राम देव पुत्र रामस्वरूप,
नि0- 243, ग्राम व पोस्ट समगरा,
थाना मार्का बांदा, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अदित्य प्रताप सिंह (ADITYA PRATAP SINGH) पुत्र आनन्द सिंह (ANAND SINGH) है जो उनके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-9279 8911 1092 में उसका नाम आदित्य प्रताप सिंह (ADIYA PRATAP SINGH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अदित्य प्रताप सिंह (ADITYA PRATAP SINGH) पुत्र आनन्द सिंह (ANAND SINGH) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

आनन्द सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह,
पता- मुवैया, श्रीनगर, वी0टी0सी0, घाटमपुर,
तहसील घाटमपुर, जनपद कानपुर नगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्री का नाम सोनिका चौधरी (Sonika Chaudhary) पुत्री दुर्गेश कुमार चौधरी जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं0-6736 2107 0492 में उसका नाम शशि चौधरी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्री को उसके सही नाम सोनिका चौधरी पुत्री दुर्गेश कुमार चौधरी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

दुर्गेश कुमार चौधरी,
ग्राम डडिया, पोस्ट भानपुर थाना सोनहा,
जनपद बस्ती, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम चिन्तामणि चौधरी पुत्री श्यामधारी है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-6416 4760 9200 में मेरा नाम चांदमणि चौधरी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम चिन्तामणि चौधरी पुत्री श्यामधारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

चिन्तामणि चौधरी, पुत्री श्यामधारी,
निवासिनी- ग्रा0 व पो0 औराटार,
जिला महाराजगंज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम प्रगति यादव पुत्री जनार्दन यादव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-6274 7092 6253 में उसका नाम खुशबू यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम प्रगति यादव पुत्री जनार्दन यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

जनार्दन यादव पुत्र स्व0 छांगुर प्रसाद यादव,
पता-173 एफ लोहिया नगर गोरखनाथ,
तहसील सदर जनपद गोरखपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र अनमोल रस्तोगी का आधार कार्ड सं0-2585 9155 6167 में नाम अनमोल रतन रस्तोगी मुद्रित हो गया है जिसे संशोधित करते हुए मेरे पुत्र का नाम अनमोल

रस्तोगी किया गया है, भविष्य में उसे अनमोल रस्तोगी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

कपिल रस्तोगी, पुत्र स्व0 सुशील रस्तोगी,
निवासी- मो0 नौरंगाबाद लखीमपुर खीरी।

NOTICE

It is hereby notified to the general public that correct name of my son is Risabh Gupta son of Purnamasi Lal as recorded in his educational records. Due to an inadvertent error, his name has been recorded as 'Reshav' on his Aadhaar Card Number 4430 3645 5072, which is incorrect. It is hereby certified that henceforth, my son shall be known and identified by his correct name Risabh Gupta. All legal formalities pertaining to this rectification have been personally completed by me.

Purnamasi Lal, S/o Ramsundar,
R/o Nehru Bazar, Phulpur,
District Prayagraj.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम उज्जवल पाण्डेय पुत्र उपेन्द्र कुमार है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-2034 7764 2819 में उसका नाम गोल्डबर्ग पाण्डेय (GOLDBARG PANDEY) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम उज्जवल पाण्डेय पुत्र उपेन्द्र कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

रेखा पत्नी उपेन्द्र कुमार,
निवासी- माधवपुर पोस्ट कुछमुछ,
सुलतानपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम रिया (Riya) पुत्री श्री संतोष कुमार (Santosh Kumar) है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड

सं0-8033 8097 2679 में उसका नाम बिट्टो कनोजीया (Bitto Kanojiya) हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम रिया (Riya) पुत्री श्री संतोष कुमार (Santosh Kumar) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

ज्योति पत्नी श्री संतोष कुमार,
पता-एस एस1/333, सीतापुर रोड, योजना,
सेक्टर-ए, ताड़ीखना क्रासिंग के पास,
लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम वैष्णवी यादव पुत्री सुनील यादव है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-6374 5152 5588 में उसका नाम रुचि यादव हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम वैष्णवी यादव पुत्री सुनील यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सुनील यादव,
पुत्र स्व0 धर्मराज यादव,
पता-पौना, किर्तापुर, जौनपुर।
थाना जफराबाद ब्लाक धर्मापुर,
जिला जौनपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आराध्या तिवारी (Aradhya Tiwari) पुत्री अशोक कुमार तिवारी है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-9108 3111 9146 में मेरी पुत्री का नाम (Aradhya Tivari) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आराध्या तिवारी

(Aradhya Tiwari) पुत्री अशोक कुमार तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अशोक कुमार तिवारी, पुत्र शंभुनाथ तिवारी,
पता-ग्राम व पोस्ट गोगांव खैरा,
जिगना रस मिर्जापुर, उ0प्र0।

NOTICE

It is to inform the general public that my son's correct name is Vidhan Seth S/o Sunil Kumar Seth, which is duly recorded in his educational records. However, due to an error, his name has been mentioned as Sushil Seth in his Aadhaar Card No. 7865 8395 4779, which is incorrect. Vidhan Seth and Sushil Seth refer to the same person. Hence, in future, my son should be known and identified by his correct name, Vidhan Seth, S/o Sunil Kumar Seth. It is hereby certified that all legal formalities regarding the above mentioned matter have been completed by me.

Sunil Kumar Seth S/o Radheshyam Seth,
Address: D28/147, Pandey Haveli,
Varanasi, U.P.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम विनीत शर्मा पुत्र कन्हैया लाल शर्मा है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-8587 1337 9336 में उसका नाम वरेन्धम शर्मा हो गया है, जो गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम विनीत शर्मा पुत्र कन्हैया लाल शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कन्हैया लाल शर्मा पुत्र राजित राम शर्मा,
पता-डाला बाजार, नई बस्ती, सोनभद्र, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सनाया फातिमा (SANAYA FATIMA) पुत्री मोहम्मद शब्बीर है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख व जन्म प्रमाण पत्रों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-6897 1523 6887 में उसका नाम साहिबा पठान अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सनाया फातिमा (SANAYA FATIMA) पुत्री मोहम्मद शब्बीर के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मोहम्मद शब्बीर, पुत्र मोहम्मद रिशाल खान,
निवासी- EWS-12, पोखरपुर, जाजमऊ,
शिवांश टेनरी, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रमेश चंद्र सचान पुत्र स्व0 बद्री प्रसाद सचान है जो मेरे आधार कार्ड, शैक्षिक अभिलेख, पैन कार्ड, पासपोर्ट तथा बैंक अभिलेखों में अंकित है किन्तु निम्नलिखित कंपनियों के शेयर प्रमाण पत्रों में मेरा नाम भिन्न रूप में अंकित है।

1 Bambino Agro Industries Limited- Folio No. BAL001227- "RAMESH CHANDRA"

2 Gujrat Raffia Industries limited- Folio No. R03904-"RAMESH CHANDRA"

3 Tata Power Company Limited- Folio No. H5R0058827- "RAMESH CHANDRA"

उपरोक्त सभी नाम एक ही व्यक्ति का है। अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रमेश चन्द्र सचान पुत्र स्व0 बद्री प्रसाद सचान के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

रमेश चन्द्र,

पता-164 डी, टैगोर टाउन इलाहाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम रानीपरी पुत्री प्रदीप कुमार है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-7813 1677 0225 में उसका नाम रेखा चौरसिया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम रानीपरी पुत्री प्रदीप कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

प्रदीप कुमार पुत्र हरीराम चौरसिया,

निवासी-ग्राम पीरपुर दुबरा पोस्ट लोरपुर ताजन,
जिला अम्बेडकर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम उत्कर्ष पुत्र शोभालाल है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-2449 2008 3859 में उसका नाम उत्कर्ष निषाद अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम उत्कर्ष पुत्र शोभालाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

शोभालाल,
मोहब्बतगंज, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु0 गुंजन राज (KM GUNJAN RAJ) पुत्री आनन्द सोनकर है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-7938 2739 0641 में मेरा नाम गुंजा सोनकर अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु0 गुंजन राज (KM GUNJAN RAJ) पुत्री आनन्द सोनकर के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

कु0 गुंजन राज (KM GUNJAN RAJ),
पुत्री आनन्द सोनकर, पत्नी अतुल सोनकर,
निवासिनी-27 तकिया गनेशगंज,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रचना गौड़ पत्नी जगदीश नारायण गौड़ है जो मेरे आधार कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के स्कूल के अभिलेख में मेरा नाम रचना कश्यप अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

रचना गौड़, पत्नी जगदीश नारायण गौड़,
सीतापुर रोड, जानकीपुरम,
लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम जमशेद अली पुत्र मुनौवर अली है जो कि मेरे बैंक पासबुक, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र, निर्वाचन कार्ड, गैस कनेक्शन, एवं उप जिलाधिकारी जांच रिपोर्ट अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-4227 8810 9712 में मेरा नाम जमशेद अली उर्फ बबलू अंकित हो गया है जोकि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम जमशेद अली पुत्र मुनौवर अली के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

जमशेद अली पुत्र मुनौवर अली,
नि0- मड़ौका उपरहार तहसील करछना,
जनपद प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम नाजिया खातून (Naziya Khatoon) पुत्री मो0 नुरैन खान है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-7888 1538 8555 में मेरी पुत्री का नाम ईल्मा खान अंकित हो

गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम नाजिया खातून (Naziya Khatoon) पुत्री मो0 नुरैन खान के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

मो0 नुरैन खान, पुत्र मो0 जमालुद्दीन खां,
पता- ग्राम व पोस्ट गोडसरा गाजीपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम श्रेया तिवारी (Shreya Tiwari) पुत्री राकेश कुमार तिवारी है जो उसके शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-8705 6476 9899 में उसका नाम जिया (Jiya) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम श्रेया तिवारी पुत्री राकेश कुमार तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

राकेश कुमार तिवारी पुत्र श्री मुरलीधर तिवारी,
निवास- ग्राम परानपुर, पोस्ट-बानीडीह,
थाना रामपुर तहसील मडियाहूँ,
जनपद जौनपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अमित कुमार कुशवाहा पुत्र स्व0 मुरलीधर कुशवाहा है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-8509 7753 2995 में मेरा नाम सतीश कुशवाहा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अमित कुमार कुशवाहा पुत्र स्व0 मुरलीधर कुशवाहा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

अमित कुमार कुशवाहा,
पुत्र स्व0 मुरलीधर कुशवाहा,
निवासी- ग्राम असवां बारा प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र अधिराज पार्थ तिवारी पुत्र स्वर्गीय प्रेम कुमार तिवारी है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-4582 6338 7806 में उसका नाम पार्थ तिवारी हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अधिराज पार्थ तिवारी पुत्र स्वर्गीय प्रेम कुमार तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

अर्चना तिवारी पत्नी स्वर्गीय प्रेम कुमार तिवारी,
निवासी-66/12 छितवापुर पुलिस चौकी,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम प्रणव प्रताप सिंह (PRANAV PRATAP SINGH) पुत्र शिव प्रताप सिंह (SHIV PRATAP SINGH) है जो कि मेरे पुत्र के शैक्षिक अभिलेख में अंकित हैं। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-3973 9986 8514 में मेरे पुत्र का नाम प्रदव प्रताप (PRADAV PRATAP) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम प्रणव प्रताप सिंह पुत्र शिव प्रताप सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

शिव प्रताप सिंह, पुत्र स्व0 अलोप शरण सिंह,
निवासी-वृन्दावन कालोनी सेक्टर सी,
मुबारकपुर कोटवा, झलवा, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम वैदेही (VAIDEHI) पुत्री दिलीप कुमार है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-4987 9943 4351 बनाते समय पिहू (PIHOO) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम वैदेही (VAIDEHI) पुत्री दिलीप कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

दिलीप कुमार पुत्र गंगा प्रसाद,
पता- 392, कच्ची सड़क दारागंज,
प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सोना सिंह पुत्री रामकिशोर सिंह है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-5765 0637 8372 में मेरा नाम बन्दना सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सोना सिंह पुत्री रामकिशोर सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

सोना सिंह, पुत्री रामकिशोर सिंह,
निवासिनी गौरी बाजार कानपुर रोड,
सरोजनी नगर जिला लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शपथकर्ता के पुत्री का सही नाम लक्ष्मी (LAXMI) है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में, जन्म प्रमाण पत्र पर अंकित हैं त्रुटिवश आधार कार्ड सं0-2930 4714 8058 में नाम लक्ष्मी (LACHMI) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्री को उसके सही नाम लक्ष्मी (LAXMI) पुत्री देवेन्द्र पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

देवेन्द्र पाण्डेय पुत्र स्व0 प्रभाशंकर पाण्डेय,
माता ममता पाण्डेय पत्नी देवेन्द्र पाण्डेय,
निवासी-ग्राम व पो0 बिरशाहपुर, मिरजापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम केशरमती देवी पुत्री रामाशीष राय है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-7214 4429 2984 में मेरा नाम ताड़केश्वर देवी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम केशरमती देवी, पुत्री रामाशीष राय, पत्नी स्व0 रमेश राय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

केशरमती देवी, पुत्री रामाशीष राय,
पत्नी स्व० रमेश राय,
निवासी—ग्राम जमीन इसर पार पोस्ट सोढरी,
तहसील निजामाबाद, जिला आजमगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम प्रियांशी यादव (PRIYANSHI YADAV) पुत्री सुरेन्द्र सिंह यादव है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०—3604 7424 9948 में उसका नाम प्रिया (PRIYA) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम प्रियांशी यादव पुत्री सुरेन्द्र सिंह यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सुरेन्द्र सिंह यादव, पुत्र गोरेलाल,
निवासी— पानी की टंकी दर्रा, मैनपुरी रोड,
करहल, मैनपुरी उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम समरचन्द्र पुत्र रामचन्द्र है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०—7953 7349 7736 में उसका नाम सरसचन्द्र हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम समरचन्द्र पुत्र रामचन्द्र के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सुनीता पत्नी रामचन्द्र,
निवासिनी— ग्रा० अमदहॉ, चरनपुर,
पोस्ट— अमदहॉ, थाना—नौगढ़,
जनपद चन्दौली, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम KM VEDANGI PATEL पुत्री रज्जन लाल पटेल है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०—3398 0885 8188 में मेरा नाम VEDANGI PATEL अंकित हो गया है जो कि

गलत हैं भविष्य में मुझे मेरे सही नाम KM VEDANGI PATEL पुत्री रज्जन लाल पटेल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

KM VEDANGI PATEL,
पुत्री रज्जन लाल पटेल,
ग्राम— भौंसी, थाना शिवगढ़,
जिला रायबरेली, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम परवीन (PARVEEN) पुत्री पप्पू है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०—8103 8943 3311 में उसका नाम इकरा अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम परवीन (PARVEEN) पुत्री पप्पू के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मुबीना पत्नी श्री पप्पू,
पता— चांद थोक वार्ड नं० 6 भरुवा,
सुमेरपुर तहसील व जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सीबा बानो (SEEBBA BANO) पुत्री जान मोहम्मद (JAN MOHAMMAD) है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०—4046 2076 1811 में मेरा नाम बजमा (BAZMA) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे सही नाम सीबा बानो पुत्री जान मोहम्मद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् मेरे द्वारा प्रमाणित किया गया है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सीबा बानो पुत्री जान मोहम्मद,
ग्राम/पोस्ट माहे मऊ,
माहे मऊ अमेठी उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अनुराग सिंह पुत्र श्री रावेन्द्र सिंह है, जो कि मेरे शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। मैंने अपना स्वास्थ्य ठीक ना रहने के कारण ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपना नाम अनुराग सिंह से बदलकर अनुराग सिंह भदौरिया (Anurag Singh Bhadouriya) रख लिया है भविष्य में मुझे अनुराग सिंह भदौरिया के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में सभी औपचारिकताये मेरे स्वयं द्वारा पूर्ण की गई है।

अनुराग सिंह भदौरिया,
नि० — ए-246, ए-ब्लाक,
निकट-नीलगिरी काम्पलेक्स,
इन्दिरानगर, जिला लखनऊ, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अक्षत हरि शुक्ल (AKSHAT HARI SHUKLA) पुत्र मनोज कुमार शुक्ल है, जो कि उसके जन्म प्रमाणपत्र व शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधारकार्ड सं०— 8689 6014 0787 में उसका नाम अक्षय हरी शुक्ल हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अक्षत हरि शुक्ल (AKSHAT HARI SHUKLA) पुत्र मनोज कुमार शुक्ल के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मनोज कुमार शुक्ल पुत्र रामस्नेही,
पता— भटौली, बुजुर्ग बारीपुर,
सीकरीगंज, गोरखपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अक्षय हरि शुक्ल (AKSHAY HARI SHUKLA) पुत्र मनोज कुमार शुक्ल है, जो कि उसके जन्म प्रमाणपत्र व शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधारकार्ड सं०— 7035 4723 8506 में उसका नाम अक्षत हरी शुक्ल हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अक्षय हरि शुक्ल

(AKSHAY HARI SHUKLA) पुत्र मनोज कुमार शुक्ल के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मनोज कुमार शुक्ल पुत्र रामस्नेही,
पता— भटौली, बुजुर्ग बारीपुर,
सीकरीगंज, गोरखपुर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम पूरन चन्द्र (PURAN CHANDRA) पुत्र सालिक राम जोशी (SHALIK RAM JOSHI) है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या—8147 1859 9121 मे मेरा नाम पूरन चन्द्र जोशी पुत्र सालिक राम जोशी अंकित हो गया है जो कि गलत है। अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम पूरन चन्द्र (PURAN CHANDRA) पुत्र सालिक राम जोशी (SHALIK RAM JOSHI) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है

पूरन चन्द्र पुत्र सालिक राम जोशी,
पता — गर्वमेन्ट प्रेस कॉलोनी,
रामपुर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम महेन्द्र कुमार (MAHENDRA KUMAR) पुत्र राज करन है, जो मेरे आधार कार्ड व पैन कार्ड एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के शैक्षिक अभिलेख में मेरा का नाम महेन्द्र आर्या अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम महेन्द्र कुमार (MAHENDRA KUMAR) पुत्र राज करन के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

महेन्द्र कुमार पुत्र राज करन
पता—164/200/ए नीम सराय,
परगना व तहसील सदर प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण की सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अनमोल अग्रहरि (Anmol Agrahari) पुत्र अशोक कुमार है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड स0 3222 3253 1757 में उसका नाम शौर्य कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अनमोल अग्रहरि पुत्र अशोक कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अशोक कुमार पुत्र गंगा प्रसाद,
नि0- पाइकगंज परसई परियावां,
कलाकांकर प्रतापगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम आयुष यादव (AYUSH YADAV) पुत्र पंधारी यादव (PANDHARI YADAV) है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या-2211 0448 2536 में मेरा नाम शैलेश यादव (SHAILESH YADAV) अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है भविष्य में मुझे मेरे सही नाम आयुष यादव पुत्र पंधारी यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

आयुष यादव पुत्र पंधारी यादव,
पता- इटेली, कुड्डा जौनपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम नयन (NAYAN) पुत्र प्रदीप कुमार है जो कि उसके सभी शैक्षिक अभिलेखों में व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड स0-7137 8427 7910 में मेरे पुत्र का नाम मयन ठाकुर (MAYAN THAKUR) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम नयन (NAYAN) पुत्र प्रदीप कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

प्रदीप कुमार पुत्र श्री दुलीचन्द्र
नि0 बिहिका उर्फ पुरामुफ्ती, जिला प्रयागराज।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम ममता विश्वकर्मा (MAMTA VISHWAKARMA) है। मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-3346 7013 4612 में मेरा नाम ममता विश्वकर्मा (MAMATHA VISHWAKARMA) पुत्री अयोध्या विश्वकर्मा (AYODHYA VISHWAKARMA) अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम ममता विश्वकर्मा (MAMTA VISHWAKARMA) पुत्री स्व0 अयोध्या विश्वकर्मा (LATE AYODHYA VISHWAKARMA) के नाम से जाना एवं पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

ममता विश्वकर्मा पुत्री स्व0 अयोध्या विश्वकर्मा,
ग्राम-बेतऊवों उर्फ चनऊ, पोस्ट-बाघागाडा,
बाघगारा, गोरखपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम तेजस्वी सिंह (TEJASVI SINGH), पुत्र सन्तोष कुमार सिंह है जोकि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या-9225 7636 5405 में उसका नाम वैभव सिंह अंकित है जोकि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम तेजस्वी सिंह (TEJASVI SINGH) पुत्र सन्तोष कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

सन्तोष कुमार सिंह,
नि0-पावर हाउस रोड, नयागंज,
अकबरपुर कानपुर देहात।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आकृति दूबे पुत्री नन्दलाल है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड स0 5303 1686 5109 उसका नाम प्राची

दूबे अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आकृति दूबे पुत्री नन्दलाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

नन्दलाल,
ग्राम संवरा, पोस्ट असनहर,
जनपद सोनभद्र (उ0प्र0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम स्तुति सोनकर पुत्री महेन्द्र कुमार सोनकर है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0- 5188 8599 1380 में उसका नाम अनामिका सोनकर अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम स्तुति सोनकर पुत्री महेन्द्र कुमार सोनकर के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

महेन्द्र कुमार सोनकर पुत्र राम अधार सोनकर,
गांव हसनपुर, बन्धुआकला हसनपुर,
सुल्तानपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कृष्णा अग्रवाल (KRISHNA AGARWAL) पुत्र श्री सुनील कुमार अग्रवाल है जो उसके शैक्षिक दस्तावेजों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 7885 9684 1184 में उसका नाम किशना अग्रवाल (KISHNA AGARWAL) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम कृष्णा अग्रवाल (KRISHNA AGARWAL) के नाम से जाना पहचाना जायेगा।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

सुनील कुमार अग्रवाल,
पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल,
पता 153ए/205ए/5ए अत्तरसुइया,
प्रयागराज उत्तर प्रदेश।

सूचना

सूचित हो कि फर्म मेसर्स एग्रीकल्चर फ्लोरिस्टिक फार्मस विलेज एण्ड पो० फैजाबाद त० बेहट जि० सहारनपुर का पंजीयन सहा० निबन्धक फर्म एवं सोसायटी क्षेत्रीय ऑफिस सहारनपुर द्वारा दि० 14 दिसम्बर, 2012 को हुआ, दिनांक 26 मार्च, 2026 की डीड के अनुसार फर्म से कुमारी मुसैयदा पुत्री मौ० इकबाल नि० ग्राम मिर्जापुर पोल तह० बेहट जि० सहारनपुर रिटायर्ड हो गयी। इसी दिनांक को सादिक पुत्र दिलशाद नि० ग्राम मिर्जापुर पोल तह० बेहट जि० सहारनपुर नये पार्टनर के रूप में शामिल हो गये। अब फर्म में सलमान व सादिक पार्टनर रह गये।

सलमान पुत्र इरफान
पार्टनर
निवासी— कुंजा ग्रांट धर्मावाला देहरादून,
उत्तराखंड।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम बाबी शुक्ला (BABI SHUKLA) पुत्री अदालत प्रसाद शुक्ला है जोकि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 4171 9274 1159 में मेरा नाम BEBI SHUKLA अंकित हो गया है, जोकि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम बाबी शुक्ला (BABI SHUKLA) पुत्री अदालत प्रसाद शुक्ला के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

बाबी शुक्ला पुत्री अदालत प्रसाद शुक्ला,
ग्राम चकसनिया पोस्ट खर्थरी
तह० करनैलगंज, गोण्डा।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि M/s Shri Mahaveer Stone Mill, Add- Gate No- 483 & 484, Daharra, Kabrai Tehsil-Mahoba-(U-P-) वर्तमान में पंजीकृत फर्म जिसके साझेदारों का विवरण निम्न प्रकार है।

1. Anil Kumar Jain
2. Tanish Kumar Jain

जिसमें दिनांक 02 मई, 2026 को Anil Kumar Jain, Tanish Kumar Jain जी अपनी स्वेच्छा से प्रथक् हो रहे

हैं एवं उनके स्थान पर नये साझेदार Suman Shivhare, Jai Kishor Shivhare शामिल हो रहे हैं।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं को स्वयं मेरे पूर्ण द्वारा किया गया है।

Jai Kishor Shivhare

साझेदार

M/s Shri Mahaveer Stone Mill,

Gate No- 483 & 484, Daharra,

Kabrai Tehsil-Mahoba U.P.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स डी० पी० गुडस फारवरडिंग एजेन्सी पता- जरी बिल्डिंग श्यामगंज बरेली उत्तर प्रदेश जिसकी पंजीकरण सं०-B-10194 है, यह उपरोक्त फर्म दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से निरन्तर सुचारु रूप से कार्य कर रही है, उपरोक्त फर्म से दिनांक 01 अप्रैल, 2017 को तीन साझेदार 1. धर्मेन्द्र पाण्डेय 2. खस्ती नन्दन जोशी 3. मदन सिंह व दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को साझेदार 4. गौरी दत्त पाण्डेय 5. गोविन्दी देवी पाण्डेय निवासीगण जरी बिल्डिंग श्यामगंज बरेली, उ०प्र० स्वेच्छा से सेवानिवृत्त/रिटायर हो रहे हैं, तथा सेवानिवृत्त साझेदार का फर्म पर व फर्म का सेवानिवृत्त साझेदार पर कोई शेष बकाया नहीं है, उपरोक्त फर्म में वर्तमान में कुल तीन साझेदार क्रमशः 1. श्री दिनेश चन्द्र पाण्डेय 2. श्री हेमन्त पाण्डेय 3. श्रीमती दीपा पाण्डेय साझेदार हैं।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

दिनेश चन्द्र पाण्डेय,

साझेदार,

मेसर्स डी० पी० गुडस फारवरडिंग एजेन्सी,

पता- जरी बिल्डिंग श्यामगंज, बरेली उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स कैपिटल राईस इण्डस्ट्रीज पता- ग्राम मुंडिया धौरा टाण्डा बरेली उत्तर प्रदेश-243202 जिसकी पंजीकरण

सं०-BAR/0014126 में दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 को साझेदार श्री मोहम्मद सलीम पुत्र श्री आमिर स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये। सेवानिवृत्ति के पश्चात श्री मोहम्मद सलीम का फर्म पर व फर्म का श्री मोहम्मद सलीम पर कोई शेष बकाया नहीं है वर्तमान में उपरोक्त फर्म में कुल पांच साझेदार क्रमशः 1-रईस अहमद 2- अब्दुल मतीन 3- जुबैर अहमद 4-अब्दुल मलिक 5-श्रीमती आरजू खानम है।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

रईस अहमद,

साझेदार,

मेसर्स कैपिटल राईस इण्डस्ट्रीज,

पता- ग्राम मुंडिया धौरा टाण्डा,

बरेली उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स के०एस०एग्रो० फूडस पता- ग्राम टाण्डा सादत पी०ओ० संथल, नवाबगंज जिला बरेली जिसकी पंजीकरण सं०-BAR/0015757 में दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को अन्य साझेदारों की सहमति व स्वेच्छा से श्री कबीर अहमद पुत्र श्री इस्माईल व श्री हर्षित अग्रवाल पुत्र श्री संजय अग्रवाल को नया साझेदार बनाया गया व दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को साझेदार श्री इस्माईल पुत्र श्री इसराईल स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये। सेवानिवृत्ति के पश्चात श्री इस्माईल का फर्म पर व फर्म का श्री इस्माईल पर कोई शेष बकाया नहीं है वर्तमान में उपरोक्त फर्म में कुल सात साझेदार क्रमशः 1-श्री इब्राहिम 2- श्री अफजाल अहमद 3- श्री फिरोज अहमद 4-श्री बाबू 5- श्री अब्दुल सत्तार 6- श्री कबीर अहमद 7-श्री हर्षित अग्रवाल है।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

इब्राहिम,

साझेदार,

मेसर्स के०एस०एग्रो० फूडस,

पता- ग्राम टाण्डा सादत पी०ओ० संथल,

नवाबगंज, जिला बरेली।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स गंगा वाटिका पता विलेज रजपुरा पोस्ट रजपुरा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश की पार्टनरशिप डीड दिनांक 21 जनवरी, 2026 को हुई थी जिसके अनुसार हमारी फर्म में पहले तीन पार्टनर थे (1) श्री अमित कुमार पुत्र श्री इलम सिंह (2) श्री परमवीर सिंह पुत्र श्री जगमल सिंह (3) श्री संसार सिंह पुत्र श्री इलम सिंह थे। संशोधित पार्टनरशिप डीड दिनांक 10 मार्च, 2026 के अनुसार फर्म में नये साझेदार श्री मयंक गोयल पुत्र श्री महेश चन्द गोयल स्वेच्छा से इस फर्म में नये साझेदार आये हैं। तथा अब इस फर्म में क्रमशः चार साझेदार हो गये हैं। (1) श्री अमित कुमार पुत्र श्री इलम सिंह (2) श्री परमवीर सिंह पुत्र श्री जगमल सिंह (3) श्री संसार सिंह पुत्र श्री इलम सिंह (4) श्री मयंक गोयल पुत्र श्री महेश चन्द गोयल साझेदार हो गये हैं।

अमित कुमार

साझेदार,

मेसर्स गंगा वाटिका पता विलेज रजपुरा,
पोस्ट रजपुरा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की फर्म मेसर्स त्रिलोचन इंडस्ट्रीज हेड ऑफिस सी-30/36-सी प्लैट संख्या 02 विश्वनाथ अपार्टमेंट मलदहिया वाराणसी है।

मैं श्री संजीव कुमार गुप्ता फर्म मेसर्स त्रिलोचन इंडस्ट्रीज का अधिकृत साझेदार होने की हैसियत से यह सूचना देता हूँ की श्री दीपक चन्द्रा पुत्र श्री एस० डी० शास्त्री निवासी 32/136 मनीराम बगिया कानपूर उत्तर प्रदेश एवं श्रीमती सविता खन्ना पत्नी श्री पंकज कुमार खन्ना निवासी सी० 30/36 सी० मलदहिया वाराणसी उत्तर प्रदेश, फर्म त्रिलोचन इंडस्ट्रीज के साझेदार थे, जो दिनांक 23 अप्रैल, 2026 को फर्म को त्याग पत्र दिया है व दिनांक 23 अप्रैल, 2026 को ही फर्म में श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय प्रेमचंद गुप्ता निवासी R-14/15 राज नगर गाजियाबाद, श्री अभिषेक गुप्ता पुत्र श्री संजीव

कुमार गुप्ता निवासी R-14/15 राजनगर गाजियाबाद एवं श्री आशुतोष गुप्ता पुत्र श्री संजीव कुमार गुप्ता निवासी R-14/15 राजनगर गाजियाबाद फर्म में साझेदार के रूप में सम्मिलित हुए हैं तथा श्री संतोष कुमार गुप्ता पुत्र श्री गया प्रसाद गुप्ता निवासी 81/84-ए-12 बाम्बेवाला हाता धनकुट्टी कानपूर सिटी, उत्तर प्रदेश एवं श्री सुशील दुआ पुत्र श्री बहादुर चन्द दुआ निवासी सी०-187 पुष्पांजलि, एन्क्लेव प्रीतमपुरा नई दिल्ली, त्रिलोचन इंडस्ट्रीज के साझेदार थे, जो दिनांक 25 अप्रैल, 2026 को फर्म को त्याग पत्र दिया है, तथा फर्म के सभी दायित्व एवं सम्बन्ध से मुक्त हो गये हैं, अब श्री दीपक चन्द्रा, श्रीमती सविता खन्ना, श्री संतोष कुमार गुप्ता एवं श्री सुशील दुआ जी का फर्म से कोई लेना देना नहीं है।

अब फर्म मेसर्स त्रिलोचन इंडस्ट्रीज में तीन साझेदार क्रमशः (1) श्री संजीव कुमार गुप्ता, (2) श्री अभिषेक गुप्ता एवं (3) श्री अशुतोष गुप्ता है।

संजीव कुमार गुप्ता,

साझेदार,

मेसर्स त्रिलोचन इंडस्ट्रीज।

सूचना

सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स गुप्ता बिल्डर्स, मण्डी जवाहर गंज शामली जिला शामली, उत्तर प्रदेश की यह फर्म जो क्षेत्रीय कार्यालय सहायक निबन्धक, फर्म्स सोसायटीज तथा चिट्स सहारनपुर मण्डल सहारनपुर (उ०प्र०), द्वारा रजिस्टर्ड फर्म है। रजिस्ट्रेशन संख्या 399 (S) है। जिसमें भागीदारी डीड के अनुसार दिनांक 08 अक्टूबर, 2020 में निम्न भागीदार थे।

1. श्री राहुल गुप्ता पुत्र स्व० सतीश चन्द गुप्ता (वास्ते श्री सतीश चन्द गुप्ता HUF), निवासी मण्डी जवाहर गंज शामली जिला शामली (उ०प्र०)
2. श्रीमती मनीषा गुप्ता पत्नी स्व० विशाल गुप्ता, निवासी मण्डी जवाहर गंज शामली जिला शामली

- (उ०प्र०)
3. श्रीमती अंजली गुप्ता पत्नी श्री आशीष गुप्ता, निवासी मण्डी जवाहर गंज शामली जिला शामली (उ०प्र०)
 4. श्रीमती उमा गुप्ता पत्नी श्री सतीश चन्द गुप्ता, निवासी मण्डी जवाहर गंज शामली जिला शामली (उ०प्र०)
 5. श्रीमती पारुल गुप्ता पत्नी श्री राहुल गुप्ता, निवासी मण्डी जवाहर गंज शामली जिला शामली (उ०प्र०)
 6. श्रीमती सुमन गुप्ता पत्नी स्व० रमेश चन्द गुप्ता, निवासी मण्डी जवाहर गंज शामली जिला शामली (उ०प्र०)

भागीदार फर्म में पार्टनर श्रीमती सुमन गुप्ता पत्नी स्व० रमेश चन्द गुप्ता, निवासी मण्डी जवाहर गंज शामली जिला शामली (उ०प्र०) बतौर पार्टनर थी। उनकी मृत्यु दिनांक 05 जून, 2025 को हो गयी थी। उनके स्थान पर दिनांक 06 जून, 2025 को उनके पुत्र श्री आशीष गुप्ता पुत्र स्व० रमेश चन्द गुप्ता निवासी जवाहर गंज मण्डी शामली जिला शामली को भागीदार पार्टनर बनाया गया है। वर्तमान में अब निम्न भागीदार है।

1. श्री राहुल गुप्ता पुत्र स्व० सतीश चन्द गुप्ता (वास्ते श्री सतीश चन्द गुप्ता HUF), निवासी मण्डी जवाहर गंज शामली जिला शामली (उ०प्र०)
2. श्रीमती मनीषा गुप्ता पत्नी स्व० विशाल गुप्ता, निवासी मण्डी जवाहर गंज शामली जिला शामली (उ०प्र०)
3. श्रीमती अंजली गुप्ता पत्नी श्री आशीष गुप्ता, निवासी मण्डी जवाहर गंज शामली जिला शामली (उ०प्र०)
4. श्रीमती उमा गुप्ता पत्नी स्व० सतीश चन्द गुप्ता, निवासी मण्डी जवाहर गंज शामली जिला शामली (उ०प्र०)
5. श्रीमती पारुल गुप्ता पत्नी श्री राहुल गुप्ता, निवासी मण्डी जवाहर गंज शामली जिला शामली (उ०प्र०)

6. श्री आशीष गुप्ता पुत्र स्व० श्री रमेश चन्द गुप्ता निवासी जवाहर गंज मण्डी शामली, जिला शामली, (उ०प्र०)

राहुल गुप्ता पुत्र स्व० सतीश चन्द गुप्ता

(वास्ते श्री सतीश चन्द गुप्ता HUF)

मेसर्स गुप्ता बिल्डर्स

पार्टनर

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स एस0के0एन0 इन्डस्ट्रीज पता— के 353 फर्स्ट फ्लोर साईट 5 कासना ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में आपको सूचित करना है कि हमारी फर्म की पार्टनरशिप 19 सितम्बर, 2013 को हुई थी जिसमें पहले दो पार्टनर थे (1) श्रीमती शीतल कौशिक पत्नी श्री नवनीत कौशिक (2) श्री कामेश्वर मंडल पुत्र श्री बिस्पत मंडल थे। यह कि फर्म की संशोधित साझीदारीनामा डीड दिनांक 07 नवम्बर, 2025 के अनुसार दिनांक 01 नवम्बर, 2025 को साझेदार नं० 2 श्री कामेश्वर मंडल पुत्र श्री बिस्पत मंडल स्वेच्छा से इस फर्म से अलग हो गये हैं तथा इनका फर्म से कोई लेना देना बकाया नहीं है तथा अब इनके स्थान पर दिनांक 01 नवम्बर, 2025 को नये साझीदार श्री आयूष कौशिक पुत्र श्री नवनीत कौशिक स्वेच्छा से इस फर्म में नये साझीदार आये हैं तथा अब इस फर्म में अब क्रम से दो साझेदार हो गये हैं (1) श्रीमती शीतल कौशिक पत्नी श्री नवनीत कौशिक (2) श्री आयूष कौशिक पुत्र श्री नवनीत कौशिक हो गये हैं। दिनांक 07 नवम्बर, 2025 की साझीदारी के अनुसार फर्म का पता— के० 353 फर्स्ट फ्लोर साईट 5 कासना ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश से बदल कर प्लॉट नं० 133 ए विलेज साकीपुर ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश हो गया है।

श्रीमती शीतल कौशिक,

साझेदार,

पता—के० 353 फर्स्ट फ्लोर साईट 5,

कासना ग्रेटर नोएडा,

जिला गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म-मे० ग्रीन वैली ओवरसीज, विलेज चकधा भगौतीपुर नियर धौराटांडा, बरेली, उ०प्र० पिनकोड-243202 (पंजीकरण संख्या: BAR/0016984) फर्म में 9 साझेदार-जमील अहमद, मो० साहिद, मो० तारिक, वसीम अहमद, मो० इरफान, सगीर अहमर, जहीर अहमद, रईस अहमद, श्रीमती राफिया हसीब थे, दिनांक 04.04.2024 को साझेदारों की रजामन्दी से एक साझेदार लईक अहमद को शामिल किया तथा एक साझेदार मो० इरफान दिनांक 04.04.2024 को अवकाश ग्रहण करके फर्म से अलग हो गये। अवकाश ग्रहण साझेदार का सारा हिसाब-किताब चुकता हो गया है, साझेदार या फर्म का कोई लेन-देन बकाया नहीं है। अब फर्म में कुल 9 साझेदार-जमील अहमद, मो० साहिद, मो० तारिक, वसीम अहमद, सगीर अहमर, जहीर अहमद, रईस अहमद, लईक अहमद, श्रीमती राफिया हसीब हैं। फर्म में एवं साझेदारों में कोई विवाद नहीं है। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी हैं।

जमील अहमद,
साझेदार

मे० ग्रीन वैली ओवरसीज बरेली, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s Radha Raman Enterprises, 124 /D-45, Govind Nagar, Kanpur की साझीदार हूँ। फर्म का पंजीयन दिनांक 14 मार्च, 2016 को पंजीकरण सं० K-11619 पर हुआ था। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 24 फरवरी, 2016 के अनुसार फर्म में श्री योगेश कुमार मिश्रा, श्री मयंक मिश्रा व श्रीमती नीलम अग्रवाल साझीदार थे। संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 01 जनवरी, 2018 के अनुसार साझीदार श्रीमती नीलम अग्रवाल पत्नी श्री विकास अग्रवाल निवासिनी एम-5, इन्द्रप्रस्थ अपार्टमेन्ट, 12-ए, रतनलाल नगर, कानपुर स्वइच्छा से पृथक हो

गयी हैं। अब फर्म में श्री योगेश कुमार मिश्रा व श्री मयंक मिश्रा साझीदार हैं।

योगेश कुमार मिश्रा,
पार्टनर,

M/s Radha Raman Enterprises,
124 /D-45, Govind Nagar, Kanpur.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s KRISHNA COLD STORAGE, Achra Road, Bartal, Nawabganj, Farrukhabad (U.P.) की साझीदार हूँ। फर्म का पंजीयन दिनांक 07.08.2018 को पंजीकरण सं० FAR/0000945 पर हुआ था। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 04 जून, 2018 के अनुसार फर्म में श्री महेश चन्द्र गुप्ता, श्री आकाश गुप्ता, श्री जयवीर सिंह यादव, श्री नीरज कुमार व श्रीमती आयुषी भारद्वाज साझीदार थे। संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 24 मार्च, 2026 के अनुसार साझीदार श्री जयवीर सिंह यादव स्वइच्छा से सेवानिवृत्त हो गये हैं। अब फर्म में श्री महेश चन्द्र गुप्ता, श्री आकाश गुप्ता, श्री नीरज कुमार व श्रीमती आयुषी भारद्वाज साझीदार हैं।

महेश चन्द्र गुप्ता,
पार्टनर,

M/s KRISHNA COLD STORAGE,
Achra Road, Bartal, Nawabganj,
Farrukhabad (U.P.).

सूचना

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स-चिन्योटी ट्रांसपोर्ट सर्विस, पता- 681, निकट-ईदगाह, देवपुरी, मेरठ जिसका पंजीकरण संख्या MEE/0024567 है। जिसका संचालन 18 मार्च, 2026 से किया जा रहा है। उक्त फर्म में 1 श्री दीपांशु चिन्योटी, 2. श्री अंगद प्रीत सिंह चावला थे नए पार्टनर दिनांक 28 अप्रैल, 2026 से श्रीमती देव बाला फर्म में सम्मिलित हुए हैं। भविष्य में कुल तीन पार्टनर, 1-दीपांशु चिन्योटी,

2—श्री अंगद प्रीत सिंह चावला 3— श्रीमती देव बाला
अपने-अपने भागानुसार फर्म को संचालित करेंगे।

दीपांशु चिन्योटी,
मेसर्स—चिन्योटी ट्रांसपोर्ट सर्विस,
पता— 681, निकट—ईदगाह, देवपुरी, मेरठ।

श्री कृष्णचन्द्र मिश्र निवासी ग्राम-सरैयां, पो०-किर्तापुर,
जौनपुर दिनांक 02 मई, 2026 को फर्म में भागीदार के
रूप में सम्मिलित हो रहे हैं। दिनांक 02 मई, 2026 से
राम चन्द्र मिश्र पुत्र श्री कृष्णचन्द्र मिश्र फर्म सर्वश्री मेसर्स
एस०आर० इण्टरप्राइजेज सरायकाजीकादन, मियांपुर,
पोस्ट-कचहरी, सदर, जौनपुर के सतत भागीदार रहेंगे।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि
पंजीकृत फर्म सर्वश्री मेसर्स एस०आर० इण्टरप्राइजेज
सरायकाजीकादन, मियांपुर, पोस्ट-कचहरी, सदर, जौनपुर
के सतत भागीदार श्रीमती शीला मिश्रा पत्नी श्री रामचन्द्र
मिश्र निवासी ग्राम-सरैयां, पो०-किर्तापुर, जौनपुर एवं
अंशुमान मिश्रा पुत्र श्री रामचन्द्र मिश्र निवासी ग्राम-सरैयां,
पो०-किर्तापुर, जौनपुर हैं। जिसमें श्री राम चन्द्र मिश्र पुत्र

शीला मिश्रा,
भागीदार,
मेसर्स एस०आर० इण्टरप्राइजेज,
सरायकाजीकादन, मियांपुर, पोस्ट-कचहरी,
सदर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश।